विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	2011-12 – एक परिदृश्य	01
I	कार्यकारी सारांश	06
II	बोर्ड का गठन एवं कार्य	15
III	प्रशासन एवं स्थापना	20
III(क)	अशक्त कर्मचारियों का विवरण	27
IV	कॉफी अनुसंधान	28
V	विस्तरण तथा विकास	36
VI	बाजार विकास और संसाधन हेतु सहायता	44
VII	निर्यात संवर्धन	49
VIII	बाजार अनुसंधान एवं इंटेलिजेन्स	64
IX	लेखा व वित्त	67

2011-12 – एक परिदृश्य

मुझे वर्ष 2011-12 के लिए कॉफी बोर्ड की 72 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

कॉफी मूल्यों ने, विश्व एवं घरेलू, दोनों स्तरों पर अच्छा सुधार दर्शाया है। वर्ष 2011-12 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य अरेबिका के लिए 300 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड और रोबस्टा के लिए 122 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था। अरेबिका के लिए औसत मूल्य 255.98 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड और रोबस्टा के लिए 107.01 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था। इससे पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में अरेबिका के सम्बन्ध में 13.19%और रोबस्टा के सम्बन्ध में 20.20% बढ़त हासिल हुई है। ऐसा ही रुझान घरेलू मार्केट में भी रिकार्ड किया गया जहाँ अरेबिका मूल्यों ने 286.67 रुपए प्रति किलोग्राम तक की ऊँचाई तक जा कर औसतन 270.37 रुपए प्रति किलोग्राम हासिल किया और रोबस्टा मूल्यों ने 117.02 रुपए प्रति किलोग्राम तक जाकर औसतन 113.51 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की यह बढ़त अरेबिका के मामले में 32.54% और रोबस्टा के मामले में 32.79% थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान 3,44,940 मे.टन कॉफी के लिए निर्यात परमिट जारी किए गए। जारी किए गए निर्यात परमिटों के सम्मुख पक्का नौभरण अनंतिम रुप से 3,23,913 मे.टन कॉफी के लिए हुआ जिसने पिछले वर्ष के 103 देशों की तुलना में 111 देशों को निर्यातित प्रति मे.ट. 1,40,213 के इकाई मूल्य के साथ 2,20,000 मे.टन के लक्ष्य को पीछे छोडते हुए 972.09 मिलियन यू एस डालर और 4,541.71 करोड रुपए मूल्य प्राप्त किए।

जहाँ तक कॉफी उत्पादन का सम्बन्ध है, विश्वव्यापी उत्पादन में 1.2% की कमी हुई जो 2010-11 के 134.26 मिलियन बैग्स से गिरकर 2011-12 में 132.71 मिलियन बैग्स हो गई है। भारत का उत्पादन 3,14,000 मे. टन था, जिसमें अरेबिका 1,01,500 मेट्रिक टन और रोबस्टा 2,12,500 मेट्रिक टन थी। भारत का समग्र उत्पादन 4% बढ़ा जब कि अरेबिका के उत्पादन में 7.80% की बढत और रोबस्टा के उत्पादन में 2.23% बढ़त दर्ज हुई।

मार्च अप्रैल 2011 के दौरान कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों के अधिकतर भागों में हुई सामयिक और पर्याप्त पुष्पण और समर्थन वृष्टि के फलस्वरुप 2011-12 सीजन के लिए पुष्पण और फसल सेटिंग अच्छी थी। मौसम स्थिति और दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून अवधियों के दौरान हुई वर्षा फसल विकास के लिए अनुकूल थी।

अरेबिका का प्रमुख नाशिकीट व्हाईट स्टेम बोरर और कॉफी बेरी बोरर का प्रादुर्भाव सामान्यत: निम्न था। रोगों में अरेबिका पर होने वाले एक प्रमुख रोग कॉफी पत्ती किट्ट का प्रादुर्भाव निम्न से मध्यम स्तर तक था।

उपजकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाय तो, वर्तमान दृश्ययोजना में मूल्यों की सुखद स्थिति और भारत सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न समर्थन और राहत उपायों ने उनको अपने वित्तीय तकलीफों से बाहर निकलने में मदद की है। परन्तु श्रमिकों की अलभ्यता का दंश वास्तव में चिंता का कारण बना रहा।

कॉफी बागानों की धारणीयता, कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार आदि पर लक्ष्य साधते हुए बोर्ड ने XIवें पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में योजना स्कीमों को कार्यान्वित करना जारी रखा। ये स्कीमें पुनर्रोपण, उत्पादकता स्तर में सुधार लाने की दिशा में जल आवर्धन और मूल्य प्राप्ति में आवर्धन के लिए क्वालिटी उन्नयन जैसे कार्य में आवश्यक समर्थन देती है। अन्य समर्थन स्कीमो, जैसे कार्य पूँजी ऋणों पर ब्याज उपदान, छोटे उपजकर्ताओं को वृष्टि बीमा में उपदान को भी क्रियान्वित किया गया। गैर परम्परागत क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकन, विस्तारण के लिए समर्थन जैसे स्कीम भी कार्यान्वित किए गए।

श्रमिकों की कमी की समस्या का समाधान खोजने की दिशा में फार्म संक्रिया में मशीनरी के इस्तेमाल को अपनाने के लिए कॉफी उपजकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2011 के दौरान एक नई स्कीम "फार्म संक्रिया के मशीनीकरण हेतु समर्थन" को अनुमोदित किया। योजना प्रोत्साहक परिणाम के साथ रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान जारी रहा।

केफे संस्कृति के आगमन ने घरेलू खपत में उन्नति जारी रखी। यह उन्नति वर्ष 2011-12 के दौरान 1,15,000 मे.टन की अनुमानिक खपत के रुप में प्रतिपादित हुई है। उद्योग के भविष्य के लिए घरेलू कॉफी खपत के ग्राफ को उत्तर की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। यह अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के विरुद्ध उपजकर्ताओं को कवच प्रदान करेगा । घरेलू खपत में आई वृद्धि की लहर को कॉफी उद्योग के नायक महसूस करेंगे। अत्युत्तम रोजगार के अवसर, प्रोत्साहक उद्यम और मूल्य श्रृंखला में संपूर्ण सुधार इसके बाकी प्रभाव होंगे। घरेलू खपत में वृद्धि लाने के लिए बोर्ड ने बहुत से कदम उठाए हैं जिसमें भावी उद्यमकर्ता, स्वयं सहायता समूह और उपजकर्ता समष्टियों को उपदान देते हुए रोस्टिंग, ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग के लिए समर्थन देना शामिल है।

मूल्य कमाई को बढ़ाने और मूल्य संवर्धन को समर्थन देने के लिए, बोर्ड दूरस्थ बाजारों को मूल्य संवर्धित और उच्च मूल्य की कॉफी के निर्यात हेतु समर्थन देता है। इस समर्थन से बाजार में पहुँच को विस्तार तो मिलता ही है साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समुदाय में उच्च क्वालिटी, उच्च मूल्य कॉफी के निर्यातक के तौर पर भारत की मौजूदगी पुख्ता होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दृष्टिकोण 2011-12

पिछले वर्ष (2010-11) की तुलना में इस वर्ष (2011-12) कॉफी मूल्य में लगातार सुधार हुआ है।

वित्तीय वर्ष अर्थत् 2011-12 (अप्रैल- मार्च) में औसत आई सी ओ समेकित सूचकांक मूल्य 202.16 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था, और यह 2010-11 के दौरान प्रचलित 169.09 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 20% की बढ़त दर्शाता है।

2011-12 के दौरान न्यू यार्क फ्यूचर्स (अरेबिका) औसत मूल्य 25% बढ़ गए जो 2010-11 के 195.32 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड के तुलना में 244.26 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे। 2011-12 के दौरान लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा) मूल्य 97.25 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे जो 2010-11 के 82.82 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड के सम्मुख लगभग 17% बढ़त को दर्शाते है।

कैलेण्डर वर्ष 2011 के लिए औसत आई सी ओ समेकित मूल्य जो 210.39 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे, पिछले वर्ष (2010) के 147.24 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 43% बढ गए । न्यू यार्क औसत मूल्य (अरेबिका) जो 256.35 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे, वह 2010 के 165.20 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 55% बढ गए। लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा) औसत मूल्य जो 2011 में 101.22 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे वे 2010 के औसत मूल्य 71.97 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 41% बढ़ गए ।

घरेलू बाज़ार में 2011 के दौरान अरेबिका मुख्य श्रेणी (प्लांटेशन ए) के लिए आई सी टी ए औसत नीलामी मूल्य 272.42 रुपए प्रति किलोग्राम था जिसने 2010 के 186.36 रुपए प्रति किलो ग्राम की तुलना में करीबन 46% बढत दर्ज की जबकि रोबस्टा मुख्य श्रेणी(चेरी ए बी) की कीमत जो वर्ष 2011 में 111.78 रुपए प्रति किलो ग्राम थी उसने 2010 के 79.58 रुपए प्रति किलो ग्राम से 40% की बढ़त दर्शाई।

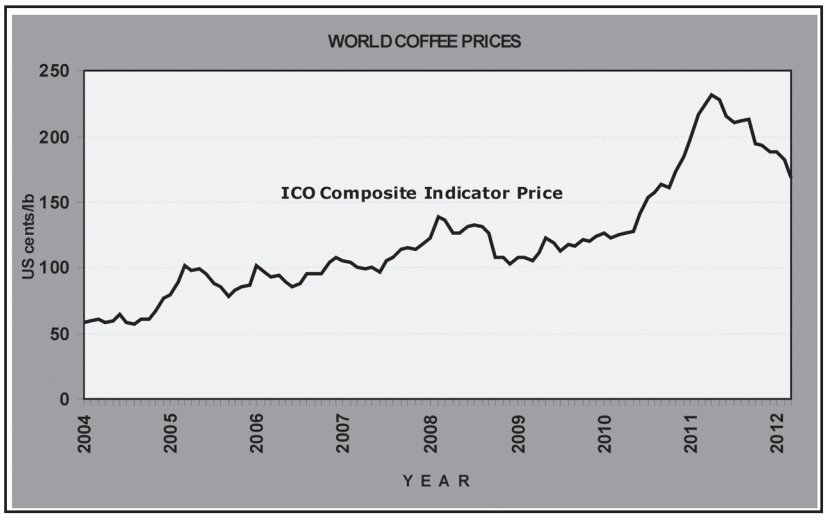

पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में कॉफी की कीमतों में आई गिरावट एव बढ़त को दर्शाता तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है-

तालिका-1

आई सी ओ समष्टिक सूचकांक मूल्य **(कॉफी वर्ष औसत)** एवं न्यूयार्क तथा लन्दन फ्यूचर्स मार्केट के दूसरे एवं तीसरे स्थान का औसत

यू एस सेन्ट्स/पाउण्ड

वित्तीय वर्ष (अप्रैल/मार्च)	**04-05**	**05-06**	**06-07**	**07-08**	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**
आई सी ओ समष्टिक सूचकांक	69.72	91.13	97.30	114.15	117.96	120.14	169.09	202.16
न्यूयार्क फ्यूचर्स (अरेबिका)	90.38	109.79	113.26	127.19	128.90	133.30	195.32	244.26
लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा)	34.09	51.28	63.60	87.07	88.83	64.54	82.82	97.25

तालिका-2

आई सी ओ समष्टिक सूचकांक मूल्य **(कैलेण्डर वर्ष औसत)** एवं न्यूयार्क तथा लन्दन फ्यूचर्स मार्केट के दूसरे एवं तीसरे स्थान का औसत

यू एस सेन्ट्स/पाउण्ड

वित्तीय वर्ष	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012***
आई सी ओ समष्टिक सूचकांक	62.15	89.37	95.75	106.88	124.23	115.67	147.24	210.39	179.65
न्यूयार्क फ्यूचर्स (अरेबिका)	79.85	111.50	112.43	121.91	136.46	128.18	165.20	256.35	209.45
लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा)	32.89	46.79	59.75	78.55	96.76	67.61	71.97	101.22	88.08

*31.03.2012 को यथास्थिति

तालिका -3

नीलामी मूल्य - आई सी टी ए, (बेंगलूर) में प्राप्त औसत मूल्य

₹ / कि ग्रा

कैलेण्डर वर्ष	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012***
प्लांटेशन ए	72.16	104.34	109.84	112.70	131.26	175.32	186.36	272.42	240.61
रोबस्टा चेरी ए बी	34.94	53.68	63.02	75.78	96.86	81.16	79.58	111.78	113.99

*जनवरी से मार्च, 2012

वैश्विक आपूर्ती एवं माँग संतुलन

2011-12 का वैश्विक उत्पादन 132.7 मिलियन बैग, 2010-11 के 134.26 मिलियन बैग की तुलना में 1.2% की गिरावट को दर्शाता है। 2011 के 134.78 मिलियन बैग की तुलना में 2011-12 में 137.90 मिलियन बैग की वैश्विक खपत हुई थी ।

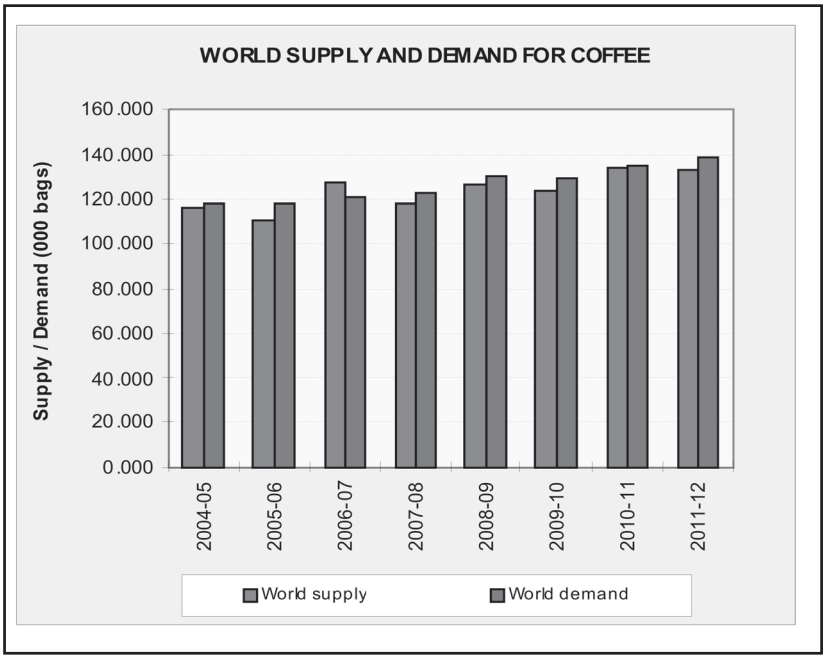

तालिका-4

विश्व उत्पादन/खपत

(मिलियन बैग में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन*	116.607	109.883	127.028	118.074	126.725	123.613	134.260	132.71
खपत**	118.066	118.114	121.087	122.726	130.004	129.100	134.778	137.90

स्रोत: * राष्ट्रीय फसल वर्ष (हाल ही में आई सी ओ द्वारा संशोधित अनुसार)

** कैलेण्डर वर्ष (आईसीओ, सी एम आर अगस्त 2012)

भारत - उत्पादन एवं निर्यात

2011-12 में कॉफी का उत्पादन 3,14,000 टन रखा गया है जो कि पिछले वर्ष (2010-11) के 3,02,000 टन से 4% ज्यादा है। 2011-12 में भारत ने 3,23,913 मे. टन (42,836 मे. टन का पुन: निर्यात शामिल) कॉफी का निर्यात किया जो पिछले वर्ष के 2,99,357 मे टन के निर्यात से 8.20% ज्यादा है। कुल मात्रा में 47, 690 मेट्रिक टन अरेबिका, 1,94,681 मेट्रिक टन रोबस्टा और 81,542 मेट्रिक टन इन्स्टेंट तथा रोस्टेड एण्ड ग्राउण्ड कॉफी थी जिसे 111 देशों को निर्यात किया गया था। इटली,जर्मनी,रुस गणराज्य,बेल्जियम और स्पेन प्रमुख पाँच आयातक देश थे। 2011-12 के दौरान निर्यात से हुई कमाई 33.56% ज्यादा थी जो पिछले वर्ष के 727.82 मिलियन यू एस डालर के मुकाबले 972.09 मिलियन यू एस डालर हुई। भारतीय रुपयों के रुप में यह 2010 -11 के 3,360.44करोड रुपये के सम्मुख 4,541.71 करोड़ रु थी और 35.15% ज्यादा थी।

तालिका-5

स्पेशियालिटी तथा मूल्य संवर्धित कॉफी का निर्यात(मात्रा मे.ट.में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
स्पेशियालिटी कॉफी	8997	9096	9476	10688	10363	10002	14897	13390
मूल्य संवर्धित कॉफी *	55941	52394	60550	64993	49004	65300	73140	81542
योग	64938	61490	70026	75681	59367	75302	88037	94932

(* घुलनशील/रोस्ट व ग्राउण्ड हरी कॉफी समतुल्य शामिल)

कॉफी ऋण राहत पैकेज -2010

कॉफी ऋण राहत पैकेज -2010 के कार्यान्वयन के पहले क्रम में, 53 बैंको से प्राप्त हुए दावों को साधित किया गया और 241 करोड के सरकार के शेयर को बैंक को प्रतिपूरित किया गया। इससे 1,20,025 उपजकर्ता लाभान्वित हुए और भारत सरकार से रिलीज की गई समग्र राशि का पूरी तरह उपयोजन हुआ।

दूसरे क्रम में, बैंक से प्राप्त हुए लम्बित/अतिरिक्त दावों को निपटाने के लिए कॉफी ऋण राहत पैकेज -2010 के तहत भारत सरकार ने 58.00 करोड रुपए मंजूर कर रिलीज किए। इसमें से सरकार के शेयर के 47.82 करोड़ ₹ को लम्बित / अतिरिक्त दावों के निपटान के लिए प्रतिपूर्ति किया गया और इससे मार्च 2012 के अंत तक 14,197 छोटे उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

फ्लेवर ऑफ इंडिया फाइन कप अवार्डस्

फ्लेवर ऑफ इंडिया-2011 का फाइनल राउण्ड कप्पिंग 20 जून 2011 को एमस्टर्डम, नीदरलैण्ड्स में सम्पन्न हुआ। 232 नमूनों में से 34 नमूने जिनमें 13 अरेबिका, 6 स्पेशियालिटी अरेबिका, 9 रोबस्टा और 6 स्पेशियालिटी रोबस्टा शामिल थे, को अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी के सम्मुख फाइनल राउण्ड ऑफ कप्पिंग के लिए भेजा गया। फ्लेवर ऑफ इंडिया- द फाइन कप अवार्ड - कप्पिंग कम्पीटीशन 2011 के लिए होटल ललित अशोक, बेंगलूर में 23 दिसम्बर 2011 को आयोजित "कॉफी अवार्ड्स नाइट" नामक समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

इंडिया इन्टरनेशनल कॉफी फेस्टिवल 2012

इंडिया इन्टरनेशनल कॉफी फेस्टिवल का चौथा संस्करण नई दिल्ली में 18 से 20 जनवरी को आयोजित हुआ जो कि बहुत सफल रहा। इस उत्सव की थीम थी "कॉफी के साथ बढना" जिसमें 16 देशों से कुल 400 उत्साही प्रतिभागी आये थे।ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, यू के, नीदरलैण्ड्स, इटली, जर्मनी, नाइजीरिया, कीनिया, नोरवे, स्वीडन, बेल्जियम और यू एस ए। फेस्टिवल का उद्घाटन श्री आनन्द शर्मा, माननीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। श्री रोबेरियों ओलिवेइरा सिल्वा, आई सी ओ के कार्यकारी निदेशक, इस समारोह के सम्मानित अतिथि थे। संपूर्ण सम्मेलन को डॉ. मान्टेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने सम्बोधित किया। डॉ अनूप पुजारी, महा निदेशक, विदेश व्यापार ने समापन सत्र को सम्बोधित किया। उत्सव में भावी उद्यमकर्ताओं के लिए कुशलता निर्माण कार्यशाला थी और एक भव्य प्रदर्शनी भी थी।

कॉफी की रोचक दुनिया में उद्यमकर्ता संबंधी टेलेन्ट के लिए अवसर पैदा करने के लिए इण्डियन कॉफी ट्रस्ट ने घरेलू परिदृश्य में नए टेलेन्ट को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक अत्युत्तम केफे प्रतियोगिता को प्रारम्भ किया जिसके तहत केफे अवाड्र्स दिए जाते हैं। इस "केफे कम्पीटीशन फॉर केफे अवाड्र्स" के पुरस्कार समारोह में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रुप में आये। मंत्री महोदय ने रोस्टर्स,क्यूरिंग संस्थापनों, केफे एवं बरिस्ताओं की श्रेणी में विजेताओं को सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया। आई आई सी एफ -2012, नई दिल्ली में कुल 13 केफे को पुरस्कार प्रदान किया गया।

अक्तूबर 2012
वेंगलूर

जावेद अख़्तर
अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड

अध्याय - I

कार्यकारी सारांश

उत्पादन :

- 2011-12 फसल सीजन के लिए अन्तिम फसल प्राक्कलन 3,14,000 मेट्रिक टन था जिसमें 1,01,500मेट्रिक टन अरेबिका (कुल का 32%) और 2,12,500 मेट्रिक टन रोबस्टा (कुल का 68%) शामिल है।
- कर्नाटक ने 2,21,000 मेट्रिक टन (70.38%) का योगदान दिया। उसके बाद केरल 68,100 मेट्रिक टन (21.69%) और तमिल नाडू 18,350 मेट्रिक टन (5.84%) था। आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को शामिल कर गैर परम्परागत क्षेत्रों ने शेष 6,550 मेट्रिक टन (2.09%) का योगदान किया।
- वर्ष के दौरान कुल फार्म उत्पादकता में पिछले वर्ष के 838 कि.ग्रा./हे. से 868 कि.ग्रा./हे. तक वृद्धि हुई जिससे उत्पादन पिछले वर्ष के 3,02,000 मे.ट. की तुलना में 12,000 मे.ट. से बढ़ा।
- वर्ष 2011-12 के लिए परम्परागत क्षेत्रों से सम्बन्धित उत्पादकता 961 कि.ग्रा./हे है जहां अरेबिका और रोबस्टा की उत्पादकता क्रमश:758और 1093 कि.ग्रा./हे थी।
- कॉफी से कुल रोपित क्षेत्र लगभग 4.09 लाख हेक्टर था जिसमें से कुल फलन क्षेत्र लगभग 3.68 लाख हेक्टर था।
- परम्परागत क्षेत्रों में 1,62,366 जोत, आन्ध्र प्रदेश और ओडीशा (गै प क्षे) में 1,10,792 जोत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष 7,083 जोतों को शामिल कर देश में लगभग 2,80,241 कॉफी जोत हैं जिसमें 10 हेक्टर से भी कम के छोटे जोत लगभग 2,77,618 थे और यह कुल जोत का लगभग 99% हैं।

निर्यात :

- 2011-12 के दौरान कुल 3,23,913 मेट्रिक टन कॉफी (42,836 मेट्रिक टन के पुन: निर्यात को शामिल कर) का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष के 2,99,357 मे.ट. के निर्यात से 8.2% अधिक है। 47,690 मेट्रिक टन अरेबिका और 1,94,681 मेट्रिक टन रोबस्टा और 81,542 मेट्रिक टन इंस्टेन्ट और भुनी व पिसी कॉफी को 111 देशों को निर्यात किया गया। इटली, जर्मनी, रुस संघ, बेल्जियम और स्पेन पांच प्रमुख आयातक देश थे।
- 2011-12 के दौरान निर्यात कमाई यू एस डालर में 34% अधिक हुई जो पिछले वर्ष के727.82 मिलियन यू एस डालर्स की तुलना में इस वर्ष 972.09 यू एस डालर्स थी। भारतीय रुपए के रुप में यह लगभग 35% अधिक थी जो पिछले वर्ष के 3,360.44 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 4,541.71 करोड़ थी।
- इकाई मूल्य में 2011-12 के दौरान निर्यातित सभी प्रकार की कॉफी का समष्टिक मूल्य 1,40,213/- ₹ प्रति मेट्रिक टन था। जबकि यह 2010-11 के दौरान 1,12,255/- ₹ प्रति मेट्रिक टन था जो पिछले वर्ष के इकाई मूल्य से 24.9% अधिक है।
- 31 मार्च 2012 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 395 थी जिसमें वर्ष 2011-12 के 46 नए पंजीकरण शामिल है, जबकि 31 मार्च 2011 को इनकी संख्या 349 थी।
- वर्ष के दौरान 126 पंजीकृत निर्यातकों को कुल 10,389 निर्यात परमिट और आई सी ओ मूल का प्रमाणपत्र जारी किए गए जबकि 2010-11 में 10,032 परमिट जारी किए गए थे। 10,389 परमिट में से 6,083 परमिट

ऑनलॉइन के जरिए फाइल के किए गए आवेदनों के लिए जारी किए गए।

अनुसंधान :

- अर्धबौना फेनोटाइप अरेबिका में विभिन्न पत्ती किट्ट प्रतिरोध जीन्स के पिरमिडीकरण के उद्देश्य से एस.3827 (एस एल एन 10) और एस.4808 (कटवई और एच डी टी का एक संकर) के चयनित पौधोंके बीच संकरण से एफ$_1$ संकर उगाए गए और उन्हें सी सी आर आई एवं चेट्टल्ली के क्षेत्रों में स्थापित किया गया।
- चंद्रगिरि किस्म में पत्ती किट्ट के लिए दीर्घ स्थायी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एस सी ए आर चिन्हक परिमापों का प्रयोग करते हुए चिन्हक सहायता प्राप्त सेलेक्शन (एम ए एस) के जरिए *सी लिबेरिका* मूल के S_H3 जीन का एकीकरण किया गया और उसके बाद समजननांशि एस.3827 के चयनित पौधों, का S_H3 जीन के साथ प्रजनन किया गया।
- रोबस्टा में अनावृष्टि सहिष्णुता के लिए अनावृष्टि सहिष्णु जड़ प्रकार (एस.1932,एस.3399) और स्टेशन सेलेक्शन (एस.274, सी x आर) के बीच भी सदृश संकरण किए गए।
- कोलम्बियन काटिमोर और एस 1934, एस एल एन 5 बी और एस एल एन 9 जैसे लम्बे समजाति के संकरणों के एफ$_1$ संकर संतति के क्षेत्र मूल्यांकन ने उपज, किट्ट हेतु क्षेत्र सहिष्णुता और फली क्वालिटी विशेषताओं के सम्बन्ध में एस 4814 (काटिमोर (बी एम)3/13 X एस एल एन 5 बी) के आशाजनक निष्पादन को दर्शाया।
- "भारत और चार अफरीकी देशों में पत्ती किट्ट और अन्य रोगों के सम्मुख कॉफी उत्पादन के लचीलेपन को बढ़ाना" नामक बहु देश अनुसन्धान परियोजना के अन्तर्गत सभी प्रमुख अरेबिका उपजने वाले क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए 10 किसान क्षेत्र स्कूल समूहों के जरिए समुदाय गतिशीलता का कार्य किया गया।
- जिम्बाब्वे में विविध खोजों की स्थापना करने के उद्देश्य से 4 कि.ग्रा. बीज कॉफी, दो भारतीय सेलेक्शन एस एल एन 5ए और एस एल एन 6 प्रत्येक के दो कि.ग्रा. तैयार कर सप्लाई किए गए।
- बहुदेशीय परियोजना की मध्य अवधि समीक्षा हरारे, जिम्बाब्वे में 28 और 29 जुलाई 2011 को आयोजित की गई और समीक्षा समिति ने परीक्षण प्लाटों का भी संदर्शन किया और 10 से 16 जनवरी 2012 तक भारत में कि क्षे स्कू समूहों और अन्य पणधारियों के साथ विचार विमर्श किया।
- 4906.25 कि.ग्रा. अरेबिका और 1404.5 कि. ग्रा. रोबस्टा को शामिल कर कुल 6310.75 कि. ग्रा. बीज परम्परागत क्षेत्रों में वितरित किया गया। इसके अलावा, आर सी आर एस, आर.वी.नगर में विभिन्न स्टेशन संवर्धित सेलेक्शन के 4190 कि. ग्रा. बीज कॉफी तैयार कर गैर परम्परागत क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वितरित किया गया।
- कॉफी उपजकर्ताओं को 21,255 रोबस्टा किस्म सीX आर क्लोन आपूरित किए गए।
- एस 795 में किट्ट प्रतिरोध/प्रबन्धन प्रजनन हेतु S_H3 जीन के लिए एस सी ए आर मार्कर्स की वैधता के प्रयोग के अधीन पौधों के परीक्षण (स्क्रीनिंग) के लिए किट्ट प्रजाति I एवं VIII को कृत्रिम रूप से संरोपित किया गया। जैव अपश्लेषण ने इंगित किया कि S_H3 सकारात्मक पौधे प्रजाति I के लिए प्रतिरोधक थे पर प्रजाति VIII के लिए सुग्राही थे जबकि S_H3 नकारात्मक पौधों ने प्रजाति I और प्रजाति VIII दोनों के लिए सुग्राही प्रतिक्रिया प्रकट किया।
- सम्पूर्ण जेनोमिक डी एन ए को सन्दर्भ प्रभेदों के साथ 300 बी टी पृथक्कों से अलग किया गया। उन्हें एस आर पी 127 एफ व आर प्रथमकों और क्राई 11, क्राई 3 जीन के लिए डिजाइन किए गए प्रथमको के साथ स्क्रीन किया गया।

- अरेबिका और रोबस्टा कॉफी पर एकीकृत पोषण प्रबन्धन (आई एन एम) पर क्षेत्र प्रयोगों ने इंगित किया कि उपचारो के बीच पोषक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होता था। केवलअजैविक स्रोत अथवा उर्वरकों की कम मात्रा के साथ एकीकृत करते हुए जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसल में खासी वृद्धि रिकार्ड की गई। परन्तु दोनों एक दूसरे के समकक्ष रहे।

- जैविक और अजैविक पोषक स्रोतों के प्रभाव के अध्ययन हेतु क्षेत्र प्रयोग ने इंगित किया कि रसायनिक उर्वरकों को 50% कम करने और भिन्न किस्म के जैविकों से प्रतिस्थापन के बाद पोषक उपलब्धता में सार्थक भिन्नता नहीं हुई।

- कॉफी उपजकर्ताओं को सेवा समर्थन के अन्तर्गत 7880 मिट्टी, 213 पत्ती और 878 कृषि रसायनिक नमूनों का विश्लेषण कर सलाह दिए गए ।

- डी बी टी परियोजना के अन्तर्गत "कॉफी के लिए आई एन एम पैकेज का विकास" जैव आद्य पौदों के क्षेत्र निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी दोनों के जैव आद्य पौदों के रोपण के दूसरे वर्ष ने बिना जैव उर्वरकों के नर्सरी में उगाए पौदों की तुलना में अच्छी उपज और पोषक उद्ग्रहण को दर्शाया।

- फार्म संक्रिया निपुणता को सुधारने के लिए उपयुक्त रोपण डिज़ाइनों और काट-छांट की विधियों के प्रयोग के अन्तर्गत बिना शीर्षकर्तन के बहु तना पर बाड़े की पंक्ति और प्रत्येक फसल कटाई के बाद चक्रीय काट-छाँट के फलस्वरुप सार्थक रुप से स्वच्छ कॉफी की अच्छी उपज प्राप्त हुई।

- अध्ययनों ने चन्द्रगिरि किस्म में उच्चतम प्रकाश संश्लेषण दर्शाया और उसके बाद कोलम्बियन काटीमोर और एस एल एन.9 में। चन्द्रगिरि किस्म को अधिक प्रकाश संश्लेषक क्षम पाया गया।

- सितम्बर के पहले सप्ताह में मोनो पोटाशियम फोसफेट (एम ए पी) जल घुलनशील फोसफोरस उर्वरक का पत्तों पर छिडकाव ने फलन गांठों को 18.17% तक बढाते हुए बी बी टी सी काटीमोर में फूल की कली के उन्नयन को सुधारा।

- सी आर एस एस, चेट्टली फार्म में, 10 वर्षों से निरीक्षण अधीन किट्ट भिन्नकों के चार असाधारण कृन्तकों में से नई किट्ट प्रजाति की वृद्धि दर्शाते केवल 4106 को सुग्राही पाया गया।

- कर्नाटक के चिकमगलूर, हासन और कोडगु जिलों और तमिल नाडू के पलनीज़ क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में किट्ट सुग्राही कृन्तकों से चौबीस असाधारण किट्ट स्पोर नमूने इकट्ठा किए गए। इनमें से पांच किट्ट प्रजातियों को विषैला जीन के साथ पहचाना गया।

- बोर्डो मिश्रण के प्रयोग के लिए नेफसेक मिस्टब्लो स्प्रेयर और गेटर रॉकर स्प्रेयर के निष्पादन की तुलना करने के लिए एक क्षेत्र प्रयोग से आंकडों ने दर्शाया कि नेफसेक मिस्टब्ली स्प्रेयर फफूँदीनाशी घोल की मात्रा में 20% की कमी ला सकता है।

- पत्ती किट्ट प्रबन्धन के लिए पुष्पण पूर्व और मानसूनोत्तर अवधि के दौरान कोंटेफ और मानसून पूर्व अवधि के दौरान बोर्डो मिश्रण के छिडकाव के फलस्वरुप पत्ती किट्ट का प्रादुर्भाव बहुत कम रहा।

- *माइरोथेशियम रोरिडम* द्वारा नर्सरी में उत्पन्न तना ऊतिक्षय और पत्ती स्पॉट रोग के प्रबन्धन हेतु प्रयोगों ने दर्शाया कि व्यवस्थित फफूँदनाशी फोलिकर 25 ईसी (टेबुकोनाजोल) सबसे अधिक प्रभावशाली था। उसके बाद टिल्ट 25 ईसी (प्रोपिकौनाजोल) था।

- अरेबिका पौधे,जिनके मुख्य तना को इस्तेमाल किए गए उर्वरक बैग से काटे गए कतरनों का प्रयोग कर लपेटा गया था वे बोरर के आक्षेप से मुक्त थे।

- डी बी टी परियोजना "कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रतिरोधक अरेबिका कॉफी पौधे का विकास" के अन्तर्गत,

273 बी टी प्रभेदों को कृत्रिम खुराक देते हुए स्क्रीन किया गया। इनमें से कोई भी नवजात लार्वा के विनाशिता का कारण नहीं थे।

- दक्षिण भारत के अरेबिका कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में "कॉफी/तना बेधक के विरूद्ध प्रबन्धन हस्तक्षेपों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक मिशन मोड़ एक्शन कार्यक्रम को अक्तूबर 2011 में आरम्भ किया गया और यह मार्च 2012 तक जारी रहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक और तमिल नाडु के कॉफी क्षेत्रों में बोरर क्रिया कलाप के प्रमुख क्षेत्रों में तना बेधक के बारे में प्रशिक्षण देने और हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए 12 टीम बनाए गए। इन छ: महीनों की अवधि में 213 निरुपण आयोजित किए गए जिसमें 6148 उपजकर्ताओं ने भाग लिया।
- "मादा लिंग फेरोमोन की पहचान और समागम सफलता में उसकी भूमिका और कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर द्वारा पोषक पौधाचयन के लिए उत्तरदायी कैरोमोन की पहचान" परियोजना के अन्तर्गत और उत्पतों को संग्रहित करने के लिए किट को देशी रूप से बनाया गया। किए गए भिन्न प्रयोगों से सार्थक अनुमान यह था कि नर ने मादा फेरोमोन के प्रति सकारात्मक प्रत्युत्तर दर्शाया। नरमादा उत्पतों से उत्पतों को दोनों लिंगों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। सहचरित या सगर्भ मादाओं ने अरेबिका एस.795 और वृक्ष कॉफी प्रजाति (80% से अधिक) से उत्पतों के प्रति उच्च सकारात्मक प्रत्युत्तर दिखाया जबकि रोबस्टा एस.274 से उत्पतों के प्रति प्रत्युत्तर केवल 33% था।
- अवधि के दौरान व्हाइट स्टेम बोरर के विरूद्ध प्रयोग के लिए उपजकर्ताओं को 7980 क्रास वेन फेरोमोन ट्रैप्स सप्लाई किए गए।
- कॉफी बेरी बोरर के विरूद्ध प्रयोग के लिए कीटरोग जनक फफूँदी *बेवेरिया बासियाना* का फार्म पर उत्पादन को लोकप्रिय बनाया गया। 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिलचस्पी रखने वाले उपजकर्ताओं को स्टारटर कल्चर सप्लाई किया गया। फार्म पर स्थित इकाईयों से प्राप्त फफूँदी संवर्धों की क्वालिटी जांच की गई।
- खेतों में बेरी बोरर प्रादुर्भाव पर ट्रैप्स की स्थापना के प्रभाव पर अध्ययन ने दर्शाया कि अगर ट्रेप्स की स्थापना की जाती है तो खड़ी फसल पर संक्रमण 36% कम हो सकता है।
- अवधि के दौरान कर्नाटक और केरल राज्यों में उपजकर्ताओं को प्रलोभन के साथ 59,625 ट्रैप्स सल्पाई किए गए। ट्रैप्स में प्रलोभनों को फिर से भरने के लिए 2748 लीटर प्रलोभन सामग्री सप्लाई किया गया।
- मिली बग परजीव्याम को पालने का काम फिर से शुरु किया गया और मिली बग के जैव नियंत्रण के लिए उपजकर्ताओं को 34,000 परजीव्याभ सप्लाई किए गए।
- निराई विधियों की निपुणता पर अध्ययन ने दर्शाया कि खरपतवार नियंत्रण के यांत्रिक और रासायनिक विधि से, हस्त निराई की अपेक्षा क्रमश: 51-55% और 46-62% बचत होती है।
- रोबस्टा में यांत्रिकी कटाई मशीनों का प्रयोग कर किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि हस्त कटाई की तुलना में यांत्रिक कटाई मशीन का प्रयोग करने पर इसकी क्षमता 37.7% अधिक पाई गई

विस्तरण एवं विकास :

परम्परागत क्षेत्र:

- वर्ष 2011-12 के दौरान विस्तरण कार्मिकों ने 25,424 एस्टेटों का संदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न कॉफी प्रौद्योगिकियों पर 6,142 क्षेत्र प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया और उपजकर्ताओं को 2,368 सलाहकारी पत्र जारी किए। इसके अलावा उन्होंने कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 61 ग्राम स्तरीय बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्पर्क कार्यक्रम/अध्ययन दौरों/प्रशिक्षिण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।
- छोटे और लघु कॉफी उपजकर्ताओं के ज्ञान स्तर, नैदानिक योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए

2011-12 के दौरान 44 किसान सहभागिता पद्धति समूहों का निर्माण किया गया और एफ पी एम के अन्तर्गत 89 कायर्शालाओं का आयोजन किया गया।

- उपजकर्ताओं को विभिन्न कॉफी खेती पहलुओं, नाशिकीट/रोगों के एकीकृत प्रबन्धन, क्वालिटी कॉफी बनाने आदि पर प्रशिक्षित करने और कॉफी बोर्ड की योजनाओं को विस्तृत प्रचार देने के लिए 20 समूह संचार/सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 2011-12 के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत 2104 उपजकर्ताओं को अच्छादित किया गया।

- रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान 3186 हे क्षेत्र को पुनर्रोपण के अन्तर्गत लाया गया। जल आवर्धन के अन्तर्गत 2928 इकाइयों और विकास समर्थन योजना के क्वालिटी उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3020 इकाइयों के लिए उपदान दिए गए।

- फार्म संक्रियाओं का यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत 18380 मशीनरियों को समर्थन प्रदान किया गया जिससे 16,619 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

ख. गैर परम्परागत क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश व ओडिशा):

- रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के विस्तरण कार्मिकों ने इन राज्यों के कॉफी उपजकर्ताओं के लाभ के लिए 2477 जोतों का संदर्शन किया, 589 क्षेत्र निरुपण 266 समूह बैठकों का आयोजन किया और 16 सलाहकारी पत्र जारी किए।

- कुल 1,000 जनजाति उपजकर्ताओं को कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर एक,एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा 10 क्वालिटी जागरुकता मुहिमों का भी आयोजन किया गया और उपजकर्तओं को फार्म पर प्रसंस्करण, पक्का सुखाने वाले यार्ड के निर्माण की आवश्यकता, पल्पर्स का प्रयोग करते हुए धुली कॉफी तैयार करना, कॉफी का उचित भण्डारण आदि पर प्रशिक्षण दिया गया। इस क्षेत्र से 36 उपजकर्ताओं को परम्परागत कॉफी उपजाने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरे पर ले जाया गया।

- आई टी डी ए की सहायता से लगभग 3029 हे को कॉफी अधीन लाया गया। 1046 पक्का सुखाने वाले यार्ड का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र के उपजकर्ताओं को 250 बेबी पल्पर्स सप्लाई किए गए।

- वर्ष के दौरान चिन्तापल्ली में स्थापित मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स में कुल 1237 कि.ग्रा पार्चमेंट कॉफी का प्रसंस्करण किया गया।

- श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत 1064 छात्रों को 19.89 लाख ₹ की सहायता दी गई।

ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोर्ड के विस्तरण कार्मिकों ने 2,468 कॉफी जोतों का संदर्शन किया। उन्होंने कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर कॉफी उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 1200 क्षेत्र निरुपण,371 समूह बैठकों और 1680 उपजकर्ताओं को लाभान्वित करते हुए 91 फार्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 767 सलाहकारी पत्र जारी किए। 53 क्वालिटी जागरुकता मुहिमों का आयोजन किया गया जिससे 939 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

- भारतीय बागान प्रबन्धन संस्थान, बेगलूर के सहयोग से "कॉफी व्यापार हेतु वित्तीय और लागत प्रबंधन" नामक पहुँच कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रान्तों के 25 जनजाति कॉफी उपजकर्ताओं ने भाग लिया। 24 आन्तरिक अध्ययन दौरा कार्यक्रम और 2 बाह्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे297 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

- लगभग 448 हे में कॉफी विस्तारण और लगभग 144 हे में समेकन के कार्य को लिया गया है। 2011-12 के दौरान, 23 सुखाने वाले यार्ड के निर्माण हेतु सहायता प्रदान किया गया और उपजकर्ताओं को 260 सुखाने वाले ट्रे और 107 बेबी पल्पर्स का वितरण किया गया।

- बुआलपुई, मिज़ोरम के मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्कस गुवाहटी में लगभग 168 मे.ट. सूखी कच्ची कॉफी का प्रसंस्करण किया गया। कॉफी बोर्ड ने इस क्षेत्र में उत्पादित कॉफी के संग्रहण, प्रसंस्करण, प्रेषण और निपटान के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा।
- श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत 55 छात्रों को 92,000/- ₹ का वित्तीय सहायता प्रदान किया गया।

प्रोन्नति:

- बाह्य कॉफी प्रोन्नति क्रिया कलापों के भाग के रुप में भारतीय कॉफी निर्यातकों के सक्रिय अर्न्तग्रस्तता से बोर्ड ने संराअ, नीदरलैण्ड्स, सिडनी, कोलोन जर्मनी, मॉस्को, टोक्यो, टोरन्टों, इटली, यूक्रेन, सियोल, कज़ाकिस्तान,नूरेमबर्ग, दुबई, लहौर,जकार्ता, ओटावा और स्पेन में व समुद्रपारीय प्रदर्शनियों/क्रेता- विक्रेता बैठकों में भाग लिया।
- बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों में 57 आन्तरिक प्रदर्शनियों में भाग लिया जिसमें चण्डीगढ़, कोलकाता, कोयम्बतूर, मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, जयपुर,चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलूर, कोचिन, गोवा और हैदराबाद शामिल हैं।
- नई दिल्ली में 18 से 20 जनवरी 2012 तक आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी उत्सव का चौथा संस्करण काफी सफल रहा। "कॉफी के साथ बढ़ाना" प्रकरण के साथ आस्ट्रेलिया नीदरलैण्ड्स, इटली, जर्मनी, नाइजेरिया, केन्या, नोरवे, स्वीडन, बेल्जियम, और सं रा अ को शामिल कर 16 देशों से 400 से भी अधिक उत्सुक व्यक्तियों ने भाग लिया। उत्सव का उद्घाटन श्री आनन्द शर्मा, माननीय वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र मंत्री ने किया। श्री रोबेरियो ओलिवीरा सिल्वा,कार्यकारी निदेशक, आई सी ओ सम्माननीय अतिथि थे। इस सम्पूर्ण सम्मेलन का सम्बोधन,योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मान्टेक सिंह अहलूवालिया ने किया।समापन सत्र का सम्बोधन डॉ अनूप पुजारी, डी जी एफ टी ने किया। इस उत्सव में सम्भावी उद्यमकर्ताओं के लिए कौशलपूर्ण कार्यशालाओं के साथ साथ एक शानदार प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया गया ।
- कॉफी के उत्सुक दुनिया में उद्यमी निपुणता के लिए रास्ता बनाने के लिए इण्डियन कॉफी ट्रस्ट ने घरेलू कॉफी दृश्यावली में नई प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केफे पुरस्कारों के लिए शानदार केफे प्रतियोगिता की स्थापना की। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया, रोस्टर्स, क्यूरिंग स्थापनाओं, केफे और बरिस्टा के श्रेणियों में विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे। माननीय राज्य मंत्री ने आई आईसी एफ 2012, नई दिल्ली में कुल 13 केफे को पुरस्कार प्रदान किया।
- 2011-12 के दौरान प्रसंस्करण हेतु समर्थन के लिए 33 मामलों का प्रक्रम किया गया जो पिछले वर्ष 24 था।

बाजार अनुसंधान और इंटेलिजेंस:

- इकाई ने मार्केट विश्लेषण के लिए मूलभूत एवं तकनीकी घटकों के साथ मूल्य, आपूर्ती एवं मांग पर दैनिक मार्केट सूचना (वैश्विक एवं भारतीय) को एकत्रित एवं समेकित कर उद्योग के विभिन्न सेक्टर के साथ-साथ सरकार को देने का कार्य जारी रखा।
- वर्ष के दौरान इकाई ने जून, अक्तूबर 2011 और जनवरी, मार्च 2012 के महीनों के लिए कॉफी पर डेटा बेस के 4 अंक प्रकाशित किया।
- 2010-11 का अन्तिम प्राक्कलन और 2011-12 के लिए पुष्पणोत्तर और मानसूनोत्तर प्राक्कलन के साथ फसल प्रागुक्ति की गई।
- डब्ल्यू टी ओ और कॉफी के व्यापार नीति से सम्बन्धित मामलों पर बोर्ड एवं सरकार को आर्थिक एवं विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया।
- इकाई ने (1) कॉफी उपजकर्ताओं के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी), (2) भारत सरकार का मूल्य स्थिरीकारण निधि योजना, (3) रूस और सी आई एस देशों को भारतीय कॉफी निर्यात का संवर्धन पर बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) स्कीमके कार्यान्वयन का समन्वयन किया।

- आर आई एस सी के तहत 9580 हे. के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए 6384 कॉफी उपजकर्ताओं ने बीमा लिया है। 2011-12 में संग्रहित कुल प्रीमियम 92.17 लाख था। इसमें प्रीमियम उपदान घटक का सरकार का शेयर 46.09 लाख था जिसे भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि.को रिलीज़ किया गया।

- मूल्य स्थिरीकारण निधि ट्रस्ट ने 2011-12 और 2012-13 में वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स.चोलमण्डलम एम एस जनरल बीमा कम्पनी लि. को चुना है। प्रति वर्ष 22.06 ₹ के वार्षिक प्रीमियम दर को लाभानुभोगी उपजकर्ता/मजदूर और पी एस एफ टी के बीच 50:50 अनुपात के आधार पर शेयर किया जाएगा अर्थात् उपजकर्ता/मजदूर 11.03 ₹ अदा करेगें जबकि पी एस एफ टी का अंशदान 11.03 ₹ होगा। 31.03.2012 को यथास्थिति, 98,672 ₹ की कुल प्रीमियम राशि के साथ वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 4479 सदस्य (3809 उपजकर्ता और 670 मजदूर) नामांकित हुए। चालू वर्ष में वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत इनमें से किसी भी उपजकर्ता या मजदूर ने कोई दावा नहीं किया है।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान रुस और सी आई एस देशों को भारतीय कॉफी निर्यात की प्रोन्नति के अन्तर्गत भारत सरकार ने कॉफी बोर्ड को 112.48 लाख ₹ का तीसरा और अंतिम किस्त रिलीज़ किया और समस्त राशि का उपयोग शेष अदायगी के निपटान के लिए किया गया।

क्वालिटी :

- बेंगलूर और चिकमगलूर के कॉफी मूल्यांकन केन्द्रों में 635 वाणिज्यिक और 363 अ व वि नमूनों को शामिल कर कुल 998 कॉफी नमूनों का मूल्यांकन प्रत्यक्ष और ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए किया गया।

- कॉफी भुनाई और पैकेजिंग उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकों पर जागरूकता लाने और अच्छी क्वालिटी कॉफी ब्रू करने के लिए तकनीकों का प्रदर्शन करने हेतु कापी शास्त्र के अन्तर्गत 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- कॉफी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और रिटेल बिक्री पर छः एक दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- "फ्लेवर ऑफ इण्डिया-2011" की अन्तिम राउण्ड की कप्पिंग 20 जून को एमस्टरडम, नीदरलैण्ड्स में हुई। 232 नमूनों में से 34 नमूनों को अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए भेजा। विजेताओं को 'फ्लेवरऑफ इण्डिया-द फाइन कप अवार्ड - कप्पिंग प्रतियोगिता 2011' पुरस्कारों का वितरण 23.12.2011 को आयोजित 'कॉफी अवार्डस्' में किया गया।

- फ्लेवर ऑफ इण्डिया-द फाइन कप अवार्ड - कप्पिंग प्रतियोगिता 2012 के लिए परामर्श समिति की बैठक 2 फरवरी 2012 को आयोजित हुई। प्रतियोगिता के लिए कुल 219 कॉफी नमूने प्राप्त हुए। मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में कप्पिंग के अंतिम राउण्ड के लिए 39 नमूने चुने गए।

- कॉफी बोर्ड ने स्पेशियालिटी कॉफी एसोसियेशन ऑफ अमरीका कोनक्लेव में कप्पिंग ऑफ कॉफीज़ ऑफ इण्डिया नामक एक कप्पिंग सत्र का आयोजन किया और एस सी ए ए, होस्टन टेक्सास में 29 अप्रैल 2011 को केन्नत डेविड्स का "फ्लेवर ऑफ इण्डिया" प्रोफाइल को रिलीज़ किया।

प्रशासन :

- वर्ष 2011-12 के दौरान तीन बोर्ड की बैठकें, कार्यकारी व प्रचार समिति प्रत्येक की एक बैठक, विपणन समिति की एक बैठक, अनुसन्धान समिति की तीन बैठकें, विकास समिति की दो बैठकें और क्वालिटी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। गैर सांविधिक समितियों में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया।

- 31.3.2012 को यथास्थिति बोर्ड की स्टाफ संख्या 926 थी जिसमे 85 वर्ग ' क' अधिकारी, 190 वर्ग 'ख' अधिकारी और 651 वर्ग 'ग' कर्मचारी थे।

- कॉफी बागानों और कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में स्थित कॉफी संसाधन संस्थापनों में नियुक्त श्रमिकों के बच्चों के हित के लिए शैक्षणिक वृत्तियों, प्रोत्साहन पुरस्कारों और वित्तीय सहायता

के लिए 2011-12 के दौरान श्रम कल्याण उपाय के तहत 1,40,35,500/- ₹ की राशि मंजूर की गई। लाभानुभोगियों की कुल संख्या 7,333 थी।

- वर्ष के दौरान गृह निर्माण अग्रिम के लिए कर्मचारियों को 4,40,300/- ₹ की राशि स्वीकृत की गई। अवधि के दौरान बोर्ड ने सवारी खरीद अग्रिम के लिए 2,84,800/- ₹ की राशि की भी स्वीकृति दी।

- बोर्ड के इंजीनियरिंग प्रभाग ने 2.53 करोड़ रूपयों के व्यय के साथ विभिन्न संरचनात्मक विकास एवं अनुरक्षण कार्य किया है ।

सतर्कता एवं कानूनी :

- सतर्कता प्रभाग ने जुर्माना लगाते हुए छः मामलों का निपटान किया और 10 मामले निपटान के लिए लम्बित हैं।

- देशभर में स्थित कॉफी बोर्ड के कार्यालयों में 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

- वर्ष के आरंभ में 52 अदालती मामले लम्बित थे और 12 नए मामले जोड़े गए। इन 64 मामलों में 10 विपणन मामले, 41 सेवा मामले, 6 सीडीआरपी और 7 अन्य मामलों से संबंधित थे । वर्ष के दौरान 18 मामलों को निपटाया गया ।

- मेसर्स कोठारी ऑयल प्रोडक्ट्स लि. के विरुद्ध बोर्ड द्वारा दायर वसूली मुकदमा बोर्ड के पक्ष में आज्ञप्त हुआ और कंपनी ने उच्च न्यायालय में 30 लाख ₹ की राशि जमाकर ट्रायल कोर्ट आदेश को चुनौती देते हुए आर एफ ए दायर किया है ।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं / क्रिया कलाप :

- पारम्परिक क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और गैर पारम्परिक क्षेत्र के कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित सभी X वीं योजना स्कीम के निष्पादन का यूनिवर्सिटी ऑफ अग्रीकल्चरल साइन्सस, बेंगलूर की विशेषज्ञ समिति ने मूल्यांकन किया । अपने संदर्शन के दौरान इस टीम ने कॉफी उपजकर्ताओं एवं बोर्ड के अधिकारियों से विचार विमर्श किया और अपने विचारों एवं सिफरिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया ।

- XII वीं योजना प्रस्ताव तैयार करने के विषय पर कॉफी बोर्ड ने समय समय पर पणधारियों के साथ परामर्श किया । अपर सचिव प्लांटेशन्स, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में बेंगलूर तथा गुवाहाटी में इस तरह की बैठकें हुई।

- श्री कालराज मिश्र, माननीय सांसद की अध्यक्षता में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी संसदीय समिति (राज्य सभा) तथा श्री पी करूणकरन, माननीय सांसद की अध्यक्षता में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी संसदीय समिति (लोक सभा) ने क्रमशः जून 2011 एवं फरवरी 2012 के दौरान बेंगलूर का संदर्शन किया और बोर्ड के क्रिया कलापों की समीक्षा की।

- श्री शांताकुमार, माननीय सांसद की अध्यक्षता में विभाग सम्बन्धी संसदीय स्थाई समिति, वाणिज्य ने 27-28 फरवरी 2012 को शिलांग एवं मेघालय की भेंट की और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉफी उद्योग के विभिन्न पणधारियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों एवं कॉफी बोर्ड के साथ प्लांटेशन सेक्टर के कार्य निष्पादन पर विचार विमर्श किया ।

- अनुसंधान एवं विस्तरण विभाग में सभी रिक्तियों को भरने के लिए बोर्ड ने कार्रवाई शुरु की। जून 2011 के दौरान अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए जिसमें रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन पत्र माँगे गए थे । 3018 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनकी संवीक्षा की गई तथा साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों को चुना गया ।

- भारतीय बागान प्रबन्ध संस्थान ने प्लांटेशन सेक्टर में मौजूद संरचनात्मक दुर्बलता का अध्ययन किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया । अपनी रिपोर्ट में उन्होंने प्रोन्नति निदेशालय और विस्तरण निदेशालय के सृजन हेतु सिफारिश की है जो ब्रेंड निर्माण, निर्यात संवर्धन, घरेलू उपभोग की प्रोन्नति, कार्पोरेट कम्यूनिकेशन और अन्य सम्बन्धित कार्यों को देखें तथा साथ में बोर्ड की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन को सुकर बनाए । तदनुसार बोर्ड ने प्रोन्नति निदेशालय एवं विस्तरण निदेशालय के पुनः प्रवर्तन / सृजन हेतु कार्य आरंभ कर दिया है ।

- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट द्वारा किए गए सिफरिशों के अनुपालन में, बोर्ड ने नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन किया। कॉफी बोर्ड द्वारा पेश किए गए विभिन्न सेवाओं और उन्हें पूरा करने की समय सीमा इत्यादि के बारे में सूचना सभी उप कार्यालयों में प्रदर्शित की गई । इन सूचनाओं में उस अधिकारी का नाम भी प्रदर्शित किया गया था जिनके समक्ष समय सीमा में कार्य पूरा न होने की स्थिति में नागरिक अभ्यावेदन दे सकते हैं ।

राजभाषा का कार्यान्वयन :

- राजभाषा स्कन्ध ने राजभाषा अधिनियम, नियम और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया ।
- यह सुनिश्चित किया गया कि मंत्रालय और 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को लिखे गए सभी पत्र द्विभाषी रुप में भेजे गए।
- हिन्दी के प्रयोग और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना आरम्भ किए गए कम्प्यूटरोंमें साफ्टवेयर पैकेज लगाए गए, कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और इसको मानीटर करने के लिए समय समय पर अनुभागों का निरीक्षण किया गया ।
- अन्तर कार्यालयीन हिन्दी भाषण प्रतियोगता, हिन्दी दिवस समारोह सभी को अपनी योग्यता और प्रवीणता दिखलाने का अवसर प्रदान करता है।
- उप-कार्यालयों का निरीक्षण और कार्यशाला, वाणिज्य विभाग के हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना, हिन्दी पुस्तको की खरीद, कॉफी विज्ञापनों का रिलीज, राजभाषा स्कन्ध का मुख्य विषय सूची रहा ।
- कॉफी बोर्ड को वर्ष 2011-12 के लिए 'ग' क्षेत्र में स्थित वाणिज्य विभाग के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित आदेशों के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। यह ट्रॉफी अगस्त 2012 में हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने प्रदान किया।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अधीन वर्ष2011-12 के दौरान सूचना/कागज़ात की मांग करते हुए भारत के नागरिकों से बोर्ड ने 76 आवेदन प्राप्त किए। पिछले वर्ष के बाकी बचे 6 आवेदनों को शामिल कर कुल 82 आवेदन निपटान हेतु मौजूद थे। वर्ष के दौरान 72 आवेदनों को निपटाया गया और 10 आवेदन निपटान हेतु लम्बित हैं।

****

अध्याय - II

बोर्ड का गठन एवं कार्य

कॉफी बोर्ड, संसद द्वारा अधिनियमित कॉफी अधिनियम 1942 के तहत गठित वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण अधीन एक सांविधिक संगठन है।

बोर्ड में, अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक हैं को शामिल कर 33 सदस्य होते हैं और सांसदों, कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल कर 32 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

वर्तमान बोर्ड को 05.11.2009 से 04.11.2012 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया।

वर्ष 2011-12 के दौरान कॉफी बोर्ड के सदस्य (01.04.2011 से 31.03.2012 तक)

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान श्री जावेद अख़्तर, आई.ए.एस बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के विभिन्न समितियों के पदेन अध्यक्ष भी थे।

उपरोक्त अवधि के दौरान पुनर्गठित बोर्ड के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

01.04.2011 से 31.03.2012 तक बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र सं	श्रेणी	कॉफी नियम 1955 के अधीन नियुक्त	सदस्यों की संख्या	नाम सर्वश्री
1	सांसद (लोक सभा)	नियम 3 (1)	2	डी वी सदानन्द गौडा **(29 दिसम्बर 2011 तक)** पी टी थामस
	सांसद (राज्य सभा)	नियम 3 (1)	1	ऑस्कर फर्नांडिस
2	प्रमुख कॉफी उगाने वाले राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (क)	4	**डॉ ए.विद्यासागर, आई.ए.एस** प्रधान सचिव (जन जातीय कल्याण) समाज कल्याण विभाग आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद **वन्दिता शर्मा, आई ए.एस सचिव,** कर्नाटक सरकार बागबानी विभाग कर्नाटक सरकार, बेंगलूर **टी बालकृष्णन, आई.ए.एस** प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम

क्र सं	श्रेणी	कॉफी नियम 1955 के अधीन नियुक्त	सदस्यों की संख्या	नाम सर्वश्री
				डॉ पी राममोहना राव, आई.ए.एस (10.08.2011 तक) **डॉ के.अरुल मोझी, आई.ए.एस** (11.08.2011 से 02.11.2011 तक) **सन्दीप सक्सेना, आई.ए.एस** (03.11.2011 से) कृषि उत्पादन आयुक्त व सचिव तमिल नाडू सरकार, चेन्नई
3	बड़े कॉफी उपजकर्ता प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ख)	3	1. अनिल कुमार भण्डारी 2. अजय तिप्पय्या 3. ए. नन्दा बेल्लियप्पा
4	छोटे कॉफी उपजकर्ता प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ख)	7	1. डी.एम. विजय 2. ए.तारा अय्यम्मा 3. चन्द्रमति गणेश 4. एच.एन.देवराज 5. जे.गणेश 6. कोट्टगुल्ली चिट्टी नायडू (25.12.2011 को स्वर्गवास) 7. जबीर असगर
5	कॉफी व्यापार हित प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ग)	3	1. एच.बी.बालराज 2. आशा शशिधर 3. डॉ प्रदीप केंजिगे
6	कॉफी संसाधन स्थापना प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ग)	2	1. पी.एफ.सलदान्हा 2. फयाज़ मूसाकुट्टी
7	श्रम हित प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ग)	4	1. वी.आर.जगन्नाथन 2. प्रो.के.पी.थॉमस 3. एन.एम.अड्यन्ताया (एक सदस्य की मृत्यु के कारण 18.11.2010 से एक रिक्ति)

क्र सं	श्रेणी	कॉफी नियम 1955 के अधीन नियुक्त	सदस्यों की संख्या	नाम सर्वश्री
8	प्रमुख कॉफी उगाने वाले राज्यों को छोडकर अन्य राज्यों के प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ख)	2	**टी रामचन्द्रु, आई ए एस** आयुक्त सह सचिव उद्योग विभाग, ओड़िशा सरकार, भुवनेश्वर **इमकोंगलेम्बा, आई ए एस** (20.09.2011 तक) **एल एच तंगी मन्नन** (21.09.2011 से) आयुक्त सह-सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नागालैण्ड सरकार, कोहिमा
9	उपभोक्ताओं के हित प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ग)	2	1. राधिका यतिराज 2. अल्फा राजन
10	इन्स्टेन्ट कॉफी विनिर्माता प्रतिनिधि	नियम 3 (2) (ग)	1	1. सी राजेन्द्र प्रसाद
11	कॉफी के अनुसंधान/ विपणन / प्रबंधन / प्रोन्नति के क्षेत्र में एक विशिष्ट व्यक्तित्व	नियम 3 (2) (ग)	1	डॉ एच पी सिंह, डी डी जी आई सी ए आर, नई दिल्ली

बोर्ड के कार्य

बोर्ड को सौंपे गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

i) कॉफी एस्टेटों को उनकी अभिवृद्धि हेतु सहायता।

ii) कॉफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान का संवर्धन।

iii) भारत में उत्पादित कॉफी का भारत में तथा अन्यत्र बिक्री एवं खपत का संवर्धन ।

iv) बेहतर कार्य स्थिति सुरक्षित करना और कामगारों के लिए सुविधा एवं प्रोत्साहन में सुधार और प्रावधान लाना।

v) कॉफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी प्रचालनों का प्रबन्धन।

इसके अलावा, उद्योग से सम्बन्धित सांख्यिकीय और अन्य संगत आँकडे संग्रहित कर उद्योग के विभिन्न खंडों में सूचना को प्रसारित करना और उद्योग की तरफ से सरकार, मीडिया, व्यापार और सामान्य जनता के लिए मान्य प्रवक्ता के रुप में कार्य करना और देश में कॉफी उद्योग के सम्पूर्ण बढ़त और विकास के लिए मार्गदर्शन देना है।

कॉफी बोर्ड, अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठनों, स्पेशियालिटी कॉफी संघों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में भारतीय कॉफी उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करता है और कॉफी उद्योग के लाभ के लिए उनके साथ काम करता है।

****

सांविधिक समितियां :

बोर्ड अपनी छ : सांविधिक समितियों के जरिए काम करता है। ये सभी समितियां एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त की जाती है। कॉफी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :

क्र सं	समिति का नाम	कार्य
1.	कार्यकारी समिति	कार्यकारी समिति कॉफी नियम के अधीन उसको विशेषतया सौंपे गए कार्यों को करता है। इसके अलावा प्रचार, विपणन, अनुसन्धान या बोर्ड द्वारा गठित अन्य समितियों को विशेषतया न दिए गए कार्यों को करता है।
2.	प्रचार समिति	भारत में उत्पादित कॉफी के भारत में तथा अन्यत्र बिक्री तथा उपभोग को बढ़ाने हेतु किए जाने वाले उपायों पर काम करता है।
3.	विपणन समिति	अधिनियम तथा नियम में निर्धारित कॉफी विपणन योजना के कार्यों को करता है।
4.	अनुसंधान समिति	भारत में कॉफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान की प्रोन्नति से संबंधित कार्यों को करता है।
5.	विकास समिति	कॉफी एस्टेटों के विकास हेतु किए जानेवाले उपायों से संबंधित कार्य करता है।
6.	क्वालिटी समिति	भारत में उत्पादित कॉफी की गुणता में सुधार से संबंधित सभी मामलों को संभालता है ।

गैर सांविधिक समितियां :

बोर्ड में एक गैर-सांविधिक समिति भी है अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	समिति का नाम	कार्य
1.	लेखा परीक्षा समिति	यह समिति वार्षिक लेखा से संबंधित विषयों को देखती है और लेखों पर लेखा परीक्षा आपत्ति की स्थिति का अध्ययन भी करती है।

01.01.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान बोर्ड, सांविधिक समितियों तथा गैर-सांविधिक समितियों की बैठकों का विवरण

क्र सं	समिति का नाम	बैठकों की तारीख
1.	बोर्ड की बैठकें	29.07.2011 को 193 वीं बैठक 12.11.2011 को 194 वीं बैठक 06.01.2012 को 195 वीं बैठक
2.	कार्यकारी समिति	28.07.2011 को 177 वीं बैठक
3.	प्रचार समिति	28.07.2011 को 161 वीं बैठक
4.	विपणन समिति	28.07.2011 को 304 वीं बैठक
5.	अनुसंधान समिति	28.07.2011 को 153 वीं बैठक 09.09.2011 को 154 वीं बैठक 155 वीं बैठक (परिचालन द्वारा काम काज)
6.	विकास समिति	28.07.2011 को 89 वीं बैठक 22.09.2011 को 90 वीं बैठक
7.	क्वालिटी समिति	28.07.2011 को 94 वीं बैठक
8.	लेखा परीक्षा समिति	14.06.2011 को 20 वीं बैठक 12.11.2011 को 21 वीं बैठक

****

अध्याय - III

प्रशासन एवं स्थापना

कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम,1942 (1942 के अधिनियम) के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जिसका निरन्तर उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा है और उसे सम्पत्ति प्राप्त करने और उसको अपने पास रखने, संविदा करने, मुकदमा चलाने और मुकदमा चलवाए जाने का अधिकार है।

अध्यक्ष

1. श्री जावेद अख्तर, आई ए एस, बोर्ड के अध्यक्ष हैं ।

विभागों के प्रधान

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित विभागों के प्रधान उनके नामों के सम्मुख दर्शाए पदों पर कार्यरत थे।

1. श्री एम. चन्द्रशेखर, आई टी एस, सचिव
2. श्रीमती रूपराशि, आई ए व ए एस, वित्त निदेशक
3. डॉ जयरामा, अनुसंधान निदेशक

अलग अलग विभागों एवं उनके स्कन्धों को सौंपे गए उत्तरदायित्व निम्नानुसार है :

1. सचिवालय विभाग

सचिवालय विभाग सभी प्रशासनिक (स्टाफ और कार्यालय स्थापना) और सतर्कता मामले, बोर्ड के विभिन्न प्रभागों/इकाईयों में कार्य आवंटन और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत करने के अनुपालन को मानीटर करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग श्रम कल्याण उपायों को मानीटर करने के अलावा बोर्ड और सांविधिक समितियों की बैठकें आयोजित करने का कार्य भी करता है।

सचिवालय विभाग के साथ सम्बद्ध 6 इकाई निम्नानुसार है:

i) प्रशासन इकाई
ii) राजभाषा स्कन्ध
iii) सतर्कता प्रभाग
iv) कानूनी प्रकोष्ठ
v) इंजीनियरिंग प्रभाग
vi) सूचना का अधिकार इकाई

2. अनुसन्धान विभाग

अनुसन्धान विभाग विभिन्न अनुसंधान क्रियाकलाप जारी रखने के लिए जिम्मेदार है जो पौधा प्रजनन, पौधा प्रबन्धन, रोग और नाशिकीट प्रबन्धन को शामिल कर, पौधा संरक्षण, फार्म पर एवं फार्म के बाहर संसाधन की फसलोत्तर, प्रक्रिया, प्रदूषण उपशमन आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित रहे। अनुसंधान विभाग रोपण समुदाय को सलाहकारी सेवाएं देने के साथ साथ विभिन्न पणधारियों के हित के लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विश्लेषिक प्रयोगशाला तथा क्वालिटी प्रभाग, अनुसंधान विभाग के अन्य स्कन्ध हैं जो उद्योग को क्वालिटी मूल्यांकन सहयोग प्रदान करते हैं।

3. विस्तरण तथा विकास विभाग

बोर्ड का विस्तरण विभाग कॉफी की उच्च उत्पादकता तथा क्वालिटी स्तरों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु अनुसन्धान समुदाय तथा कॉफी उपजकर्ताओं के बीच कड़ी स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है । यह विभाग XI योजना में परिकल्पित अनुसार कॉफी खेती से संबन्धित विभिन्न क्रिया कलापों, उत्पादन एवं क्वालिटी की उन्नति पर कॉफी उपजकर्ताओं को विकास सहायता भी प्रदान करता है।

4. बाजार व प्रोन्नति विभाग

विभाग का निर्यात अनुभाग, निर्यातकों के पंजीकरण, पंजीकरण का नवीकरण, निर्यात परमिट जारी करने, निर्यात परमिटों के लिए आई सी ओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भारत से कॉफी के निर्यात परमिट के लिए कॉफी उत्पत्ति के मूल का आई सी ओ प्रमाणपत्र जारी करने के साथ दूरस्थ बाजारों को उच्च मूल्य कॉफी के निर्यात हेतु प्रोत्साहन समर्थन देने और इण्डिया ब्रैंड के रूप से मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात को बढ़ाने और कॉफी निर्यातों में सर्वोत्तम निष्पादन की पहचान में निर्यात पुरस्कार देने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इवेन्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के संविमर्श में भाग लेने और ब्रैंड प्रोन्नति क्रिया कलापों के जरिए बाह्य प्रोन्नति की गई थी।

घरेलू प्रोन्नति के अन्तर्गत संवर्धनीय क्रिया कलापों को घरेलू घटनाओं में भाग लेने, मीड़िया मुहिम और कॉफी भुनाई, पीसने और पैकेजिंग इकाई लगाने के लिए भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के जरिए किया गया। यह प्रशिक्षण, प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने के लिए स्कीम का पूरक था।

मार्केट अनुसंधान एवं इंटेलिजेन्स इकाई ने उद्योग के सुगमीकारक के रुप में बोर्ड की भूमिका के तौर पर अपनी बाजार सूचना और इन्टेलिजेंस क्रिया कलापों को जारी रखा। यह फसल स्थिति फसल प्राक्कलन तथा बाजार आँकडे/सूचना, उद्योग से सम्बन्धित निर्यात और उपयोगी व्यापार सम्बन्धी आँकडे का दैनिक आधार पर मानीटर करते हुए उनकी सूचना देती हैं।

5. लेखा व वित्त विभाग

बोर्ड का लेखा और वित्त विभाग, बोर्ड के बजट का आवंटन/प्रशासन, बोर्ड के लेखों का प्रबन्धन और वित्त प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी मामलों को देखता है। बोर्ड की आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टी (आई ए पी), बोर्ड के कृत्यकारी और रिकार्डों के रख रखाव में सुचारुता को सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यालय और उप कार्यालयों के वित्त और लेखा के आन्तरिक जाँच हेतु विभाग का एक अंश है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यालय में परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है ।

सचिवालय विभाग

प्रशासन इकाई :

(क) पदोन्नति :

- दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक (विस्तरण) के काडर में पदोन्नत किया गया।
- दो अधिकारियों को उप निदेशक (विस्तरण) के काडर में पदोन्नत किया गया ।
- एक अधिकारी को विषय विशेषज्ञ के काडर में पदोन्नत किया गया।
- दो अधिकारियों को सहा. विशेषज्ञ के काडर में पदोन्नत किया गया ।

(ख) कैरियर सुधार योजना (सी आई एस):

कनिष्ठ स्तर के वैज्ञानिकों के लिए कैरियर सुधार योजना के अन्तर्गत 10 अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया।

(ग) संशोधित आश्वस्त प्रगतिक्रम योजना (एम ए सी पी एस) :

वर्ष के दौरान संशोधित आश्वस्त प्रगतिक्रम योजना (एम ए सी पी एस) के अन्तर्गत 664 कार्मिकों को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया ।

(घ) संशोधित नम्य पूरक योजना (एम एफ सी एस):
रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान स्तर 1 अनुवीक्षण समिति द्वारा योग्य वैज्ञानिकों की अनुवीक्षा की जा रही है।

ङ) स्थानान्तरण : सामान्य स्थानान्तरण के दौरान 84 अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया जो इस विषय पर मार्गदर्शनों के आधार पर किए गए थे और जिनका विवरण निम्न है:

वर्ग	स्थानान्तरित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या
'क'	24
'ख'	24
'ग'	36

च) **कर्मचारी कल्याण उपाय**

i) **सवारी खरीद अग्रिम :**

सवारी खरीद अग्रिम के लिए 5 कर्मचारियों को 2,84,800/- ₹ की राशि अनुमोदित की गई।

ii) **वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम :**

वैयक्तिक कम्पयूटर अग्रिम के लिए 21 कर्मचारियों को 6,30,000/- ₹ की राशि अनुमोदित की गई।

iii) **गृह निर्माण अग्रिम :**

गृह निर्माण अग्रिम के लिए एक कर्मचारी को 4,40,300/- ₹ की राशि अनुमोदित की गई।

iv) **सामूहिक बचत सहबद्ध बीमा योजना :**

बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से "सामूहिक बचत सहबद्ध बीमा योजना" को संचालित करता है। विभिन्न श्रेणी के 893 कर्मचारी इस योजना में नामांकित हैं। वर्ष के दौरान 22 सदस्यों को 8,02,415/- ₹ की राशि का निपटारा किया गया।

छ) **श्रम कल्याण उपाय**

i) **शैक्षणिक वृत्ति :** शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में एस एस एल सी पास करने वाले छात्रों और शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में एस एस एल सी के पश्चात प्रथम वर्ष पी यू सी, पोलीटेकनीक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे उच्च अध्ययन लेने वाले छात्रों को प्रति छात्र 1500/- ₹ के दर पर छात्रवृत्ति दिए गए।

ii) **प्रोत्साहन पुरस्कार :-** शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में एस एस एल सी की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए प्रत्येक प्रभाग में एक छात्रा को 1500/- ₹ और एक छात्र को 1000/- ₹ का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया ।

iii) **वित्तीय सहायता :-** व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेकर पढ़ने वाले छात्रों के अलावा ग्रेजुएट छात्रों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से योजना को 2009-2010 से संशोधित किया गया। वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	पाठ्यक्रम का विवरण	पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र को राशि
1	मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मेसी, बीएससी व एमएससी नर्सिंग और ए एन एम पाठ्यक्रम जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम	₹ 5,000/-
2	ग्रेजुएशन	₹ 2,500/-

श्रम कल्याण उपाय के अन्तर्गत बोर्ड ने वर्ष के दौरान 1,40,35,500/-₹ की राशि प्रदान की। लाभान्वितों की कुल संख्या 7,333 थी।

31.03.2012 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड की कुल स्टाफ संख्या

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति और महिला स्टाफ की संख्या के साथ 31.03.2012 को यथास्तिति कॉफी बोर्ड की वर्गवार स्टाफ संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र सं	कुल		अ.जा/अ.ज.जा				महिला	
	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	अ.जा (सं)	अ ज.जा (सं)	कुल का %		महिला कार्मिक	कुल का %
					अ.जा	अ ज.जा		
1	क	85	15	7	17.65	8.24	11	12.94
2	ख	190	35	8	18.42	4.21	24	12.63
3	ग	651	120	35	18.43	5.38	107	16.44
	योग	**926**	**170**	**50**	**18.36**	**5.40**	**142**	**15.33**

राजभाषा स्कन्ध

2011-2012 की अवधि के दौरान राजभाषा स्कंध ने राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपने कार्यों को करना जारी रखा और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2011-2012 के लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया।

- मंत्रालय और क व ख क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों को लिखे गए सभी पत्र द्विभाषी रुप अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में थे। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।
- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया और सरकार को भेजे जाने वाले सभी रिपोर्ट विशेषकर कॉफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा 2011-12 को द्विभाषी रुप में तैयार और प्रकाशित कर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए गए।
- बोर्ड में एक विशेष प्रोत्साहन योजना जारी है जिसमें कोई भी कर्मचारी नेमी कार्यालय फाइलों में हिन्दी में 5000 शब्द लिखने पर प्रति वर्ष 2000 ₹ की राशि पाने का हकदार होता है। 12 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- नियमित हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई और इनमें 58 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- मुख्य कार्यालय से 14 बहु कार्य कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामित किया गया।
- कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ उप कार्यालयों में साफ्टवेयर पैकेज की स्थापना की गई और कम्प्यूटरों में यूनिकोड को सक्रिय किया गया ।
- बोर्ड में नियमित कार्यालय विषयों में हिन्दी के प्रयोग और प्रगति को देखने के लिए मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों और उप कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया गया और सम्बन्धित अनुभाग/कार्यालयों को रिपोर्ट भेजे गए ताकि वे अपनी कमी के क्षेत्रों में सुधार ला सकें।
- भारतीय स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव पर एक चल वैजयन्ती की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर के अन्तर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए प्रति वर्ष एक हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 8 अगस्त 2011 को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 15 कार्यालयों से 28 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और एअर फोर्स स्टेशन, जालहल्ली को रोलिंग शील्ड मिला।
- 14.09.2011 को हिन्दी दिवस मनाया गया और हिन्दी दिवस से पहले हिन्दी पखवाडे के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को हिन्दी दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया गया।
- केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान, चिकमगलूर में हिन्दी कार्यशाला और हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।
- वाणिज्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर की बैठकों में नियमित भागीदारी को सुनिश्चित किया गया।
- रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान 47,894 ₹ की हिन्दी पुस्तकों की खरीद की गई।
- लोकप्रिय हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में कॉफी पर हिन्दी विज्ञापनों के लिए 32,82,610/-₹ की राशि खर्च की गई।
- कॉफी बोर्ड को वर्ष 2011-12 के लिए 'ग' क्षेत्र में स्थित वाणिज्य विभाग के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित आदेशों के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। यह ट्राफी अगस्त 2012 में हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने प्रदान किया।

सतर्कता प्रभाग

- सतर्कता प्रभाग द्वारा निभाए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार है:-
- शिकायतें दर्ज करना और उन पर कार्रवाई लेना। ख)
- बोर्ड में भर्ती किए गए व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन
- वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रेषित करने के लिए आवधिक विवरणी तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना।
- भिन्न उद्देश्यों के लिए कॉफी बोर्ड के अधिकारी/ कर्मचारियों का सतर्कता पार अनुज्ञा जारी करना। कॉफी निर्यातकों के रूप में पंजीकरण हेतु निर्यातकों को सतर्कता अनुज्ञा जारी करना।
- बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चल/अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को साधित करना वर्ग "क" वर्ग "ख" अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरणी की संवीक्षा करना
- उपकार्यालयों/मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों की आकस्मिक सतर्कता जाँच आनुशासनात्मक क्रियाविधि के लिए फाइल प्रस्तुत करना।

सतर्कता मामलों का विवरण

बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध किए गए अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र सं	विवरण	संख्या
(i)	वर्ष के आरम्भ में अर्थात् 1.04.2011 को यथास्थिति लम्बित मामले	10
(ii)	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए मामले	06
(iii)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की सं	06
(iv)	31.03.2012 को यथास्थिति निपटान हेतु लम्बित मामलों की संख्या	10

विशेष उपलब्धियाँ

जांच अधिकारियों को उनके जांचों को तुरन्त निपटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुनय करते हुए वर्ष के दौरान छ: मामलों के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुए। तीन मामलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं, एक मामला आदेश जारी करने हेतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास लम्बित है और दो मामलों को जुर्माना लगाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को सन्दर्भित किया गया है क्योंकि आरोपित अधिकारी/ कर्मचारी कार्यवाही के लम्बन के दौरान बोर्ड की सेवाओं से सेवा निवृत हो गए।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों के कार्यों पर निरन्तर चौकसी रखी गयी, मुख्य कार्यालय के विभिन्न विभागों और उप-कार्यालयों में आकस्मिक जाँच किए गए। इसके परिणामस्वरूप 3 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई किए गए । 8 मामलों पर जाँच की जा रही है।

भ्रष्टाचार के बारे में जन साधारण को समझाने के लिए कार्रवाई की गई और बोर्ड के मुख्य कार्यालय तथा उप कार्यालयों में नोटिस बोर्ड लगा कर घूस न देने और विसिल ब्लोअर्स की पहचान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के संदेश को प्रदर्शित किया गया है। इस संदेश को बोर्ड के वेबसाईट में अपलोड किया गया है ।

देश भर में कॉफी बोर्ड के सभी कार्यालयों में 31 अक्तूबर 2011 से 05 नवम्बर 2011 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

कानूनी प्रकोष्ठ

कार्य :

कानूनी प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यों को करता है:

- विपणन, सेवा, बिक्री/खरीद/सेवा कर, श्रम आदि से सम्बन्धित बोर्ड के सभी कानूनी विषयों को देखता है।
- कानूनी प्रकोष्ठ विभिन्न न्यायालयों जैसे निम्न न्यायालय,उच्च न्यायलय, उच्चतम न्यायालय, श्रम न्यायालय, विक्रय कर अपीलेट फोरम, आदि के समक्ष लम्बित बोर्ड के सभी मुकदमेबाजी को भी देखता आया है।

- कानूनी प्रकोष्ठ वाद-पत्र/ प्रति व पक्ष में तर्कों को तैयार करने के लिए बोर्ड के वकीलों को संगत रिकार्ड देते हुए समन्वयन और सहायता करता है ।
- विभिन्न राज्यों के श्रम, सिविल और उच्च न्यायलयों तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित विभिन्न कानूनी मामलों/मुकदमेबाजी जहाँ कॉफी बोर्ड मुकदमेबाजों द्वारा एक पार्टी बनाया गया है, से सम्बन्धित कार्यों का समन्वयन करता है ।
- कानूनी प्रकोष्ठ कर (विक्रय कर और सेवा कर दोनों) सेवा मामलों , कॉफी अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित फाइलों/पत्राचारों को संभालता है और कानूनी विषयों पर वाणिज्य मंत्रालय से पत्राचार करता है ।
- कानूनी प्रकोष्ठ ने वैट, सेवा कर, वृत्ति कर आदि के अन्तर्गत आवधिक प्रतिलाभों को दायर करने से सम्बन्धित कार्यों को भी किया और जहाँ कहीं भी देय हो वहाँ देय करों को अदा किया ।
- कानूनी प्रकेष्ठ विभिन्न अनुभागों जैसे निर्यात, पेंशन, इंजीनियरिंग, सेवा रिकार्ड अनुभाग आदि द्वारा सन्दर्भित विषयों पर विभिन्न नियमों को सन्दर्भित करते हुए अपना मत भी देता आया है ।

न्यायालय मामलों की स्थिति :

वर्ष के आरंभ में 52 मामले लम्बित थे और 12 नए मामले जोड़े गए। इन 64 मामलों में 10 विपणन मामले, 41 सेवा मामले, 6 कॉफी ऋण राहत पैकेज और 7 अन्य मामलों थे। वर्ष के दौरान 18 मामलों को निपटाया गया।

विशेष उपलब्धियाँ :

मेसर्स कोठारी ऑयल प्रोडक्ट्स लि. के विरुद्ध बोर्ड द्वारा दायर वसूली मुकदमा बोर्ड के पक्ष में आज्ञप्त हुआ और कम्पनी ने उच्च न्यायालय में 30 लाख रु की राशि जमा कर ट्रायलकोर्ट आदेश को चुनौती देते हुए आर एफ ए दायर किया है।

क्रय कर / विक्रय कर विवाद की स्थिति :

कर्नाटक सरकार : कर्नाटक सरकार द्वारा कर बकाया से संबंधित 126.20 करोड़ रुपयों की मूल मांग को कम करते हुए 69.05 करोड़ रु करने और पिछले वर्ष के दौरान 1980/81 से 2001/02 तक के लिए कर के बकाया के लिए पूर्ण और अन्तिम निपटान के रुप में देयों के निपटान को जारी रखते हुए बोर्ड ने स्टैट (एस टी ए टी) और कर्नाटक सरकार के समक्ष अलग संयुक्त ज्ञापन दायर किया और एक सामान्य आदेश के अधीन लम्बित अपीलों को निपटाया गया।

तमिल नाडू सरकार : बोर्ड ने कर/जुर्माना/ब्याज के बकाए के निपटारे के लिए समाधान योजना का उपयोग किया और 12 करोड रुपये और ब्याज की माँग के सम्मुख 6.80 करोड़ रुपयों का पूर्ण और अंतिम निपटान किया। बोर्ड ने विवादग्रस्त विक्रय/क्रय कर के सम्बन्ध में वर्ष 1983-84, 1987-88 से 1996-97 तक के वर्षों के लिए समाधान योजना का उपयोग करते हुए पिछले वर्ष के दौरान कम किए गए कर देयों को निपटाने के बाद देय शेष कर और ब्याज की छूट पर पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तमिल नाडू सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों से विषय को लिया।

केरल सरकार : केरल के सम्बन्ध में 1991-92 से 1993-94 तक 1996/97, 1997/98 और 2000/2001 वर्षों के लिए 2.17 करोड़ रु की के जी एस टी की माँग पर अपील एस टी ए टी केलिकट के समक्ष लम्बित है। पिछले वर्ष के दौरान केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित 1984/85 से 1990/1991 और 1994-95 से 1996-97 तक के वर्षों के लिए सी एस टी पर विवाद स्टैट (एस टी ए टी) केलिकट के समक्ष लम्बित है। बोर्ड ने सी एस टी के अधीन की गई 46/- करोड रुपयों की अत्यधिक माँग की छूट के लिए वाणिज्य मंत्रालय के जरिए विषय को केरल सरकार के समक्ष रखा है।

इंजीनियरिंग प्रभाग

कॉफी बोर्ड के देश भर में विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यालय सह आवासीय भवन हैं। बेंगलूर, नई दिल्ली, मैसूर, चेन्नई, गुवाहाटी और सिलचर (असम,) चिन्तापल्ली, अरकूवेली (आ.प्र,) में कॉफी बोर्ड के अपने कार्यालय/ आवास भवन हैं और बेंगलूर, नई दिल्ली व हासन में भी आवासीय फ्लैट्स हैं। इसके अलावा, कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान, चेट्टल्ली में (मडिकेरि के पास) कॉफी अनुसन्धान उप स्टेशन, केरल के चुन्देल में क्षेत्रीय कॉफी अनुसन्धान स्टेशन, तमिल नाडू में थाण्डीगुडी, आन्ध्र प्रदेश में आर वी नगर, और असम के डीफू में कॉफी बोर्ड के अनुसन्धान स्टेशन तथा आवासीय क्वार्टस और कर्नाटक, तमिल नाडू, केरल, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा राज्य और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात असम अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैण्ड राज्यों में विस्तरण विभाग द्वारा कॉफी निरुपण फार्म/प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र भी हैं। बेंगलूर में इण्डिया कॉफी हाउस और भोपाल में इण्डिया कॉफी सेन्टर का स्वामित्व और रख-रखाव भी कॉफी बोर्ड करता है।

इंजीनियरिंग प्रभाग भवनों के रख-रखाव के साथ अवस्थापना विकास के अधीन प्रत्यक्ष रुप से भवन निर्माण और कुछ कार्य सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क करते हुए जमा योगदान के जरिए कर रहा है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 4.13 करोड़ रुपयों के प्राक्कलित लागत पर हासन में कार्यालय काम्पलेक्स के निर्माण और सी सी आर आई, बालेहोन्नूर में प्रशिक्षण केन्द्र और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित किए गए। अन्य कार्यों के लिए भी निविदा आमंत्रित किए गए और वे प्रक्रिया अधीन हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए कार्यों का व्यय विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	किए गए कार्य	राशि (₹ में)
1	वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत लिए गए सिविल कार्य/ इलेक्ट्रिकल कार्य, जमा अंशदान कार्यों पर पूँजी और परिव्यय पर हुआ कुल व्यय	1,17,48,325.00
2	भवनों के रख-रखाव के अन्तर्गत छोटे मोटे सिविल/ बिजली /कम्प्यूटर कार्य, टेलीफोन बिल की अदायगी और बृहत बेंगलूर महानगर पालिके को अदा की गइ जल आपूर्ति और मल व्यवस्था, बिज़ली बिल और सम्पत्ति कर पर कुल व्यय।	70,68,109.00
	योग	**1,88,16,434.00**

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अधीन वर्ष2011-12 के दौरान सूचना/कागज़ात की मांग करते हुए भारत के नागरिकों से बोर्ड ने 76 आवेदन प्राप्त किए। पिछले वर्ष के बाकी बचे 6 आवेदनों को शामिल कर कुल 82 आवेदन निपटान हेतु मौजूद थे। वर्ष के दौरान 72 आवेदनों को निपटाया गया और 10 आवेदन निपटान हेतु लम्बित हैं।

****

अध्याय - III (क)

अशक्त व्यक्तियों का ब्यौरा

रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान किसी भी अशक्त व्यक्ति की भर्ती नहीं हुई। बोर्ड में 9 शारिरिक रुप से अशक्त कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका ब्यौरा (काडर-वार) निम्नानुसार हैं:

क्र सं.	काडर	विद्यमान	वर्ग	अशक्त व्यक्तियों की संख्या		अशक्त व्यक्ति श्रेणी वार कर्मचारी		
				संख्या	कुल का %	अ.	अ.आ	अ.ज.जा
1	प्रभागीय प्रधान	6	क	1	16.67	1	-	-
2	विषय वस्तु विशेषज्ञ	27	क	1	3.70	1	-	-
3	सहा.सचिव/क. हिन्दी अनुवादक	47	ख	3	6.38	3	-	-
4	व.लिपिक	101	ग	3	2.80	3	-	-
5	एम टी एस	293	ग	1	0.34	1	-	-
	योग	**480**	**-**	**9**	**1.88**	**9**	-	-

****

अध्याय - IV

कॉफी अनुसन्धान

वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान कॉफी बोर्ड के अनुसन्धान विभाग ने XI वीं योजना पद्धति (स्कीम) यथा "धारणीय कॉफी उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी हेतु अनुसन्धान एवं विकास" के तहत बहुत से अनुसन्धान अध्ययनों का कार्यान्वयन किया।

अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान(सी सी आर आई) के अधीन कार्यरत विभिन्न अनुसंधान स्टेशनों के जरिए हुआ।ये स्टेशन चेट्टल्ली(कोडगू, कर्नाटक) चुन्देल (वयनाड केरल), थाण्डीगुडी (पुलनीज, तमिलनाडू) , आर वी नगर(वैजाग जिला आन्ध्र प्रदेश) और डिफु (कर्बीअंगलोंग जिला, असम) में स्थित हैं।क्षेत्रीय अनुसन्धान स्टेशनों के अलावा, दो अनुसन्धान प्रभाग यथा, जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र और क्वालिटी प्रभाग क्रमश: मैसूर तथा बेंगलूर में कार्यरत हैं।

XI वीं योजना पद्धति के अलावा, जैव प्रौद्योगिकी (डी बी टी) नई दिल्ली, रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड एफ), भारत सरकार वस्तु सामान्य निधि(सी एफ सी,) एमस्टरडम जैसे बाह्य निधिकरण एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन हुआ।

विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के तहत वर्ष2011-12 के दौरान हुए महत्वपूर्ण अनुसंधान खोज यहाँ प्रस्तुत हैं।

घटक 1: धारणीय कॉफी उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास

उप घटक 1.1-प्रमुख नाशिकीट और रोग और अनावृष्टि के प्रतिरोधक के साथ उन्नत कॉफी किस्मों को विकसित करना।

पौधा प्रजनन और आनुवंशिकी

आर्ध बौना अरेबिका में विभिन्न पत्ती किट्ट प्रतिरोध जीन्स के पिरामिडीकरण के उद्देश्य से एस 3827(एस एल एन 10) और एस 4808 (कटवई और एच डी टी का एक संकर) के चयनित पौधोंके बीच संकरण से F_1 संकर उगाए गए और उन्हें सी सी आर आई एवं चेट्टल्ली के क्षेत्रों में स्थापित किया गया। भिन्न स्रोतों से विभिन्न किट्ट प्रतिरोध के एकीकरण के समान उद्देश्य से 2012 पुष्पण सीज़न में सी सी आर आई में (एस एल एन 7.3 x एस एल एन .6 x एस 3822 x एस एल एन 10 के बीच अन्योन्य संकरण किए गए ।

2007 में रिलीज़ किए गए नए किस्म "चन्द्रगिरी" की सन्ततियों को प्रतिरोध स्थायित्व के लिए मानिटर किया गया । इस किस्म के कुल 4,439 कि.ग्रा. बीज, अनुसंधान स्टेशन और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों में तैयार कर 2011-12 सीज़न में वितरित किए गए।

चंद्रगिरि किस्म में पत्ती किट्ट के लिए दीर्घ स्थायी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एस सी ए आर चिन्हक परिमापों का प्रयोग करते हुए चिन्हक सहायता प्राप्त सेलेक्शन (एम ए एस) के जरिए *सी लिबेरिका* मूल के S_H3 जीन का एकीकरण किया गया और उसके बाद समजननांशि एस. 3827 के चयनित पौधों, का S_H3 जीन के साथ प्रजनन किया गया। 2012 रोपण सीज़न के दौरान क्षेत्र स्थापना के लिए सी सी आर आई के नर्सरी में एफ $_1$ सन्तति उगाकर उनका रख रखाव किया गया । इसी तरह की कार्यनीति को आर सी आर एस, थाण्डीगुडी में दोहराया गया और 2012 में संकरण कार्यक्रम चलाया गया ।

स्टेम बोरर सहिष्णुता हेतु प्रजनन के लिए "चन्द्रगिरी" और पेड़ कॉफी के एक प्राकृतिक संकर के बीच सदृश संकरण में उगाए एफ $_1$ संकर संतति का रख-रखाव सी सी आर आई के परवर्ती नर्सरी में किया गया।

आर सी आर एस, चुन्देल में रोबस्टा के संकर ओज प्रजनन कार्यक्रम में एस. 3657 $^{28}/_{21}$, $^{28}/_{21}$(आइवरी कोस्ट से लाई

गई विदेशी किस्म) और स्टेशन सेलेक्शन (एस. 274, सी x आर) के बीच सदृश संकरण से प्राप्त एफ$_1$ संकर संतति का रख रखाव परवर्ती नर्सरी में 2012 रोपण सीजन में क्षेत्र रोपण के लिए किया गया। विजातीय वारियट रोबस्टा संग्रहणों और स्टेशन सेलेक्शन (एस. 274, सा x आर) के बीच संकरणों के एफ $_1$ संकर संततियों को भी क्षेत्र रोपण के लिए उगाया गया।

रोबस्टा में अनावृष्टि सहिष्णुता के लिए अनावृष्टि सहिष्णु जड़ प्रकार (एस.1932, एस 3399) और स्टेशन सेलेक्शन (एस.274, सी x आर) के बीच भी सदृश संकरण किए गए। आर सी आर एस, चुन्देल में स्थापित अनावृष्टि सहिष्णु नस्लों के क्षेत्र प्रयोगों में डी आर- 5 और डी आर -12 ने सर्वश्रेष्ठ निष्पादन रिकार्ड किया।

कोलम्बियन काटिमोर (ब्लू माउंटेन एस्टेट, चिकमगलूर से एक संग्रहण) और एस 1934, एस एल एन 5 बी और एस एल एन 9 जैसे लम्बे समजाति के संकरणों के एफ $_1$ संकर संतति के क्षेत्र मूल्यांकन ने उपज, किट्ट हेतु क्षेत्र सहिष्णुता और फली क्वालिटी विशेषताओं के सम्बन्ध में एस 4814 (काटिमोर (बी एम) 3/13 x एस एल एन 5 बी) के आशाजनक निष्पादन को दर्शाया। चुने हुए पौधों से एफ$_2$ सन्ततियों को आगे के मूल्यांकन और उपयोग के लिए कूर्ग के दो स्थानों और चिकमगलूर क्षेत्र के दो स्थानों में स्थापित किया गया ।

बी बी टी सी काटिमोर, एस 4202 (सार्चिमोर) और 4180 के साथ साथ एस एल एन 5 ए और अन्य लम्बी अरेबिकाएँ (एस एल एन 9 और एस एल एन 8) के बीच संकरणों के लम्बी एफ $_1$ संकर सन्तति के संकरणों के अर्ध बौना एफ $_1$ संकर सन्ततियों और एस एल एन 11 संकरणों का भी क्षेत्र मूल्यांकन सी सी आर आई में जारी रखा गया। प्राथमिक आँकडों से ज्ञात हुआ अर्ध बौना सन्ततियों में एस 4933 ने 1548 कि ग्रा/हे का अधिकतम उपज रिकार्ड किया जबकि लम्बे फेनोटाइप एस.4935(एस एल एन 5 ए x एस एल एन 9) ने 1754 कि ग्रा/हे का अधिकतम प्रक्षिप्त उपज रिकार्ड किया।

एस एल एन 5 ए x एस एल एन 3-4 के बीच एफ $_1$ संकरों ने आर सी आर एस, आर वी नगर में उपज और किट्ट के लिए क्षेत्र सहिष्णुता के लिए आशाजनक निष्पादन रिकार्ड किया।

आर सी आर एस थाण्डीगुडी में सदृश संकरण एस एल एन 5 बी x एस एल एन 9 के विशिष्ट एफ $_1$ पौधों से स्वतंत्र सन्ततियाँ उगाई गईं और सी सी आर आई और सी आर एस एस चेट्टल्ली के क्षेत्रों में आगे के मूल्यांकन के लिए चार एफ $_2$ सन्ततियों की स्थापना की गई।

डी एन ए मार्कर्स, विशेषकर एस सी ए आर मार्कर्स, के अनुप्रयोग से पता चला कि मार्कर सहायता-प्राप्त सेलेक्शन के लिए S_H3 पत्ती किट्ट प्रतिरोधक जीन से निकट रुप से सम्बन्धित है और कल्टीवार विशेष की पहचान के लिए एस आर ए पी पहुँच पर अधिक फोकस किया गया ।यू ए एस, बेंगलूर के *सी. केनेफोरा* जेनोमिक/जीनिक लाइब्रेरी में विकसित एस एस आर मार्कर्स का विश्लेषण कॉफी के नौ प्रजातियों में किया गया और विभिन्न प्रजातियों में 25 एस एस आर प्राइमर्स को बहुरुपी पाया गया।

जर्मप्लाजम लक्षण वर्णन कार्यक्रम के भाग के रुप में, सी आर एस एस, चेट्टल्ली में अरेबिका के 75 विदेशी संग्रहणों में उपज और फली पैरामीटर पर ऑकड़े संग्रहित किए गए। सी सी आर आई के रोबस्टा जीन बैंक वहां के 73 संग्रहणों को जड़दार क्लोन से रिक्तियों को भरते हुए समेकित किया गया।

"भारत और चार अफरीकी देशों में पत्ती किट्ट और अन्य रोगों के सम्मुख कॉफी उत्पादन के लचीलेपन को बढ़ाना" नामक बहु देश अनुसन्धान परियोजना के अन्तर्गत छः स्थानों (टी ई सी,चिकमगलूर, टी ई सी, मूडिगेरे, टी ई सी, सक्लेशपुर, टी ई सी, यरकाड , एच आर एस, ताडियानकुडिसई, मेसर्स पिल्लवली एस्टेट, पुलनीज़,) से प्रारंभिक सक्रियता पर ऑकडे संग्रहित कर क्रान्तिक भिन्नताओं, वंशानुगतों और स्थिरता पैरामीटर्स के लिए विश्लेषित किया गया।

सभी प्रमुख अरेबिका उपजने वाले क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए 10 कि क्षे स्कू (एफ एफ एस) समूहों के जरिए समुदाय गतिशीलता का कार्य किया गया और कुल 12 कि क्षे स्कू सत्रों का आयोजन किया गया।

जीन सम्मिश्रण वी $_{2,4,5,6,7,8,9}$ **और वी** $_{2,4,5,6,7,8,9(?)}$ के साथ दो नई किट्ट प्रजातियों को क्रमशः एच डी टी 832/1, और एच डी टी 832/2 पर पृथक्कृत कर गुणन किया गया और नई

प्रजनन श्रृंखला की स्क्रीनिंग के लिए प्रयुक्त किया गया । भिन्न जीन आकृतियों अर्थात एस एल एन 11, एस एल एन 5ए, एस 2790, एस 2792, एस 2794, एस 2800, एस 2803, (अलग अलग पौधों) के कुल 22 बीज कॉफी नमूनों को सी बी डी पृथकों के विरुद्ध स्क्रीनिंग के लिए सी आई एफ सी, पूर्तगाल को भेजे गए ।

परियोजना की मध्य अवधि समीक्षा हरारे, जिम्बाबवे में 28 और 29 जुलाई 2011 को आयोजित की गई और समीक्षा समिति ने परीक्षण प्लाटों का भी संदर्शन किया और 10 से 16 जनवरी 2012 तक भारत में कि क्षे स्कू समूहों और अन्य पणधारियों के साथ विचार विमर्श किया।

2011-12 सीज़न के दौरान, 4906 कि.ग्रा. अरेबिका और 1404 कि. ग्रा. रोबस्टा को शामिल कर कुल 6310 कि. ग्रा. बीज तैयार कर बोर्ड के विस्तरण कार्यालयों के जरिए परम्परागत क्षेत्रों में वितरित किया गया। सी सी आर आई में एस एल एन 5 बी और सी x आर के नए बीज प्लाटों की स्थापना की गई। इसके अलावा आर सी आर एस, आर. वी. नगर में भिन्न स्टेशन संवर्धित सेलेक्शन के 4190 कि. ग्रा. बीज कॉफी तैयार कर गैर परम्परागत क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वितरित किया गया। इसके साथ साथ माँगकार्ता कॉफी उपजकर्ताओं को कुल 21,255 संख्यक सी x आर क्लोन आपूरित किए गए।

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों में कृन्तक संजनन को सुकर बनाने और उत्पादन क्षमता को बढाने के लिए सी x आर के दो काष्ठ बागानों की स्थापना आर सी आर एस फार्म और प्रौ मू कें, मानन्तवाडी (प्रत्येक में एक) में की गई।

जैव प्रौद्योगिकी

एस 795 में किट्ट प्रतिरोध/प्रबन्धन प्रजनन हेतु S_H3 जीन के लिए एस सी ए आर मार्कर्स की वैधता के प्रयोग के अधीन पौधों के परीक्षण (स्क्रीनिंग) के लिए किट्ट प्रजाति I और VIII को कृत्रिम रूप से संरोपित किया गया। जैव अपश्लेषण ने इंगित किया कि S_H3 सकारात्मक पौधे (समजननाशि और विषमजननांशि दोनों) प्रजाति I (वी $_{2,5}$) के लिए प्रतिरोधक थे पर प्रजाति VIII (वी $_{2,3,5}$) के लिए सुग्राही थे जबकि S_H3 नकारात्मक पौधों ने प्रजाति । और प्रजाति VIIIदोनों के लिए सुग्राही प्रतिक्रिया प्रकट किया। एस 795 के साथ S_H3 जीन के समजननांशि पौधों को मैसर्स मसगोडे एस्टेट और उपरोपण द्वारा सी आर एस एस, चेट्टल्ली से संग्रहित भूरोही के प्रयोग द्वारा सी आर एस एस, चेट्टल्ली में स्थापित किया गया। एस 795 के स्व निषेचित पौधों से पौद सन्ततियों को आगे के अध्ययनों के लिए उगाया गया।

एस.288 x बोर्बोन संकरण से एफ $_1$ और एफ $_2$ सन्ततियाँ उत्पन्न की गई। सन्ततियों का अध्ययन S_H3 मार्कर्स के लिए किया गया और बोर्बोन आनुवंशिक पृष्ठ भूमि में S_H3 जीन के साथ अन्य प्रतिरोधक जीन को आभ्यन्तर करने के प्रयास किए गए।

फल रंग संख्या को अलग करने के अध्ययन के लिए एस.4177 के लाल और पीला फलित पौधों के बीच संकरण से पौदों को उगाया गया।

लगभग 160 पुनरूत्पादित पौधों को दृढ़ीकरण के लिए रोपा गया और 110 दृढ़ीकृत पौधों के पिछले बैचों को मूल्यांकन हेतु खेतों में रोपा गया। भिन्न स्थानों में स्थापित एस. 2800, एस. 2794 और सी x आर जीन आकृतियों के टी सी परीक्षण पौधों से क्षेत्र निष्पादन आँकडे संग्रहित किए गए।

सम्पूर्ण जेनोमिक डी एन ए को सन्दर्भ प्रभेदों के साथ 300 बी टी पृथक्कों से अलग किया गया। उन्हें एस आर पी 127 एफ व आर प्रथमकों और क्राई 11, क्राई 3 जीन के लिए डिजाइन किए गए प्रथमको के साथ स्क्रीन किया गया। सही आकार दर्शाते पृथक्कों को पी जी ई एम टी- ईजी वेक्टर में क्लोन किया गया और क्राई जीन की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सन्निवेशों को अनुक्रमित किया गया।

राइस चिटीनेस के साथ कावेरी, सी x आर के साथ टोबाको ओसमोटीन जीन्स, और कुछ ट्रान्सजनिक पौधे और सी एफ टी आर आई द्वारा प्रदत्त निम्न कैफीन हेतु ट्रान्सजेनिक रोबस्टा पौधे सभी पहले के आई सी जी आर पी परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे - को कन्टेनमन्ट ग्रीन हाउस में उगाए गए और उन्हें उत्पादनक्षम और पुष्पण गुण और फल सेट के लिए मूल्यांकन किया गया। कावेरी पौधे स्वत: फलद थे और अच्छा फल सेट दिखाया। उनसे इकट्ठा किए गए बीजों को सन्ततियाँ उगाने के

लिए रोपे गए। सी x आर स्वत: अनुर्वर था और फल सेट के लिए इसे प्रति परागण की आवश्यकता है। सी एफ टी आर आई से प्राप्त पौधों में अब तक फूल नहीं निकले हैं।

रोबस्टा रेसमोसा संकरण और रोबस्टा X वायटियाना संस्करण से उत्पन्न पौधों को कार्षिक उपयोगी विशेषताओं को पहचानने और उन्हें एम ए एस के लिए डी एन ए मार्कर्स से जोड़ने हेतु अध्ययन किया गया।

उप घटक 1.2- उन्नत मिट्टी और प्रबन्धन क्रिया प्रणाली के जरिए फसल उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी

सस्य विज्ञान

फार्म संक्रिया निपुणता को सुधारने के लिए उपयुक्त रोपण डिज़ाइनों और काट-छाँट की विधियों के स्तरीकरण हेतु प्रयोग के अन्तर्गत बिना शीर्षकर्तन के बहु तना पर बाड़े की पंक्ति और प्रत्येक फसल कटाई के बाद चक्रीय काट छाँट के फलस्वरुप सार्थक रुप से स्वच्छ कॉफी की अच्छी उपज प्राप्त हुई। कम अन्तरण सहित रोपण की स्क्वेयर प्रणाली और बिना शीर्षकर्तन के बहु तना पर प्रशिक्षण और चक्रीय कॉट-छाँट से भी अच्छी उपज प्राप्त हुई। क्षेत्र में मशीनीकरण किस सीमा तक अपनाई जाय इस बात को प्रलेखित करने के लिए विभिन्न फार्मों द्वारा अपनाए गए मशीनीकरण क्रिया प्रणाली पर एक प्रारंभिक सर्वेक्षण चलाया गया।

सी सी आर आई में फसल मौसम प्रतिरुपण के अध्ययन के तहत किट्ट प्रादुर्भाव प्रतिशत को मौसम पैरामीटर जैसे अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और सम्बन्धित आर्द्रता को एस एल एन 5 बी, एस एल एन 795 और सी x आर से जैसे कॉफी किस्मों से सह सम्बन्धित किया गया था। ऑकडों ने इंगित किया कि एस एल एन 5 बी और एस एल एन 795 के लिए न्यूनतम तापमान और किट्ट प्रादुर्भाव के बीच सकारात्मक सम्बन्ध था पर सी x आर के लिए यह सार्थक नहीं था । बेरी बोरर की भरमार को अरेबिका और रोबस्टा दोनों के लिए भिन्न मौसम पैरामीटर के विरुद्ध सहसम्बन्धित किया गया । परिणामों ने दर्शाया कि चालू वर्ष के दौरान रोबस्टा किस्म के लिए अधिकतम तापमान के साथ सकारात्मक सहसम्बन्ध था, जबकि अरेबिका किस्म के लिए सभी मौसम पैरामीटर (अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और वर्षा) के साथ नकारात्मक सहसम्बन्ध था।

आर सी आर एस, थाण्डीगुडी में, किट्टों की भरमार के प्रतिशत को विभिन्न मौसम पैरामीटर्स यथा अधिकतम तापमान, न्यून तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के साथ सहसम्बन्धित किया गया। आँकड़ों ने दर्शाया कि, सभी किस्मों में अधिकतम तापमान और किट्टों की भरमार के बीच सकारात्मक संबंध मौजूद था। सापेक्षिक आर्द्रता और किट्टों की भरमार के संदर्भ में देखा जाय तो एस एल एन 9 और एस एल एन 795 में यह सकारात्मक था ।

फसल प्राक्कलन के लिए नमूना आकार को मानकीकृत करने हेतु प्रति नमूना 5, 10, 15 और 20 पौधों के नमूना आकारों का तीन अवस्थाओं अर्थात पुष्पण पूर्व अवस्था (पुष्प कली शाखा-^{1} की संख्या रिकार्ड करने के लिए) का पुष्पणोत्तर अवस्था (पुष्पण के 45 दिन बाद फल सेट शाखा -^{1} के संख्या रिकार्ड करने के लिए) और मानसूनोत्तर अवस्था (फल धारण किए शाखा -^{1} की संख्या रिकार्ड करने के लिए) में निरीक्षण किया गया। अरेबिका और रोबस्टा दोनों के लिए बाद की दो अवस्थाओं हेतु ही सहसम्बन्ध की गणना की गई। परिणामों ने दर्शाया कि अरेबिका किस्म के लिए 5 पौधों का छोटा नमूना आकार और रोबस्टा के लिए 15 और 20 पौधों के बडे नमूना आकार को उपज प्राक्कलन के लिए सार्थक पाया गया।

कृषि रसायन

अरेबिका और रोबस्टा कॉफी पर एकीकृत पोषण प्रबन्धन (आई एन एम) पर क्षेत्र प्रयोगों ने इंगित किया कि उपचारो के बीच पोषक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होता था। केवल अजैविक स्रोत अथवा उर्वरकों की कम मात्रा के साथ एकीकृत करते हुए जैविक खाद एवं जैव-उर्वरकों के प्रयोग से फसल में खासी वृद्धि रिकार्ड की गई। परन्तु दोनों एक दूसरे के समकक्ष रहे ।जैव उर्वरक के साथ-साथ जैविक खाद लगाए ब्लाकों में लाभदायक मिट्टी जीवाणुओं की गिनती केवल अजैविक उर्वरक लगाए ब्लाकों की तुलना में अधिक थी और मिट्टी जैविक तत्वों में भी सुधार देखा गया।

अरेबिका कॉफी उपज, क्वालिटी और मिट्टी के भौतिक और रसायनिक गुणों पर जैविक और अजैविक पोषक स्रोतों के प्रभाव के अध्ययन हेतु क्षेत्र प्रयोग ने इंगित किया कि रसायनिक उर्वरकों को 50% कम करने और भिन्न किस्म के जैविकों से प्रतिस्थापन

के बाद पोषक तत्व की उपलब्धता में सार्थक भिन्नता नहीं हुई। 50% रसायनिक उर्वरक को 50% कृमि खाद से अनुपूरित कर किए गए उपचार में "नियंत्रण" कीअपेक्षा उपज में सार्थक सुधार देखी गई।

कॉफी उपजकर्ताओं को सेवा समर्थन के अन्तर्गत 7880 मिट्टी, 213 पत्ती और 878 कृषि रसायनिक नमूनों का विश्लेषण कर सलाह दिए गए ।

डी बी टी परियोजना के अन्तर्गत "कॉफी के लिए आई एन एम पैकेज का विकास" जैव आद्य पौदों के क्षेत्र निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी दोनों के जैव आद्य पौदों के रोपण के दूसरे वर्ष ने बिना जैव उर्वरकों के नर्सरी में उगाए पौदों की तुलना में अच्छी उपज और पोषक उद्ग्रहण को दर्शाया।

पौधा कायिकी

कॉफी कृष्यों (कल्टीवार्स) के नवीनतर जीन आकृतियों में प्रकाश भराई वक्र के आरेखन पर अध्ययनों ने चन्द्रगिरि किस्म में उच्चतम प्रकाश संश्लेषण दर्शाया और उसके बाद कोलम्बियन काटीमोर और एस एल एन. 9 में । चन्द्रगिरि किस्म को अधिक प्रकाश संश्लेषक क्षम पाया गया।

कोलम्बियन काटीमोर, चन्द्रगिरि, कटवई x एच डी टी और एस एल एन 9 जैसे चार भिन्न अरेबिका कॉफी कृष्यों (कल्टीवार्स) में कैटालेज़ और पेरोक्सिडेस क्रिया कलाप मूल्यांकन ने चन्द्रगिरि और एस एल एन 9 में उच्च और कोलम्बियन काटीमोर में निम्नतम पेरोक्सिडेस क्रिया कलाप को दर्शाया।

एस. 795 और एस एल एन 9 जैसे स्टेशन में रिलीज़ किए गए दो अरेबिका कृष्यों (कल्टीवार्स) और सी x आर रोबस्टी कॉफी के साथ नई संकर एस. 4864 (एस एल एन 12 x सी x आर का एक संकर) की तुलना ने सम्पूर्ण अध्ययन अवधि में एस 4864 में अधिकतम, उसके बाद सी x आर एस एल एन 795 में न्यूनतम पत्ती क्षेत्र दर्शाया। तथापि विशिष्ट पत्ती भार (एस एल डब्ल्यू) सी x आर रोबस्टा जीन आकृति में अधिक था। सभी अवस्थाओं में एस 4869 में एस एल डब्ल्यू का सी x आर से निम्न होना यह दर्शाता है कि नए संकर एस.4864, अरेबिका और रोबस्टा मूल के अंतस्थ विशेषताओं को धारित करता है।

सितम्बर के पहले सप्ताह में मोनो पोटाशियम फोसफेट (एम ए पी) जल घुलनशील फोसफोरस उर्वरक का पत्तों पर छिडकाव ने फलन गाँठों को 18.17% तक बढाते हुए बी बी टी सी काटीमोर में फूल की कली के उन्नयन को सुधारा। एस एल एन 5 बी पौधों पर 200 ली जल में 50 मि ली के दर पर पैक्लोबूट्राजोल (पी बी जेड) के प्रयोग ने नियंत्रण की तुलना में फूल की कलियों/तृतीयक शाखा और फूल की कलियों/फसल गाँठ की संख्या को बढाया।

उत्तर पूर्व मानसून स्थितियों में चन्द्रगिरि और एस एल एन 9 कृष्यों (कल्टीवर्स) पर जनवरी और फरवरी में झाड़ प्रबन्धन ने फसल गाँठा/तृतीयक शाखाओ के कलियों/फसल गाँठों की संख्या और फूल की कलियों/तृतीयक शाखाओं के उत्पादन को उन्नत किया।

उप-घटक 1.3 कॉफी के नाशिकीट और रोगों के प्रबन्धन के लिए पर्यावरण हितैषी उपायों का विकास

पौधा रोग विज्ञान

किट्ट प्रजाति वनस्पति का मानीटर करने के लिए विभिन्न कॉफी क्षेत्रों में किट्ट भिन्नकों और "ए" किस्म पौधों का रख-रखाव किया गया। सी आर एस एस, चेट्टली फार्म में, 10 वर्षों से निरीक्षण अधीन किट्ट भिन्नकों के चार असाधारण कृन्तकों में से नई किट्ट प्रजाति की वृद्धि दर्शाते केवल 4106 को सुग्राही पाया गया, जबकि अन्य तीन भिन्नक अर्थात् 681/7, 829/1, 1621/13 प्रतिरोधी रहे।

कर्नाटक के चिकमगलूर, हासन और कोडगु जिलों और तमिल नाडू के पलनीज़ क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में किट्ट सुग्राही कृन्तकों से चौबीस असाधारण किट्ट स्पोर नमूने इकट्ठा किए गए। इनमें से पाँच किट्ट प्रजातियों को विषैला जीन के साथ पहचाना गया। चौदह परिकल्पित किट्ट प्रजाति और विषैला जीन के साथ पन्द्रह प्रजातियों का रख रखाव सी आर एस एस, चेट्टल्ली में किया गया। आर सी आर एस, थाण्डीगुडी में दस सामान्य किट्ट प्रजातियों को पृथक कर उनका रख रखाव किया गया।

किट्ट प्रदुर्भाव के लिए सात अरेबिका कृष्यों (कल्टीवार्स) का परीक्षण किया गया। न्यूनत्तम माध्य किट्ट प्रादुर्भाव एच डी ई टी x कटवई और उसके बाद क्रमश: एस एल एन 5 बी, चन्द्रगिरी, कोलम्बियन, काटीमोर, एस एल एन 5ए और बी बी टी सी काटीमोर में रिकार्ड किया गया जबकि प्रदुर्भाव एस एल एन 6 पर अधिकतम था। आर सी आर एस, थाण्डीगुडी में किट्ट प्रादुर्भाव चन्द्रगिरि पर न्यूनत्तम था जब कि बी बी टी सी काटीमोर और कोलम्बियन काटीमोर दोनों ने अधिकतम किट्ट प्रादुर्भाव रिकार्ड किया।

बोरडो मिश्रण के प्रयोग के लिए नेपसेक मिस्ट ब्लोअर और गेटर रॉकर स्प्रेयर के निष्पादन की तुलना करने के लिए सी सी आर आई में अरेबिका एस एल एन 9 पर एक क्षेत्र प्रयोग से आँकडों ने दर्शाया कि नेपसेक मिस्ट ब्लोअर प्रभाविता से समझौता किए बिना प्रयुक्त फफूँदीनाशी घोल की मात्रा में 20% की कमी ला सकता है।

पत्ती किट्ट प्रबन्धन के लिए पुष्पण पूर्व और मानसूनोत्तर अवधि के दौरान कोंटेफ और मानसून पूर्व अवधि के दौरान बोर्डो मिश्रण के छिडकाव के फलस्वरुप पत्ती किट्ट का प्रादुर्भाव बहुत कम रहा। उसके बाद पूष्पण-पूर्व, मान्सून पूर्व छिडकाव के रूप में बेयलेटोन था तथा मानसून छिड़काव के रूप में बोरडो मिश्रण उत्तम था ।

एक पत्ती किट्ट पूर्व सूचना मॉडल विकसित करने हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक के चिकमगलूर और कोडगू जिलों और तमिल नाडू में पलनीज़ में अरेबिका और रोबस्टा कॉफी कृष्यों (कल्टीवार्स) से संगत मौसम विज्ञान सम्बन्धी पैरामीटर्स के साथ, वर्ष भर के किट्ट प्रादुर्भाव पर आँकडा रिकार्ड किया गया।

कॉफी पत्ती किट्ट के प्रबन्धन हेतु जैव-नियंत्रण एजेन्टों और *बेसिलस ब्रेविस, सूडोमोनास फ्लोरेसेन्स, एन्टरोबाक्टर इन्टरमीडियस,* नीम बीज जलीय निस्सरण और रीठा पाउडर घोल जैसे वानस्पतिक उतने प्रभावी नहीं थे जितना कि बोरडो मिश्रण छिड़काव था। बोरडो मिश्रण छिडके प्लाटों में प्रादुर्भाव 4.58% था जबकि अन्य उपायों में यह 6.16 से 9.89% तक था।

माइरोथेशियम रोरिडम द्वारा नर्सरी में उत्पन्न तना ऊतिक्षय और पत्ती स्पॉट रोग के प्रबन्धन हेतु प्रयोगों ने दर्शाया कि व्यवस्थित फफूँदनाशी फोलिकर 25 ईसी (टेबुकोनाजोल) सबके अधिक प्रभावशाली था उसके बाद टिल्ट 25 ई सी (प्रोपिकौनाजोल) जबकि बाविस्टिन 50 डब्ल्यू पी (कार्बेनडाजिम) सबसे कम प्रभावशाली था।

कीट विज्ञान

सी सी आर आई और सी आर एस एस, चेट्टल्ली में तना बेधक के उड़ान अवधि को मानीटर करना जारी रखा गया। उडान पैटर्न में कोई प्रमुख अन्तर नहीं देखा गया। अरेबिका पौधे जिनके मुख्य तना को इस्तेमाल किए गए उर्वरक बैग से काटे गए कतरनों का प्रयोग कर लपेटा गया था वे बोरर के आक्षेप से मुक्त थे।

डी बी टी परियोजना "कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रतिरोधक अरेबिका कॉफी पौधे का विकास" के अन्तर्गत, 273 बी टी प्रभेदों को कृत्रिम खुराक देते हुए स्क्रीन किया गया। इनमें से कोई भी नवजात लार्वा के विनाशिता का कारण नहीं थे।

दक्षिण भारत के अरेबिका कॉफी उपजने पाले क्षेत्रो में "कॉफी/ तना बेधक के विरूद्ध प्रबन्धन हस्तक्षेपों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक "मिशन मोड़ एक्शन कार्यक्रम" को अक्तूबर 2011 में आरम्भ किया गया और यह मार्च 2012 तक जारी रहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक और तमिल नाडू के कॉफी क्षेत्रों में बोरर क्रिया कलाप के प्रमुख क्षेत्रों में तना बेधक के बारे में प्रशिक्षण देने और हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए 12 टीम बनाए गए। इन छ: महीनों की अवधि में 213 निरुपण आयोजित किए गए जिसमें 6148 उपजकर्ताओं ने भाग लिया।

पेस्ट कन्ट्रोल (इण्डिया) लिमिटेड, बेंगलूर के सहयोग से - "मादा लिंग फेरोमोन की पहचान और समागम सफलता में उसकी भूमिका और कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर द्वारा पोषक पौधा चयन के लिए उत्तरदायी कैरोमोन की पहचान" परियोजना के अन्तर्गत कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया और उत्पतों को संग्रहित करने के लिए किट को देशी रूप से बनाया गया। गमलों में रखे पौधों का प्रयोग करते हुए किट का परीक्षण किया गया और

अन्तराल एवं कमियों को सुधार कर उत्पत संग्रहण के पूर्वरूप को मानकीकृत किया गया। जिन्दा कीड़ो से अलग-अलग और जोडों में से उत्पतों का संग्रहण किया गया। अरेबिका, रोबस्टा और वृक्ष कॉफी किस्मों से उत्पत संग्रहित किए गए। विभिन्न विलायकों का प्रयोग करते हुए निस्सरित भिन्न उत्पतों के प्रत्युत्तर को रिकार्ड करने के लिए जिन्दा कीडो के प्रयोग से विंड टनल प्रयोग किए गए। किए गए भिन्न प्रयोगों से सार्थक अनुमान यह था कि नर ने मादा फेरोमोन के प्रति सकारात्मक प्रत्युत्तर दर्शाया। नर + मादा उत्पतों से उत्पतों को दोनों लिंगों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। सहचरित या सगर्भ मादाओं ने अरेबिका एस.795 और वृक्ष कॉफी प्रजाति (80" से अधिक) से उत्पतों के प्रति उच्च सकारात्मक प्रत्युत्तर दिखाया जबकि रोबस्टा एस.274 से उत्पतों के प्रति प्रत्युत्तर केवल 33% था। परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग को और अधिक कीडों पर दोहराया जा रहा है।

अवधि के दौरान व्हाइट स्टेम बोरर के विरूद्ध प्रयोग के लिए उपजकर्ताओं को 7980 क्रास वेन फेरोमोन ट्रैप्स सप्लाई किए गए।

कॉफी बेरी बोरर के विरूद्ध प्रयोग के लिए कीटरोग जनक फफूँदी *बेवेरिया बासियाना* का फार्म पर उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों को जारी रखा गया। 14 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिलचस्पी रखने वाले उपजकर्ताओं को स्टारटर कल्चर सप्लाई किया गया। फार्म पर स्थित इकाईयों से प्राप्त फफूँदी संवर्धो की क्वालिटी जाँच की गई।

भिन्न स्त्रोतों से *एम एनिसोप्ली* के 10 पृथकों के जैव परिमाप ने दर्शाया कि एक दो परवाले कीडे के लार्वा से केवल सी सी आर आई पृथक 10^7 छिद्र / मिली पर शत प्रतिशत संक्रमण कर सकते हैं। अन्य सभी पृथक ने केवल 10^8 कोनिडिया प्रति मिली पर अच्छा कार्य किया।

बी. बासियाना के स्पोर उत्पादन पर यथाक्रम फफूँदी नाशियों के प्रभाव पर एक प्रयोगशाला प्रयोग ने दर्शाया कि कार्बनडैज़िम सबसे अधिक निरोधी था उसके बाद हेक्साकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल/ट्रियाडिमेफोन ने बहुत कम अवरोधन उत्पन्न किया। *बी. बासियाना* के दो वाणिज्यिक फार्मूले "मइकोजाल" और "रेसर " की जाँच की गई और उन्हें संक्रमण उत्पन्न करने में शुद्ध स्पोर्स से निम्न पाया गया।

खेतों में बेरी बोरर प्रादुर्भाव पर ट्रैप्स की स्थापना के प्रभाव पर अध्ययन ने दर्शाया कि अगर ट्रेप्स की स्थापना की जाती है तो खड़ी फसल पर संक्रमण 36% कम हो सकता है। अवधि के दौरान कर्नाटक और केरल राज्यों में उपजकर्ताओं को प्रलोभन के साथ 59,625 ट्रैप्स सप्लाई किए गए। ट्रैप्स में प्रलोभनों को फिर से भरने के लिए 2748 लीटर प्रलोभन सामग्री सप्लाई किया गया।

मिली बग परजीव्याभ को पालने का काम फिर से शुरु किया गया और मिली बग के जैव नियंत्रण के लिए उपजकर्ताओं को 34,000 परजीव्याभ सप्लाई किए गए।

गमलों में लगे कॉफी पौदों के *हेमिक्रिसोनेमोयड्स* प्रजाति के सूत्रकृमियों के संरोपण के परिणामस्वरूप तीन महीने में पौदों के पत्तों में शिकन आने लगे।

उप घटक 1.4 कॉफी की क्वालिटी के उन्नयन और कॉफी निरजव प्रदूषण उपशमन हेतु प्रौद्योगिकी

गुणवत्ता मूल्यांकन

बेंगलूर और चिकमगलूर के कॉफी मूल्यांकन केन्द्रों में 635 वाणिज्यिक और 363 अ व वि नमूनों को शामिल कर कुल 998 कॉफी नमूनों का मूल्यांकन कायिक और ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए किया गया।

कॉफी भुनाई और पैकेजिंग उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकों पर जागरूकता लाने और अच्छी क्वालिटी कॉफी ब्रू करने के लिए तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए पाँच दिवसीय कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 77 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। क्वालिटी मूल्यांकन केन्द्र बेंगलूर एवं चिकमगलूर में कॉफी रोस्टिगं, ग्राइंडिंग और रिटेल बिक्री पर छ: एक दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कॉफी बोर्ड ने कॉफी भुनाईकार संघ के सहयोग से 3 नवम्बर 2011 को बेंगलूर में, कानूनी माप विज्ञान अधिनियम में किए गए

नए संशोधनों पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

"फ्लेवर ऑफ इण्डिया-2011" का अन्तिम राउण्ड की कप्पिंग 20 जून को एमस्टरडम, नीदरलैण्ड्स में हुई। 232 नमूनों में से 13 अरेबिका, 6 स्पेशियालिटी अरेबिका, 9 रोबस्टा और 6 स्पेशियालिटी रोबस्टा को शामिल कर 34 नमूनों को अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए भेजा। विजेताओं को "फ्लेवर ऑफ इण्डिया - द फाइन कप अवार्ड कप्पिंग प्रतियोगिता 2011" पुरस्कारों का वितरण 23.12.2011 को होटल ललित अशोक, बेंगलूर में आयोजित "कॉफी अवार्डस् नाइट" में किया गया। सीज़न 2012 के लिए अरेबिका के 71 नमूनों, रोबस्टा के 59 नमूनों, स्पेशियालिटी अरेबिका के 47 नमूनों और स्पेशियालिटी रोबस्टा के 42 नमूनों को शामिल कर कुल 219 कॉफी नमूने प्रतियोगिता के लिए प्राप्त हुए। अरेबिका के 16, स्पेशियालिटी अरेबिका के 6, रोबस्टा के 11, और स्पेशियालिटी रोबस्टा के 6 नमूनों को शामिल कर कुल 39 नमूनों को मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए चुना गया।

कॉफी बोर्ड ने स्पेशियालिटी कॉफी एसोसियेशन ऑफ अमेरिका कोनक्लेव में "कप्पिंग ऑफ कॉफीज़ ऑफ इण्डिया" नामक एक कप्पिंग सत्र का आयोजन किया और एस सी ए ए, होस्टन टेक्सास में 29 अप्रैल 2011 को केन्नत डेविड्स का "फ्लेवर ऑफ इण्डिया" प्रोफाइल को रिलीज़ किया।

"कॉफी संसाधन हेतु सहायता" नामक स्कीम के अन्तर्गत उपदान प्रदान करने के लिए उपयुक्तता हेतु बत्तीस रोस्टिंग इकाईयों का निरीक्षण किया गया। तीन कॉफी क्यूरिंग वर्क्स का निरिक्षण किया गया-एक नया लाइसेन्स के जारी करने के लिए और दो क्यूरिंग लाइसन्स के नवीनीकरण के लिए।

घटक 4: मशीनीकरण प्रयासों के जरिए श्रम उत्पादकता का सुधार

यांत्रिक, रासायनिक और हस्त निराई विधियों की निपुणता पर अध्ययन ने दर्शाया कि खरपतवार नियंत्रण के यांत्रिक और रासायनिक विधि से, हस्त निराई की अपेक्षा क्रमश: 51-55% और 46-62% बचत होती है। जब खरपतवार की लम्बाई 15 से 20 सें मी होता है तो खरपतवार नियंत्रण का यांत्रिक विधि सस्ता और अभीष्ट था। यांत्रिकी निराई (1.87) में प्रति एकड़ प्रयुक्त कुल मानव दिवस की संख्या, हस्त निराई (7.54) से सार्थक रूप से कम थी। उसी प्रकार यांत्रिकी निराई में हुई प्रति एकड लागत (645 ₹) हस्त निराई (995 ₹) की तुलना में कम थी। आगे, जाँच अवधि के दौरान लगातार तीन महीनों के लिए रिकार्ड किए गए खरपतवार सूखा भार को रिकार्ड किया गया। खरपतवार नियंत्रण की यात्रिकी विधि ने खरपतवार नियंत्रण के हस्त विधि की तुलना में खरपतवारों का निम्न सूखा भार रिकार्ड किया।

रोबस्टा में हाथ से कटाई की तुलना में तीन बैचों में तीन कटाई मशीनों का प्रयोग करते हुए प्रयोग ने दर्शाया कि हाथ से कटाई की तुलना में यांत्रिकी कटाई मशीन का प्रयोग करने पर 37.7% अधिक क्षम देखा गया।

अरेबिका में यांत्रिकी कटाई मशीनों का प्रयोग कर किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि अरेबिका के लिए यांत्रिकी कटाई पर हस्त कटाई को 75% क्षम पाया गया। आगे, प्रति पौधा हटाए गए उत्पादक पत्तों की संख्या, हस्त कटाई की तुलना में यांत्रिकी कटाई मशीन में सार्थक रूप से अधिक थी। इस से ज्ञात होता है कि कॉफी में यांत्रिकी कटाई में और संशोधन की आवश्यकता है ।

****

अध्याय - V

विस्तरण तथा विकास

क) परम्परागत क्षेत्र :-

परंपरागत कॉफी उगाने वाले क्षेत्र में तीन दक्षिणी राज्य आते हैं यथा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। परम्परागत क्षेत्र में कॉफी अधीन कुल क्षेत्र 3,45,950 हेक्टर हैं जो देश के कुल कॉफी अधीन क्षेत्र 4,09,690 हेक्टर का 84% प्रतिशत है। परम्परागत क्षेत्र में कुल जोतों की संख्या 1,62,366 है जो कि देशभर के 2,80,241 जोतों का लगभग 58% है।

परम्परागत क्षेत्र में कॉफी अधीन क्षेत्र :-

वर्ष के दौरान 3 परम्परागत कॉफी उगाने वाले राज्यों में रोपित क्षेत्र, फलन क्षेत्र और जोतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य	रोपित क्षेत्र(हे)			फलन क्षेत्र(हे)			जोतों की संख्या		
	अरेबिका	रोबस्टा	योग	अरेबिका	रोबस्टा	योग	< 10हे	> 10हे	योग
कर्नाटक	109128	120530	229658	99683	111713	211396	67444	1972	69416
केरल	3865	81083	84948	3670	80530	84200	76960	275	77235
तमिलनाडु	25708	5636	31344	24635	5553	30188	15374	341	15715
परम्परागत क्षेत्र का योग	**138701**	**207249**	**345950**	**127988**	**197796**	**325784**	**159778**	**2588**	**162366**

2011-12 के लिए मौसम परिस्थिति और फसल उत्पादन :-

अधिकांश कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों में मार्च-अप्रैल 2011 के दौरान समय पर और पर्याप्त मात्रा में हुए पुष्पण और समर्थन फुहारों के कारण 2011-12 सीजन फसल के लिए अच्छा पुष्पण और फसल सेट हुआ। मौसमीय स्थिति और दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून अवधि के दौरान हुई वर्षा फसल विकास के लिए अनुकूल साबित हुई।

समग्र स्थिति और फसल प्राप्ति पर विचार करते हुए, परम्परागत क्षेत्र के लिए 2011-12 सीजन के लिए अंतिम फसल प्राक्कलन 3,07,450 मेट्रिक टन रखा गया है जिसमें 95,110 मे.टन अरेबिका और 2,12,340 मे.टन रोबस्टा शामिल है। राज्य वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(मात्रा मे.ट. में)

राज्य	उत्पादन प्राक्कलन		
	अरेबिका	रोबस्टा	योग
कर्नाटक	79825	141175	221000
केरल	1900	66200	68100
तमिलनाडु	13385	4965	18350
परम्परागत क्षेत्र का योग	**95110**	**212340**	**307450**

नाशिकीट और रोग :-

अरेबिका का प्रमुख नाशिकीट वाईट स्टेम बोरर की भरमार वृष्टिपात जोन और स्थानीय क्षेत्रों को छोडकर सामान्यतया धीमी रही। अधिकांश कॉफी उगाने वाले इलाकों में कॉफी बेरी बोरर की भरमार भी धीमी रही। अन्य नाशिकीटों की भरमार जैसे रोबस्टा में शॉट होल बोरर और चूषक कीट सामान्यत: कम स्तर पर थे।

रोगों में, अरेबिका का प्रमुख रोग, पत्ती किट्ट रोग की भरमार का स्तर धीमे से मध्यम के बीच रहा। उच्च उन्नतांश एवं भारी वृष्टिपात क्षेत्रों में स्थित कॉफी बागानों में सामान्यतया देखा जाने वाला ब्लैक रॉट रोग निम्न रहा। कॉफी में डाय बैक और जड़ रोगों की भरमार कम स्तर पर थी।

विस्तरण एवं विकास क्रिया कलापों का अनुश्रवण और समीक्षा :-

- सम्पूर्ण विस्तरण विभाग अनुसंधान निदेशक, सी सी आर आई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है।
- सचिव, कॉफी बोर्ड, विकास समर्थन स्कीम के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
- हासन स्थित संयुक्त निदेशक (विस्तरण) कर्नाटक के चार उप निदेशक (विस्तरण), सात वरिष्ठ संपर्क अधिकारी और सभी संपर्क अधिकारियों के विस्तरण/विकास क्रियाकलापों की देखरेख करते हैं।
- कलपेट्टा स्थित संयुक्त निदेशक (विस्तरण) दो उप निदेशक (विस्तरण), आठ वरिष्ठ संपर्क अधिकारी और केरल और तमिल नाडू के सभी संपर्क अधिकारियों के विस्तरण क्रियाकलापों की देखरेख करते हैं।

विस्तरण क्रियाकलाप:

कॉफी कर्षण के वैज्ञानिक तरीकों पर ज्ञान एवं कुशलता में सुधार लाने की मंशा से प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु बोर्ड के विस्तरण कार्मिकों ने कॉफी उपजकर्ताओं के साथ मेल जोल बनाए रखा। सामान्यत: उपजकर्ता और विशेषकर छोटे उपजकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु विविध व्यक्तिगत और सामूहिक विस्तरण दृष्टिकोण और साधनों का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार करने के लिए विकास समर्थन भी दिए गए।

इस सम्बन्ध में अवधि के दौरान किए गए कार्यकलाप और प्रयुक्त हुए केन्द्रित पहुँच सिद्धांतों में व्यक्तिगत सम्पर्क, कॉफी जोतों का संदर्शन, प्रेक्षणों एवं सुझावों को पुष्ट करने हेतु सलाहकारी पत्र जारी करना, संक्रियाओं को प्रभावी रूप से संपन्न करने की कुशलता में सुधार लाने के लिए पद्धति निरूपण/फार्म पर निरूपण आयोजित करना, ग्राम स्तर/सामूहिक बैठकें एवं सेमीनार, किसान भागीदारी पद्धति एफ पी एम के लिए ग्रुप बनाना, उपजकर्ताओं को लेकर सहभागिता कार्यशाला आयोजन, समूह संचार/संपर्क कार्यक्रम मीडया मुहिम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम उल्लेखनीय है जिससे कॉफी उपजकर्ता और कामगारों में दक्षता और ज्ञान के स्तर में उन्नति लाई जा सके।

विस्तरण कार्मिकों ने नाशिकीट एवं रोगों की भरमार, फसल, बीज कॉफी के प्रापण एवं वितरण आदि के सम्बन्ध में आवधिक मूल्यांकन कार्य किया। वर्ष के दौरान चलाए गए विभिन्न विस्तरण क्रिया कलापों का सार निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	क्रिया कलाप	उपलब्धियाँ (सं.)
1.	एस्टेट संदर्शन	25424
2.	क्षेत्र निरूपण	6142
3.	सलाहकारी पत्र	2368
4.	समूह बैठकें/सेमीनार/ग्राम स्तरीय बैठकें	61
5.	समूह संचार/संपर्क कार्यक्रम	20
6.	किसान सहभागिता पद्धति बैठकें	89
7.	मीडिया मुहिम	63
8.	प्रौ.मू.केन्द्रों में कॉफी कर्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	543
9.	महिला कामगारों/उपजकर्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1037

किसान सहभागिता पद्धति (एफ पी एम) कार्यक्रम :-

उपजकर्ता, विस्तरण कार्मिक एवं वैज्ञानिकों के बीच अंतर संवाद के एक फोरम की सुविधा मुहैय्या कराने के लिए छोटे कॉफी उपजकर्ताओं में प्रौद्योगिकी के अंतरण की प्रभाविता को बढ़ाने के उद्देश्य से किसान सहभागिता पद्धति कार्यक्रम चलाए गए। बैठकों के दौरान विस्तरण कार्मिकों ने यह सुनिश्चित किया कि एफ पी एम से संबंधित समूह सदस्य सक्रिय रूप से भाग लें। इससे उपजकर्ताओं द्वारा प्रकट किए गए स्थान विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने में सहायता मिली और कॉफी की उत्पादन तथा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करने में मदद मिली। कुल मिला कर 44 एफ पी एम नए समूह बनाए गए और वर्ष के दौरान 89 किसान सहभागिता बैठकें ओयाजित हुईं।

समूह संचार कार्यक्रम :-

प्रमुख नाशिकीट और रोगों के एकीकृत प्रबन्धन पर छोटे कॉफी उपजकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए कुल 14 समूह संचार कार्यक्रम चलाए गए। पारम्परिक क्षेत्र के विभिन्न जोन में इन कार्यक्रमों के तहत लगभग 1061 छोटे उपजकर्ताओं को शिक्षित किया गया।

समूह संपर्क कार्यक्रम :-

परम्परागत क्षेत्र के विभिन्न कॉफी उगाने वाले प्रदेशों में छः समूह संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि कॉफी कर्षण के उन्नत पद्धतियों पर छोटे उपजकर्ता समूह को शिक्षित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में बहुत से क्रियाकलाप सम्मिलित किए गए यथा, अलग अलग एस्टेटों से मिट्टी नमूना इकट्ठा करना, खाद प्रयोग करने पर समुचित अनुशंसा तथा सलाह और मिट्टी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी सुधार उपाय सुझाना आदि। इसके अलावा, वैज्ञानिकों एवं विस्तरणकर्ताओं से गठित एक टीम ने एस्टेटों का दौरा किया और कॉफी जोतों के समग्र उन्नति हेतु मूल्यांकन किया और परामर्श दिए। कार्यक्रम के एक भाग के तहत उस क्षेत्र के उपजकर्ताओं के साथ अन्तर संवाद बैठक हुई। ऐसे छः समूह संचार कार्यक्रम के तहत 1043 उपजकर्ताओं को सम्मिलित किया गया।

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टीईसी) :-

परंपरागत क्षेत्रों के अलग अलग कृषि जलवायवीय स्थितियों में स्थापित किए गए 10 प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों (टी ई सी) ने कार्य करना जारी रखा और उत्पादन तथा उत्पादकता में उन्नति लाने के लिए प्रत्येक टी ई सी के लिए बनाए गए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार समय पर कर्षण संक्रिया को चलाए रखा। ये प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी), विभिन्न पौधा सामग्री, क्षेत्र/स्थान विशिष्ट कृषिकर्म प्रणालियों और साथ में प्रशिक्षण तथा बीज उत्पादन केन्द्रों के रूप में कार्य करते रहें।

प्रौ.मू. केन्द्रों में फील्ड डे :-

टी ई सी गोनीकोप्पल, कर्नाटक में 09.01.2012 को एक फील्ड डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 1200 उपजकर्ताओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र संदर्शन, तकनीकी कार्यशाला और एस्टेट संक्रिया में उपयोगी मशीनरियों का प्रदर्शन सह निरुपण आयोजित किए गए।

विकास समर्थन योजना :-

बोर्ड के विस्तरण कार्मिक, विकास समर्थन स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपदान आवेदन पत्रों/दावों के पंजीकरण, जाँच, क्रिया-पद्धति एवं संवितरण के कार्य में लगे रहे। कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणता (क्वालिटी) में उन्नति लाने के लिए पुनःरोपण, जल आवर्धन, गुणता उन्नयन और प्रदूषण उपशमन कार्यों को फार्म स्तर पर संचालित करने की दिशा में पारम्परिक क्षेत्र के कॉफी उपजकर्ताओं को उपदान दिए गए। विभिन्न घटकों के लिए उपदान का विवरण और पैमाना निम्नानुसार हैं :-

1. पुनः रोपण :-

संघटित क्षेत्रों और सहकारी जोतों को छोड़कर जोतों के आकार को ध्यान में रखे बिना उपदान के लिए पात्र एकैक कॉफी उपजकर्ताओं को यह उपदान दिया गया। उपदान का पैमाना जोत के आकार के अनुसार बदल जाता था; (i) 2 हेक्टर जोत आकार के मालिक उपजकर्ता को इकाई लागत का 40% , (ii) 2 हेक्टर जोत आकार से अधिक और 10 हेक्टर तक के मालिक उपजकर्ता को इकाई लागत का 30% और, (iii) 10

हेक्टर से ज्यादा जोत के मालिक उपजकर्ता को 25% देने का प्रावधान है।

2. जल आवर्धन :- 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ता और उपदान के लिए पात्र एकैक उपजकर्ताओं को जल आवर्धन के तहत भिन्न कार्यों के लिए इकाई लागत के 25% की दर से उपदान दिया गया।

3. गुणता (क्वालिटी) उन्नयन :- 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ता को गुणता उन्नयन के तहत भिन्न कार्यों के लिए इकाई लागत के 20% की दर से उपदान दिया गया।

4. प्रदूषण उपशमन :- प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ताओं को इकाई लागत के 20% की दर से उपदान दिया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों के तहत प्रत्यक्ष उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	घटक/कार्य	लाभानुभोगियों/इकाईयों की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र हे.में
1.	पुन:रोपण	1,520	3,186
2.	जल आवर्धन	2,928	9,122
3.	गुणता उन्नयन	3,020	10,704
4.	प्रदूषण उपशमन	-	-
	योग	**7,468**	**23,012**

कॉफी एस्टेट संक्रिया के मशीनीकरण हेतु समर्थन :-

स्कीम का लक्ष्य समय पर, विशेषकर, फार्म श्रमिकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण फार्म संक्रियाओं को चलाने में फार्म मशीनरी के प्रयोग को बढ़ावा देना है ताकि उत्पादकता और श्रम सक्षमता को बनाए रखा जा सके।

भारत सरकार ने फरवरी 2011 के दौरान विभिन्न आकार वाले जोतों और स्व स स/उपजकर्ता समष्टियों के लिए प्रयोज्य के निम्नलिखित पैमाने के साथ XIवीं योजना की शेष अवधि में कार्यान्वयन के लिए योजना को अनुमोदित किया।

जोतों की श्रेणी	**उपदान का पैमाना**
20 हे. तक जमीन वाले उपजकर्ता	50% बशर्ते 2.00 लाख रूपयों की सीलिंग
20 हे. से ज्यादा जमीन वाले उपजकर्ता .	25% बशर्ते 4.50 लाख रूपयों की सीलिंग
स्व स स/उपजकर्ता समष्टि	**50% बशर्ते 5.00 लाख रूपयों की सीलिंग**

इस स्कीम के तहत 2011-12 के दौरान 18380 मशीनरी के लिए समर्थन दिया गया जिससे 16619 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

गैर परम्परागत क्षेत्र (मे प क्षे) (आन्ध्रप्रदेश ओडिशा) क्षेत्र का विवरण :

गैर परम्परागत क्षेत्र मे वाणिज्यिक कॉफी कर्षण आन्ध्रप्रदेश के वन विभाग और ओडिशा के भू संरक्षण विभाग द्वारा 1960 में किया गया । आन्ध्रप्रदेश और ओडिशा में कॉफी अधीन क्षेत्र और जोतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है ।

	रोपित क्षेत्र(हे)			फलन क्षेत्र(हे)			जोतों की संख्या		
आन्ध्र प्रदेश	**अरेबिका**	**रोबस्टा**	**योग**	**अरेबिका**	**रोबस्टा**	**योग**	**< 10हे**	**> 10हे**	**योग**
मिनीमुलूरू	24177	1	24178	15246	1	15247	57462	01	57463
चिन्तापल्ली(पू)	8867	181	9048	6087	181	6268	14944	02	14946
चिन्तापल्ली(प)	12759	86	12845	9935	86	10021	16549	02	16551
अरक्कूवेली	8980	--	8980	6219	--	6219	19286	01	19287
योग	**54783**	**268**	**55051**	**37487**	**268**	**37755**	**108241**	**06**	**108247**
ओड़िशा									
कोरापुट	3549	-	3549	2487	-	2487	2525	20	2545
योग	3549	-	3549	2487	-	2487	2525	20	2545
महायोग	**58332**	**268**	**58600**	**39974**	**268**	**40242**	**110766**	**26**	**110792**

मौसम परिस्थिति और फसल उत्पादन :-

आन्ध्र प्रदेश में 2011-12 सीजन के दौरान कॉफी के विकास के लिए मौसम संतोषजनक और अनुकूल रहा। अप्रैल 2011 के पहले पखवाडे में पुष्पण फुहार हुई तथा उसके बाद अप्रैल 2011 के दूसरे पखवाडे के दौरान समर्थन फुहारें हुई जिससे सन्तोषजनक पुष्पण और फलों की सेटिंग हुई। जून 2011 में जमा मॉनसून बड़ा सक्रिय रहा और पूरे सीज़न में वृष्टिपात का वितरण संतोषजनक था।

ओडिशा में, 2011-12 सीजन के दौरान कॉफी के विकास के लिए मौसम संतोषजनक और अनुकूल था। मार्च 2011 के दूसरे पखवाड़े के दौरान पुष्पण फुहारें हुई और उसके बाद अप्रैल 2011 में फुहारें हुई। मानसून जून 2011 में सेट हुआ और पूरे सीजन में वृष्टिपात का फैलाव संतोषजनक था।

सम्पूर्ण परिस्थिति और फसल प्राप्ति पर विचार करते हुए 2011-12 सीजन के लिए गै प क्षे हेतु कॉफी का अंतिम प्राक्कलित उत्पादन 6330 मे.टन था जिसमें 6245 मे.टन अरेबिका और 85 मे.टन रोबस्टा शामिल है।

नाशिकीट और रोग :-

वर्ष 2011-12 के दौरान नाशिकीट और रोग की किसी प्रमुख उद्रेक की रिपोर्ट नहीं आई। अरकूवेली और मिनीमुलूरू के क्षीण छाया वाले कुछ क्षेत्रों में ग्रीन स्केल की घटना रिपोर्ट की गई। ओडिशा में, कॉवेरी जैसे संवेदी किस्मों में पत्ती किट्ट की घटना मध्यम पाई गई ।

विस्तरण क्रिया कलाप :-

आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के विस्तरण कार्मिकों द्वारा लिए गए विस्तरण क्रियाकलाप कुछ निर्दिष्ट कार्यो पर केन्द्रित थे । वे थे सम्पर्क एवं कॉफी जोतों को किए गए अनुवर्ती दौरों के जरिए प्रौद्योगिकी का अन्तरण, क्षेत्र निरूपणों का आयोजन, सामूहिक विचार विमर्श, सलाहकारी पत्र जारी करना ताकि जनजाति सेक्टर में कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार हो।

वर्ष 2011-12 के दौरान गैर परम्परागत क्षेत्र में किए गए विभिन्न विस्तरण क्रियाकलाप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	**क्रिया कलाप**	**उपलब्धियां (सं)**
1	एस्टेट संदर्शन	2477
2	विधि निरुपण	589
3	सम्बोधित समूह बैठकें	266
4	टी ई सी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	7738
5	परम्परागत कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरा	36
6	क्वालिटी जागरुकता मुहिम	10

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी) :-

गैर परम्परागत क्षेत्र में कार्यरत दो प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र हैं, एक मिनीमुलूरू (आन्ध्र प्रदेश) और दूसरा कोरापुट (ओडिशा) में है। ये दोनों केन्द्र बीज कॉफी के उत्पादन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के अलावा निरूपण सह प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करते रहे।

मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स :-2004-05 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के चिन्तापल्ली में स्थापित मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स ने आन्ध्र प्रदेश के जन जाति उपजकर्ताओं द्वारा पूलित कच्ची कॉफी के संसाधन को जारी रखा।

गैर परण्परागत क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम :-

वर्ष 2011-12 के लिए गैर पारम्परिक क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न उपदान स्कीम के अधीन प्रत्यक्ष उपलब्धि निम्नानुसार है :-

क्रियाकलाप	क्षेत्र/इकाई
कॉफी विस्तारण (क्षे.हे.में)	3,029
क्वालिटी उन्नयन	
क) सुखाने के यार्ड (इकाई संख्या)	1,046
ख) बेबी पल्पर्स (इकाई संख्या)	250

ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) :-

क्षेत्र का वितरण :-

असम के कचर जिले में 1953 के शुरूआत में ही कॉफी कर्षण का आरंभ किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी क्षेत्र 5140 हेक्टर है जिसमें 4037 हेक्टर अरेबिका और 1103 हेक्टर रोबस्टा शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफी अधीन क्षेत्र और जोतों की संख्या को बताता विवरण निम्नानुसार है :-

संपर्क क्षेत्र/राज्य	रोपित क्षेत्र(हे)			फलन क्षेत्र(हे)			जोतों की संख्या		
	अरेबिका	रोबस्टा	योग	अरेबिका	रोबस्टा	योग	< 10हे	> 10हे	योग
अरूणाचल प्रदेश	-	198	198	-	154	154	164	2	166
असम	523	333	856	355	305	660	770	3	773
मणिपुर	173	-	173	20	-	20	169	-	169
मेघालय	273	322	595	138	156	294	876	-	876
मिजोरम	1285	4	1289	637	3	640	2900	3	2903
नागालैंड	1521	197	1718	600	50	650	1443	1	1444
त्रिपुरा	262	49	311	194	49	243	752	-	752
योग	**4037**	**1103**	**5140**	**1944**	**717**	**2661**	**7074**	**9**	**7083**

मौसम परिस्थिति और फसल उत्पादन :-

पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य जलवायु ज्यादातर उष्णकटिबन्धीय एवं उप उष्णकटिबन्धीय थी जिसमें लम्बे दिन, उच्च वृष्टिपात, दैनिक तापमान में बदलाव इत्यादि अनुभव हुए। परन्तु, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश ने कॉफी कर्षण में कोई सीमित करने वाला प्रभाव नहीं डाला।

सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी उत्पादन, बागान के रख रखाव और निम्न पौधा संख्या को शामिल कर विभिन्न कारणों से कम रहा। उपरोक्त स्थिति पर विचार करते हुए, 2011-12 सीजन के लिए कुल प्राक्कलित फसल 222 मे.टन था। जिसमें 144 मे.टन अरेबिका और 78 मे.टन रोबस्टा शामिल थी।

नाशिकीट और रोग :-

सामान्यत:, कुछ जगहों में वाइट स्टेम बोरर और पत्ती किट्ट के हल्के आपतन को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉफी एस्टेट में किसी बड़े नाशिकीट और रोग का प्रदुर्भाव नहीं देखा गया।

विस्तरण क्रिया कलाप :-

क्र. सं.	क्रिया कलाप	उपलब्धियां (सं)
1	एस्टेट संदर्शन	2468
2	विधि निरुपण	1200
3	सम्बोधित समूह बैठकें	371
4	टी ई सी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	1680
5	परम्परागत कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरे	19
6	क्वालिटी जागरुकता मुहिम	53

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी) :

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र कार्य कर रहे है। ये दिओमली (अरूणाचल प्रदेश), हफलांग (एन सी हिल्स, असम), बुआलपुई (मिजोरम), तुलाकोना (अगरतला, त्रिपुरा) में स्थित हैं। टी ई सी, बुआलपुई, मिजोरम, बीज कॉफी के उत्पादन केन्द्र के साथ साथ निरूपण सह प्रशिक्षण केन्द्र के तौर पर भी सेवाएं प्रदान करता रहा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम के अधीन समर्थन :-

वर्ष के दौरान, कॉफी के उत्पादन और क्वालिटी की समग्र उन्नति के उद्देश्य के साथ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम के तहत विस्तारण, समेकन और क्वालिटी (गुणता) उन्नयन जैसे अलग अलग कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यकलापों की दिशा में दिए गए समर्थन की प्रत्यक्ष उपलब्धि नीचे प्रस्तुत है :-

क्रियाकलाप	क्षेत्र/इकाई
कॉफी विस्तारण (क्षे.हे.में)	448
कॉफी का समेकन (क्षे.हे.में)	144
क्वालिटी उन्नयन	
क) सुखाने के यार्ड (इकाई संख्या)	23
ख) सुखाने के ट्रे (इकाई संख्या)	260
ग) बेबी पल्पर्स (इकाई संख्या)	107

उपरोक्त कार्यकलापों के लिए दिए गए वित्तीय समर्थन के अलावा, कॉफी विस्तारण और समेकन कार्यों को सहायता देने के लिए समूह नर्सरियों के जरिए कॉफी पौदों और छाया वृक्ष के पौदों को उगाकर वितरित करने के लिए भी बोर्ड ने समर्थन दिया।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उत्पादित कॉफी के सम्बन्ध में, जनजाति उपजकर्ताओं से कच्ची कॉफी के संग्रहण, उसके संसाधन, परिवहन और निपटान की लागत को पूरा करने के लिए बोर्ड ने आवश्यक वित्तीय समर्थन प्रदान करना जारी रखा।

मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स :-

बुआलपुई में बोर्ड द्वारा स्थापित मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स में मिजोरम और त्रिपुरा के उपजकर्ताओं द्वारा पूल की गई कच्ची कॉफी का संसाधन कार्य जारी रहा।

घ. पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण :-

कॉफी उद्योग के पणधारियों के क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-

- भारतीय बागान प्रबन्ध संस्थान, बेंगलूर के सहयोग से देश के विभिन्न कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों के 389 कॉफी उपजकर्ताओं के लिए 13 पहुँच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहुंच कार्यक्रम के अधीन लिए गए प्रमुख विषय हैं :

(i) समूहों का निर्माण, कॉफी के व्यापार और विपणन में वर्तमान एवं भविष्य के रूझान

(ii) कॉफी उपजर्कताओं के लिए धारणीय कॉफी व्यापार हेतु वित्तीय और लागत प्रबन्धन

(iii) कॉफी सेक्टर में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने हेतु नियमन फ्रेम वर्क और

(iv) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी उपजकर्ताओं के लिए बिजनेस मॉडल।

- भारतीय बागान प्रबंध संस्थान, बेंगलूर ने बोर्ड के 85 कार्मिकों के लिए

(i) सकारात्मक सोच, प्रोत्साहन व उच्च निष्पादन और

(ii) सू प्रौ समर्थ कार्यालय प्रशासन प्रणाली पर 3 लघु अवधि कार्यपालक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- कॉफी बोर्ड के प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों में 543 कॉफी उपजकर्ताओं, एस्टेट कामगारों और पर्यवेक्षण स्टाफ के लाभ के लिए कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

- कृषि विश्वविद्यालयों /आई सी ए आर के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से 1037 महिला उपजकर्ताओं/ कामगारों के लाभ के लिए महिला विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ङ) कार्य पूँजी ऋणों पर कॉफी उपजकर्ताओं को ब्याज उपदान :-

कॉफी के लिए विकास समर्थन स्कीम के एक भाग के रुप में, बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों पर कार्य पूंजी ऋणों पर उपजकर्ताओं को समान दर पर (5% से ज्यादा नहीं) ब्याज उपदान दिया :

(i) प्रति अरेबिका कॉफी उपजकर्ता को 50,000 ₹ और प्रति रोबस्टा कॉफी उपजकर्ता को 40,000 ₹ की सीलिंग तक सीमित ब्याज उपदान दिया जायगा।

(ii) ब्याज उपदान देने के बाद, ब्याज दर 7% से कम नहीं होना चाहिए।

कार्यपूंजी ऋणों पर ब्याज उपदान, घटक के तहत वस्तुगत और वित्तीय उपलब्धि कार्यान्वयन की निर्धारित शर्तों के कारण वर्ष के दौरान बहुत ही कम रही। इस योजना के तहत लगभग 13035.96 हेक्टर में व्याप्त केवल 1352 उपजकर्ताओं ने 135.55 लाख ₹ के ब्याज उपदान का लाभ लिया।

****

अध्याय - VI

बाजार विकास और संसाधन हेतु सहायता

एक मजबूत और धारणीय घरेलू कॉफी बाजार में घरेलू कॉफी उपभोग को बढ़ाने और निम्न विश्व मूल्यों की अवधियों में उपजकर्ताओं, विशेषकर छोटे उपजकर्ताओं को अच्छा मुनाफा देने की दृष्टि से और मूल्य संवर्धन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु XI वीं योजना अवधि में भारत सरकार ने दो योजनाओं को अनुमोदित किया है :

क. बाजार विकास हेतु स्कीम

ख. कॉफी संसाधन हेतु सहायता

क. बाजार विकास

इस योजना के दो उप घटक हैं - यथा I) घरेलू प्रोन्नयन एवं II) बाजार अनुसंधान एवं इंटेलिजेंस

I) घरेलू प्रोन्नयन

यह जाहिर है कि भारत में कॉफी सेक्टर में दीर्घकालीन धारणीयता हासिल करने के लिए, सुदृढ़ घरेलू बाजार की संवृद्धि महत्वपूर्ण है। सेक्टर में मूल्य सृजित करने के अतिरिक्त, एक सुदृढ़ माँग उत्पादकों के लिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के विरूद्ध एक संघातसह बनाने में सहायक होता है। इस सन्दर्भ में, XIवीं योजना अवधि के अंतर्गत यह लक्ष्य है कि कॉफी उपभोग को 2011-12 तक 80,000 मे.टन के आधार स्तर से 1,20,2000 मे.टन. तक पहुँचाया जाय। कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग आदि पर प्रशिक्षण देते हुए उद्यमी निपुणता का विकास करने के साथ सामूहिक मीडिया (टी.वी., रेडियो, पत्रिकाओं) का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रोन्नति मुहिमों के जरिए कॉफी/शुद्ध कॉफी पीने के बारे में जागरूकता लाने, उत्सवों में भाग लेने जैसे कार्य करते हुए घरेलू बाजार में संवृद्धि को सहज बनाया जा सकता है।

घरेलू प्रोन्नति नीति, बाजार इन्टेलिजेन्स इकाई द्वारा किए गए बाजार विश्लेषण से प्राप्त हुए सूचनाओं के आधार पर बनती है। इस विषय में बाजार अनुसंधान और इन्टेलिजेंस द्वारा घरेलू बाजार के विकास के लिए दिए गए सूचना समर्थन का सारांश निम्नानुसार है :

ग) बाजार अनुसंधान और इंटेलिजेंस :-

इस घटक को उपजकर्ताओं को वेब के जरिए बाजार रूझान का विशलेषण जुटाने और बोर्ड के विस्तरण नेटवर्क के जरिए इस विश्लेषण का विकीर्णन करने पर फोकस करना है ताकि उपजकर्ता बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। बाजार इन्टेलिजेन्स इकाई द्वारा किए गए कार्यों में वार्षिक फसल प्राक्कलन करते हुए सप्लाई प्राक्कलन, बाजार विश्लेषण, कॉफी पर डेटा बेस का रख-रखाव, घरेलू सूचकांक मूल्य रिपोर्ट, घरेलू खपत और मनोवृत्ति सर्वेक्षण और साथ ही, आवधिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। घरेलू खण्ड में बाजार विकास हेतु विशेष सूचना एकत्रित करने के लिए घरेलू उपभोग पर आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। कॉफी उपभोग के रूझान एवं मनोवृत्ति विश्लेषण का पता लगाने के लिए 2009 में भारत में कॉफी उपभोग पर पांचवां क्षेत्र सर्वेक्षण चलाया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि 2011-12 के दौरान उपभोग 1,15,000 मे.टन तक बढ़ गया।

घरेलू प्रोन्नतीय क्रियाकलाप

उपभोग अध्ययनों ने घरेलू प्रोन्नति पहल/कार्यक्रमों के अभिविन्यास को विकसित करने के लिए खास ध्यान दिया है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के यदाकदा पीने वाले सम्भाव्य बढ़त खण्ड है। अत: घरेलू प्रोन्नति ने घरेलू मेलों में भाग लेने, मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करने और गुणता नियंत्रण प्रभाग द्वारा आयोजित कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए उद्यमकर्ता-संबंधी क्षमता विकसित करने के कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

बोर्ड ने 60 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें 11 उत्तर क्षेत्र में, 33 दक्षिण में, 11 पूर्व में और 5 पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित हुए। बोर्ड के प्रदर्शनी स्टालों ने, बड़ी संख्या में आगन्तुकों को आकर्षित किया और कॉफी बोर्ड को सर्वोत्तम प्रदर्शनी के लिए अनेक सराहना और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इन प्रदर्शनियों में कॉफी की प्रोन्नति ने स्वास्थ्य पहलुओं, जीवनशौली पर फोकस किया और घरेलू बाजार में उद्यम के विकास में सहायता के लिए प्रसंस्करण योजना हेतु समर्थन को भी प्रोन्नत किया। इसके अलावा, घरेलू घटनाओं में "कॉफी कैसे तैयार की जाती है" पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गयी। कॉफी ब्रूइंग पर प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्ली, जयपुर, कोलकात्ता आदि में के महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में कार्यशालाएं और कापी शास्त्र कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए गए। अग्री टेक फोकस के साथ परम्परागत क्षेत्रों में घटनाओं को अनुसन्धान और विस्तरण के साथ भागीदारी समन्वयन द्वारा विकास समर्थन योजना, यंत्रीकरण योजना को प्रोन्नत करने के लिए प्लैटफार्म के रुप में प्रयोग किए गए। उत्तर भारत की घटनाओं का आयोजन भुनाईकारों और स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए किया गया जिन्होंने रोस्टिंग इकाई की स्थापना की है। यह उनके कॉफी सम्बन्धी उत्पादों को दर्शाने और व्यापार सम्पर्क विकसित करने में सहायक होता है।

घटनाएं जिनमें बोर्ड ने कॉफी से सम्बन्धित संदेश दिए वे निम्न हैं :-

क्र. सं.	घटना का नाम	स्थान	घटना की अवधि
1	किचन एण्ड बियोण्ड 2011	चंडीगढ़	22 से 25 अप्रेल 2011
2	वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी	ऊटी	20 से 22 मई 2011
3	कृषि व बागबानी टेक 2011	कोयम्बत्तूर	27 से 30 मई 2011
4	डेक्कन हेराल्ड व प्रजावाणी प्रीमियर शिक्षा मेला	बेंगलूर	28 से 29 मई 2011
5	अग्री टेक इंडिया-ओ-ग्रामीण शिल्प मेला	कोलकाता	2 से 9 जून 2011
6	पी आई बी, भारत निर्माण मेला	कण्णूर	8 से 10 जून 2011
7	द इण्डियन एक्सप्रेस हासपिटालिटी वर्ल्ड	बेंगलूर	23 से 25 जून 2011
8	आतिथ्य व्यापार मेला 2011	चेन्नई	7 से 9 जुलाई 2011
9	दिनमलार कृषि 2011	वेलूर	15 से 18 जुलाई 2011
10	एग्री इन्टेक्स 2011 एक्स्पो	कोयम्बत्तूर	28 से 31 जुलाई 2011
11	7 वां खाद्य व टेक एक्स्पो 2011	नई दिल्ली	29 से 31 जुलाई 2011
12	स्वतंत्रता दिवस समारोह	नई दिल्ली	13 से 15 अगस्त 2011
13	17 अखिल भारतीय राष्ट्रीय एक्स्पो 2011	कल्याणी, पश्चिम बंगाल	20 से 28 अगस्त 2011
14	आहार 2011	चेन्नई	25 से 27 अगस्त 2011
15	राज्य स्तर उपभोक्ता मेला	कोलकाता	9 से 11 सितम्बर 2011
16	बागबानी एक्स्पो 2011	कोचिन	3 से 7 सितम्बर 2011
17	15 वॉं राष्ट्रीय एक्स्पो	कोलकाता	7 से 11 सितम्बर 2011
18	इण्डिया फूडेक्स 2011	बेंगलूर	9 से 11 सितम्बर 2011
19	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी 2011	मुम्बई	6 से 8 सितम्बर 2011
20	8 वां भारत एफ एण्ड बी आतिथ्य एक्स्पो 2011	पाणजी, गोआ	16 से 18 सितम्बर 2011.
21	कृषि विज्ञान मेला 2011	वेल्लायनी, त्रिवेन्द्रम	19 से 24 सितम्बर 2011
22	पी आई बी भारत निर्माण जनता मुहिम	मनन्तावडी, वायनाड	22 से 24 सितम्बर 2011
23	अपर क्रस्ट शो, ललित अशोक	बेंगलूर	23 से 25 सितम्बर 2011
24	दिनमलार कृषि एक्स्पो 2011,	मदुरै, त ना.	13 से 16 अक्तूबर 2011

25	एन एस एफ आई, विश्व कृषि कनक्ट 2011,	नई दिल्ली	14 से 16 अक्तूबर 2011
26	सी आई आई चंडीगढ़ मेला 2011	चन्डीगढ़	20 से 24 अक्तूबर 2011
27	एन आई आई टी एफ 2011	जयपुर	16 से 23 अक्तूबर 2011
28	सी आई आई फुडप्रो 2011	चेन्नई	21 से 23 अक्तूबर 2011
29	संयुक्त रोपक संघ उपासी 2011	कुन्नूर	22 और 23 अक्तूबर 2011
30	31 वां भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2011	नई दिल्ली	14 से 27 नवम्बर 2011
31	तीसरा एग्रो टेक 2011	कोलकाता	3 से 5 नवम्बर 2011
32	बायो फेक इण्डिया 2011	बेंगलूर	10 से 12 नवम्बर 2011
33	अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फुड इंडिया 2011	मुम्बई	16 से 18 नवम्बर 2011
34	31 वां आई आई टी एफ 2011	नई दिल्ली	14 से 27 नवम्बर 2011
35	राष्ट्रीय कृषि मेला 2011	जी के वी के, बेंगलूर	16 से 20 नवम्बर 2011
36	फुड 360 2011	हैदराबाद	20 से 22 नवम्बर 2011
37	एग्री एक्स्पो 2011 भारत अन्तर्राष्ट्रीय एक्स्पो 2011	कोचिन	26 से 28 नवम्बर 2011
38	हासन जिला रोपकों की बैठक	हासन	14 नवम्बर 2011
39	उपजकर्ता संगमम	सुल्तान बत्तेरी	19 नवम्बर 2011
40	कापी ट्रेल 2011	बेंगलूर	5 से 15 दिसम्बर 2011
41	8 वां जातीय शान्ति उत्सव-ओ- भारत मेला	24-परगाना, पश्चिम बंगाल	10 से 17 दिसम्बर 2011
42	सुन्दरबन कृषि मेला	24- परगाना, पश्चिम बंगाल	20 से 29 दिसम्बर 2011
43	ओनातुकारा- कृषि उत्सव 2011	चारुमुद, केरल	20 से 22 दिसम्बर 2011
44	भारत निर्माण प्रदर्शनी पी आई बी	चित्रदुर्गा	26 से 28 दिसम्बर 2011
45	आर सी आर एस में मुफ्त कॉफी की आपूर्ति	थाण्डीगुडी	8 दिसम्बर 2011
46	टी ई सी में स्वर्ण जयंती सह फील्ड डे	गोनीकोप्पल	9 जनवरी 2012
47	99 वां इंडिया साइन्स कांग्रेस	भुवनेश्वर	3 से 7 जनवरी 2012
48	10 वां प्रवासी भारतीय दिवस 2012	जयपुर	7 से 9 जनवरी 2012
49	आई आई सी एफ 2012	नई दिल्ली	18 से 20 जनवरी 2012
50	आचार्य सत्यन्द्रनाथ बासु स्मारक मेला	कोलकाता	19 से 23 जनवरी 2012
51	विज्ञान एक्स्पो 2012	कोट्टयम	29 से 31 जनवरी 2012
52	एफ के सी सी आई फुड प्रो हास्पिटालिटी, 2012	बेंगलूर	17 से 20 फरवरी 2012
53	महिलाओं का आटुकल उत्सव 2012	त्रिवेन्द्रम	29 फरवरी से 7 मार्च 2012
54	ए पी टी डी सी सी आई आई ए पी-टेक 2012	हैदराबाद	3 से 4 मार्च 2012
55	आहार आतिथ्य भारत 2012	नई दिल्ली	12 से 16 मार्च 2012
56	चौथा एग्री एक्स्पो 2012	तिरुचिरापल्ली	23 से 26 मार्च 2012
57	एग्री हार्टी एक्स्पो	हैदराबाद	24 से 26 मार्च 2012
	कापी शास्त्र कार्यक्रम		
58	कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	नई दिल्ली	21 और 22 नवम्बर 2011
59.	कापी प्रदर्शनी कार्यक्रम	नई दिल्ली	1 जनवरी 2012
60.	कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम	जयपुर	7 से 9 जनवरी 2012

उपरोक्त प्रतिभागिता ने रोस्टर्स एवं स्व स स को भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आहार और भारत अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी उत्सव 2012 जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में उनके मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया।

आगे, उपभोग सर्वेक्षण ने यह बात सामने लाया कि कॉफी सेवन की राह पर मुख्य रुकावट उपभोक्ताओं के मन में स्थित स्वास्थ्य संबंधी विचार हैं। इस प्रकार कॉफी में मौजूद स्वास्थ्य संबंधी तत्वों को बताते हुए प्रोन्नतीय उपाय, जो कि सभी मीडिया में चलाए गए बहुत ही उपयोगी प्रतीत हुए। कॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में, बोर्ड ने भी नई योजना के तहत निम्नलिखित कार्यकलाप किए है: I) टी वी मुहिम, II) रेडियो मुहिम, III) प्रिंट मीडिया, पुस्तिकाएँ एवं जर्नल के जरिए प्रोन्नति मुहिम VI) वेब आधारित मुहिम विशेषकर कॉफी बोर्ड के मास्कट-कॉफी स्वामी के जरिए कॉफी ज्ञान देना। बहुत सी व्यापार पत्रिकाओं और लाइफ स्टाइल पत्रिकाओं में कुल 162 विज्ञापन दिए गए। इन विज्ञापनों का लक्ष्य था उपभोग को प्रेरित करने वाले गुणों को प्रोन्नत करना। साथ ही साथ, कॉफी के स्वास्थ्य पहलुओं पर जानकारी देकर उपभोग की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करना था। प्रसंस्करण स्कीम के लिए समर्थन को भी प्रोन्नत किया गया। संगठन की स्मारिका इत्यादि का इस्तेमाल विकास समर्थन स्कीम को भी दृश्यता प्रदान करने हेतु किया गया।

बोर्ड ने दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलूर, भोपाल, तिरूमला एवं गुरूवायुर के प्रमुख स्थानों में कार्यरत 13 इंडिया कॉफी डिपो/इंडिया कॉफी हाउसों के जरिए उपभोक्ताओं को शुद्ध कॉफी का अनुभव देने के प्रयास को जारी रखा।

ख. कॉफी प्रसंस्करण हेतु समर्थन : मूल्य संवर्धन की दिशा में एक कदम

XIवीं पंच वर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान कॉफी बोर्ड ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से कॉफी प्रसंस्करण मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपदान योजना का प्रारम्भ किया है। योजना का उद्देश्य कॉफी उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाना और कॉफी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए मूल्य संवर्धन प्राप्त करना है।

इस योजना के अंतर्गत, कॉफी प्रसंस्करण मशीनरी जैसे रोस्टर्स, ग्राइंडर्स और पैकेजिंग मशीनरी को किसी भी संयोजन में जैसे रोस्टिंग मशीन मात्र, रोस्टिंग एण्ड ग्राइंडिंग और रोस्टिंग, ग्राइंडिंग एण्ड पैकेजिंग मशीन आदि की सुविधा के साथ मशीन को उपदान के लिए योग्य बनाया गया है। व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह और उपजकर्ता समष्टि, विपणन सहकारिता संघ, फर्म, भागीदारी जो कॉफी रोस्टिंग और ग्राइंडिंग की इकाई स्थपित करने में रूची रखते हैं और वर्तमान इकाइयों को नए स्वचालित और ऊर्जा बचाने वाले मशीनरी से बदल कर आधुनिकीकरण में भी रूची रखते है, वे स्कीम से लाभान्वित होने के हकदार हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता, व्यक्तियों/फर्मों के कुल लागत के 25% और स्वयं सहायता समूहों और अन्य उपजकर्ता समूहों के लिए 40% तक सीमित है। कुल लागत में मशीनरी सामग्री का मूल लागत के अलावा, स्वीकार्य कर, परिवहन शुल्क, बीमा और कमीशन लागत शामिल हैं। अधिकतम उपदान, व्यक्तियों के लिए 25.00 लाख ₹ प्रति इकाई और स्वयं सहायता समूह तथा उपजकर्ता समष्टियों के लिए 40 लाख ₹ सीमित है। अग्रणी प्रिंट मीडिया के जरिए इस स्कीम को समुचित प्रचार दिया गया था।

पिछले वर्ष के 24 मामलों के मुकाबले 2011-2012 के दौरान, प्रसंस्करण हेतु समर्थन के 33 मामलों पर कार्रवाई की गई। आई आई सी एफ और प्रिंट मीडिया में कार्यशाला के जरिए इस स्कीम की प्रोन्नति के बाद बहुत से उद्यमियों ने व्यापार सुविधाओं का लाभ उठाने में रूचि दिखाई है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी बढ़त का इंतजार है।

इंडिया इंटरनेशनल कॉफी फेस्टिवल (आई आई सी एफ -2012)

आई आई सी एफ -2012, कॉफी सेक्टर के फ्लेगशिप ईवेन्ट का चौथा संस्करण, 18 से 20 जनवरी 2012 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन कॉफी उद्योग के पणधारियों द्वारा गठित एक नान प्रोफीट (गैर मुनाफा) संगठन, इंडिया कॉफी

ट्रस्ट ने किया। पहली बार यह कॉफी उत्सव उत्तरी क्षेत्र में आयोजित किया गया जहां कॉफी उपभोग के लिए उच्च बढ़त संभाविता दिखाई दे रहे हैं और अतिथेय शहर के रुप में दिल्ली का चुनाव सही और वाजिब था।

श्री अनन्द शर्मा, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्र मंत्री, भारत सरकार ने 18 जनवरी 2012 की संध्या को इस उत्सव एवं कॉफी एकस्पो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रोबेरियों ओलिवेइरा सिल्वा, कार्यकारी निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव (बागान), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री जावेद अख्तर, अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण विशेष व्यक्तियों की उपस्थिति इस उत्सव का आकर्षण थी।

19 जनवरी 2012 का प्रात: कालीन सम्मेलन सत्र, श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार के महत्वपूर्ण भाषण से प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में भारत और दुनिया भर से 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉफी उपभोक्ता और उपजकर्ता देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 से भी ज्यादा देशों से प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आये। अस्ट्रेलिया, बेलजियम, ब्राजील, जर्मनी, इटली, कीनिया, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया,फिलीपिन्स, सिंगापूर, स्वीडन, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका और यूक्रेन आदि देशों से प्रतिनिधि पधारे थे। प्रमुख वक्ताओं ने कॉफी सेक्टर के महत्वपूर्ण विषयों पर वक्तव्य दिया तथा समाधान प्रस्तुत किया। बढ़ती मांग, बढ़ते बाजार तथा तकनीकी आविष्कारों पर प्रस्तुतीकरण बहुत ही प्रभावशाली रहे।

क्यूरिंग, रोस्टिंग, केफे बिजनेस इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में जिन संगठनों एवं व्यक्तियों ने ऊँचे मानक स्थापित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए उनके प्रेरित करने तथा उनको मान्यता देने के उद्देश्य से 19 जनवरी 2012 की शाम को आई आई सी एफ अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार ने सर्वोत्तम केफे, रोस्टर्स, क्यूरर्स एवं लाटे आर्ट चैंपियन को पुरस्कार प्रदान किए। स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया बारिस्ता चैंपियनशिप आर्वड्स् के विजेताओं को भी इस महत्वपूर्ण मंच पर पुरस्कृत किया गया।

समापन समारोह को डॉ अनूप के पुजारी, आई ए एस, महानिदेशक, विदेश व्यापार ने संबोधित किया।

"कॉफी एक्सपो" में कॉफी सेक्टर के समूचे वर्ग से प्रतिभागी आये थे जैसे कॉफी उपजकर्ता, रोस्टर्स, निर्यातक, कॉफी व्यापारी, केफे, उपकरण विनिर्माता इत्यादि। एक्सपो में 2000 से भी ज्यादा दर्शक आये थे जिन्होंने कॉफियों में बेहतरीन कॉफी, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और सेवाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। यह एक्सपो व्यापार, नेटवर्किंग, अंतरसंवाद एवं भागीदारी के लिए एक 'ज्वलंत स्थान" प्रमाणित हुआ।

निपुणता निर्माण कार्यशालाएं

कॉफी उत्सव की रोचक बातों में निपुणता निर्माण कार्यशालाएं उल्लेखनीय है, जिसमें रोस्टिंग एवं ग्राईंडिंग, कॉफी के साथ कुकिंग, फिल्टर कॉफीऔर एसप्रेस्सो तैयार करने के क्षेत्र से आये विशेषज्ञों के साथ विचारों का आदान प्रदान हुआ और गहराई से विभिन्न विषयों पर अनुभव प्राप्त किए गए। ये आयोजन आई आई सी एफ-2012 के प्रारंभ होने के पहले ही चलाए गए थे जिसमें भारत और विदेश के विशेषज्ञ एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

कॉफी सेक्टर के बड़े बड़े नामी संस्थाओं ने इस आयोजन को प्रायोजित किया एवं समर्थन दिया। केफे कॉफी डे इस आयोजन का प्रमुख प्रायोजक थे। नेस्ले ने अवार्ड समारोह को प्रायोजित किया, टाटा कॉफी सम्मेलन का "को होस्ट" (सहायक अतिथेय) और लवाज्जा एवं हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (ब्रू) इस आयोजन के प्लाटिनम प्रायोजक थे। इन सब ने मिल कर ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन को दिल्ली में आयोजित करना संभव कर दिखाया।

कुल मिला कर, आई आई सी एफ सम्मेलन और प्रदर्शनी को उत्सुक प्रतिभागियों एवं जन साधारण ने खूब सराहा। दिल्ली एवं उत्तर भारत के जनसाधारण और सम्भावी उद्यमकर्ताओं में कॉफी उपभोग के बारे में जागरूकता पैदा करने में यह आयोजन बहुत ही सफल रहा।

अध्याय - VII

निर्यात संवर्धन

क) कॉफी निर्यात

निर्यातक पंजीकरण और नवीनीकरण :

31 मार्च 2012 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 395 थी जिसमें वर्ष 2011-2012 के 46 नए पंजीकरण शामिल हैं, 31 मार्च 2011 को यथास्थिति इसकी संख्या 349 थी।

निर्यात परमिट और मूल का प्रमाणपत्र :

कॉफी बार्ड कॉफी अधिनियम की धारा 20 और अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, लन्दन के शर्तों के अनुसार निर्यात परमिट जारी करता है। कॉफी के पंजीकृत निर्यातकों को निर्धारित प्रोफार्मा के जरिए प्रस्तुत किए गए उनके आग्रह पर कॉफी बोर्ड, कॉफी के निर्यात के लिए मूल का प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

वेबसाइट के जरिए निर्यात परमिट आवेदन प्रस्तुत करना :

2010-11 के दौरान जारी किए गए 10,032 परमिट की तुलना में रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान 126 पंजीकृत निर्यातको को कुल 10,389 निर्यात परमिट और आई सी ओ मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए है। 10,389 परमिटों से 6083 परमिट ऑन लाइन के जरिए जारी किए गए।

निर्यातकों के साथ अन्तरसंवाद

वर्ष के दौरान कॉफी निर्यातकों और निर्यातक संघ/ स्पेशियालिटी कॉफी संघ के साथ बैठक आयोजित किए गए। बैठकों में निर्यात संवर्धन योजना, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं (ईवेन्ट), व्यापार मेलों में सहभागिता, क्वालिटी विषय, वित्तीय सहायता आदि से जुड़े विभिन्न पणधारी सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। XII वीं योजना को शामिल कर निर्यात से सम्बन्धित सभी विषयों पर निर्यातकों से बातचीत हुई। प्रोत्साहन योजना की प्रगति और पणधारियों की प्रतिपुष्टि के आधार पर XIIवीं योजना प्रस्ताव तैयार किए गए। सभी सम्बन्धित विषयों को उचित हस्तक्षेप और समर्थन हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट और प्रविवरण

कॉफी निर्यात के बारे में मंत्रालय और अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन को भेजने के लिए आवधिक रिपार्ट और विवरण बनाने और प्रस्तुत करने का कार्य संपादित हुआ। इसके अलावा उनके क्रिया कलापों में सहायता देने के लिए निर्यातक समुदाय को सूचना का विकीर्णन किया गया है। अवधि के दौरान एकत्रित किए गए तथा भेजे गए प्रमुख रिपोर्ट और प्रविवरण निम्नानुसार है :-

- बोर्ड के वेबसाईट, सूचना पट्ट और बोर्ड के अधिकारियों को निर्यात निष्पादन पर दैनिक रिपोर्ट।
- निर्यात निष्पादन पर मंत्रालय को साप्ताहिक रिपोर्ट।
- गन्तव्य-वार निर्यातों पर मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट।
- कॉफी के प्रारंभिक निर्यात पर अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (आई सी ओ) को गन्तव्य स्थान के हिसाब से मात्रा तथा कीमत देते हुए मासिक रिपोर्ट।
- भारत से निर्यातित कॉफी हेतु आई सी ओ द्वारा जारी मूल सम्बन्धी प्रमाण पत्र के बारे में उपलब्ध सांख्यिकीय आँकडों को मासिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन को भेजना।

उपरोक्त के अलावा निर्यातकवार, देशवार, किस्म एवं श्रेणीवार निर्यात इत्यादि की रिपोर्टें तैयार की गई।

कॉफी की निर्यात योग्य किस्म और श्रेणी :-

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (आई सी ओ) के कॉफी क्वालिटी

सुधार कार्यक्रम के अनुसार (देखें संकल्प संख्या 420) और परिपत्र सं मार्च/निर्यात/33-बी/2010-11/790 दिनांक 18.08.2010 के तहत परिचालित मानसूनीकृत कॉफी के विद्यमान मानको में तद्नुरूप संशोधन के तहत कॉफी बोर्ड द्वारा पहचाने गए निर्यात योग्य किस्म व श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है :-

कॉफी की निर्यात योग्य किस्मे एवं श्रेणी

किस्म	प्रीमियम श्रेणी	व्यावसायिक श्रेणी	स्पेशियालिटी कॉफी
हरी कॉफी अरेबिका पार्चमेंट (प्लान्टेशन) (धुली अरेबिका)	पी बी बोल्ड ए ए	पी बी,ए,बी, सी *1 बल्क	मैसूर नग्गिट्स एक्सट्रा बोल्ड
अरेबिका चेरी (अनधुली अरेबिका)	पी बी बोल्ड एए.ए	पी बी, ए बी, सी *2 बल्क *3	मानसूनीकृत मलबार ए.ए.ए मानसूनीकृत मलबार ए.ए मानसूनीकृत मलबार ए मानसूनीकृत मलबार अरेबिका ट्रियेज*4
रोबस्टा पार्चमेंट (धुली रोबस्टा)	पी बी बोल्ड ए	पी बी, ए बी, सी, बल्क	रोबस्टा कॉपी रोयाल
रोबस्टा चेरी (अनधुली रोबस्टा)	पी बी बोल्ड एए.ए	पी बी, ए बी, सी, बल्क क्लीन बल्क	मानसूनीकृत मलबार रोबस्टा ए.ए मानसूनीकृत मलबार रोबस्टा ट्रियेजड4
विविध श्रेणी लिबेरिया एक्सलसिया		बल्क *5 बल्क *5	
इंस्टेंट कॉफी			
रोस्टेड कॉफी बीज			
रोस्टेड व ग्राउन्ड कॉफी			

*1 प्लान्टेशन- सी के लिए अपवाद-आई सी ओ के संकल्प 407/420 के पाद टिप्पणी में वर्णित समतुल्य में सूचित के अनुसार ।

*2 अरेबिका चेरी सी को ब्लैक्स, ब्राउन्स व बिट्स मुक्त होना चाहिए ।

*3 अरेबिका चेरी बल्क में ब्लेक्स, ब्राउन्स व बिट्स 10% से कम चाहिए ।

*4 मानसूनीकृत अरेबिका ट्रिएज व मानसूनीकृत रोबस्टा ट्रिएज को ब्लेक्स, ब्राउन्स व बिट्स रहित होना चाहिए।

*5 रोबस्टा की तरह समान त्रुटि संख्या में।

*6 मानसूनीकृत कॉफी के लिए नमी स्तर 13.0 से 14.5% तक रहना चाहिए।

कॉफी का निर्यात :

2011-12 के दौरान 3,44,940 मे.ट. की मात्रा के लिए निर्यात परमिट जारी किए गए जिसमें 55,267 मे ट की मात्रा का पुन: निर्यात शामिल है। जारी किए गए निर्यात परमिट मात्रा के सम्मुख निर्यातों की पुष्टि अनन्तिम रुप से 3,23,913 मे.ट. (42,836 मे.ट. के पुन: निर्यात को शामिल कर) के लिए प्राप्त हुआ।

इसका मूल्य 4,541.71 करोड़ ₹ था और 972.09 मिलियन यू एस डालर के समतुल्य था तथा इसका इकाई मूल्य 1,40,213 ₹ प्रति मेट्रिक टन था। यह उच्चतम मूल्य था और इसने पिछले वर्षों के सभी रिकार्ड को पार कर दिया। पिछले वर्ष के दौरान, 2010-11 में कॉफी का 2,99,357 मे.टन निर्यात हुआ था जिसका मूल्य 727.82 मिलियन यू एस डालर था एवं भारतीय रुपयों में जिसका मूल्य 3,360.44 करोड ₹ था तथा इसने प्रति मे.टन 1,12,255 ₹ का इकाई मूल्य प्राप्त किया।

2011-12 के दौरान भारत से कॉफी का निर्यात पिछले वर्ष के 103 देशों के मुकाबले 111 देशों को किया गया जिनमें से इटली, जर्मनी, रुस संघ, बेल्जियम और स्पेन 5 प्रमुख आयातक देश हैं।

कॉफी की किस्म	मात्रा मेट्रिक टन में	कुल निर्यात का प्रतिशत
अरेबिका पार्चमेंट	35,965	11.10
अरेबिका चेरी	11,725	3.62
रोबस्टा पार्चमेंट	28,847	8.91
रोबस्टा चेरी	1,65,834	51.20
भुनी कॉफी बीन्स तथा पिसी कॉफी ह.फ.स में	268	0.08
इंस्टेंट/घुलनशील ह.फ.स में	81,274	25.09
योग	**3,23,913**	**100.00**

***हरी फली समतुल्य**

01/04/2011 से 31/03/2012 निर्यातित मात्रा, कमाई विदेशी विनिमय, भारतीय रूपया समतुल्य और इकाई मूल्य का श्रेणीवार विवरण (भारतीय व पुन: निर्यातित कॉफी दोनों) अनन्तिम

क्र सं	ग्रेड का नाम	मात्रा टन में	भारतीय ₹ लाख में	यू एस$ डालर लाख में	इकाई मूल्य ₹ /प्रति टन	इकाई मूल्य USD$/TONNE
1	प्लान्टेशन -ए	17,189.6	46586.97	984.19	271018.35	5725.50
2	प्लान्टेशन -पी बी	2,303.9	5595.37	119.02	242865.14	5166.02
3	प्लान्टेशन -बी	5,005.6	12865.94	274.52	257030.93	5484.26
4	प्लान्टेशन -सी	3,109.4	6969.83	148.31	224153.53	4769.73
5	प्लान्टेशन -बल्क	1,525.5	3892.21	78.70	255143.23	5158.96
6	मैसूर नग्गिट्स -ई बी	1,107.9	2873.04	61.59	259323.04	5559.17
7	प्लान्टेशन -ए ए	5,714.3	15987.62	334.23	279782.65	5849.01
8	प्लान्टेशन -पीबी बोल्ड	9.0	24.24	0.55	269333.33	6111.11
9	अरेबिका चेरी-ए बी	5,122.9	10998.44	235.70	214691.68	4600.91

क्र सं	ग्रेड का नाम	मात्रा टन म	भारतीय ₹ लाख में	यू एस$ डालर लाख में	इकाई मूल्य ₹ /प्रति टन	इकाई मूल्य USD$/TONNE
10	अरेबिका चेरी -पीबी	404.3	783.69	16.49	193838.73	4078.65
11	अरेबिका चेरी -सी	1,466.3	2470.56	52.51	168489.40	3581.12
12	अरेबिका चेरी -बल्क	657.3	1199.56	25.81	182498.10	3926.67
13	मानसूण्ड मलबार -ए ए	2,879.4	7361.67	155.03	255666.81	5384.11
14	मानसूण्ड बासनल्ली	287.1	666.04	13.93	231988.85	4851.97
15	मानसून्ड अरे- ट्रिएज	174.5	233.87	5.09	134022.92	2916.91
16	अरेबिका चेरी -ए ए	383.3	851.89	17.90	222251.50	4669.97
17	अरेबिका चेरी -ए	349.8	771.83	16.99	220648.94	4857.06
18	रोबस्टा पार्चमेन्ट-ए बी	10,950.7	14101.13	303.63	128769.21	2772.70
19	रोबस्टा पार्चमेन्ट -पीबी	2,046.9	2460.53	53.16	120207.63	2597.10
20	रोबस्टा पार्चमेन्ट -सी	2,137.2	2433.72	53.06	113874.23	2482.69
21	रोबस्टा पार्चमेन्ट बल्क	4,986.6	5977.90	131.25	119879.28	2632.05
22	रोबस्टा कॉपी रोयाल	7,641.8	10056.54	217.68	131599.10	2848.54
23	रोबस्टा पार्चमेन्ट -ए	1,025.9	1466.18	31.35	142916.46	3055.85
24	रोबस्टा पार्चमेन्ट -पी बी-बोल्ड	57.6	78.47	1.66	136232.64	2881.94
25	रोबस्टा चेरी -ए बी	69,947.6	78255.74	1693.29	111877.66	2420.80
26	रोबस्टा चेरी -पीबी	2,783.2	3136.39	67.33	112690.07	2419.16
27	रोबस्टा चेरी -सी	205.2	232.13	5.18	113123.78	2524.37
28	रोबस्टा चेरी -बल्क	7,816.0	8261.60	183.24	105701.13	2344.42
29	रोबस्टा चेरी क्लीन बल्क	25,285.9	26521.99	564.83	104888.46	2233.77
30	मानसून्ड रोबस्टा -ए ए	1,287.1	1758.79	36.88	136647.50	2865.36
31	मानसून्ड रोबस्टा -ट्रिएज	12.0	11.01	0.25	91750.00	2083.33
32	लिबेरिया बल्क	367.2	425.24	9.42	115806.10	2565.36
33	एक्सेल्सिया बल्क	20.0	23.37	0.53	116850.00	2650.00
34	रोबस्टा चेरी -एए	28,068.9	31415.02	670.74	111921.09	2389.62
35	रोबस्टा चेरी -ए	30,022.9	32620.58	720.68	108652.33	2400.43
36	रोबस्टा चेरी -पीबी बोल्ड	19.2	22.31	0.50	116197.92	2604.17
37	इन्स्टेन्ट कॉफी	81,273.9	114085.49	2405.44	140371.62	2959.67
38	भुनी व पिसी कॉफी	182.9	460.09	33.11	251552.76	18102.79
39	भुने कॉफी बीज	84.4	234.24	6.05	277535.55	7168.25
	योग :	3,23,913.2	454171.23	9729.82	140213.87	3003.84

2011-12 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
1	इटली	69,657.7	95,643.9
2	जर्मनी	37,190.2	52,637.5
3	रुस गणराज्य	31,436.4	46,332.6
4	बेल्जियम	18,230.0	28,513.3
5	स्पेन	12,731.5	14,607.1
6	स्लोवेनिया	9,379.8	10,036.1
7	जोर्डन	9,244.3	15,450.3
8	अल्जेरिया	6,991.5	8,129.4
9	ग्रीस	6,828.5	7,635.8
10	सऊदी अरेबिया	6,677.3	9,877.9
11	मलेशिया	6,142.9	6,910.7
12	सं.रा.अ.	6,137.8	9,622.1
13	फिनलैण्ड	5,638.4	8,387.9
14	मिश्र	5,558.4	6,887.8
15	टुनिशिया	4,975.4	6,093.7
16	सिरिया	4,871.2	6,273.0
17	आस्ट्रेलिया	4,818.7	7,503.5
18	यूक्रेन	4,784.4	7,675.6
19	पोलैण्ड	4,360.7	4,979.1
20	कुवैत	4,181.7	8,784.9
21	इज़राइल	3,716.4	5,227.8
22	सिंगापुर	3,566.1	3,999.4
23	स्विट्जरलैण्ड	3,359.4	6,584.1
24	फांस	3,193.7	5,660.3
25	पूर्तगाल	3,139.6	3,601.9
26	लीबिया	3,093.2	3,435.5
27	ताइवान	3,092.2	3,444.6
28	नीदरलैण्ड्स	2,791.6	3,840.1
29	यूनाइटेड किंगडम	2,425.0	3,808.9
30	तुर्की	2,128.4	2,872.0
31	लाट्विया	2,080.9	2,997.0
32	संयुक्त अरब अमीरात	1,939.8	3,973.4
33	क्रेएशिया	1,824.6	1,920.4
34	जापान	1,811.9	2,605.5
35	कनाडा	1,703.0	2,057.0
36	इण्डोनेशिया	1,499.7	1,879.0
37	बेलारस	1,338.2	2,220.6
38	कोरिया गणराज्य	1,217.6	2,671.4

2011-12 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
39	मोरोक्को	1,129.2	1,311.3
40	अलबानिया	1,094.4	1,248.9
41	म्यानमार	997.8	1,071.3
42	रोमानिया	959.0	1,285.5
43	ओमान सल्तनत	859.1	1,203.9
44	नोरवे	830.2	1,156.0
45	ऑस्ट्रिया	820.4	995.8
46	लिबियन अरब जामाहिरि	806.4	555.7
47	दक्षिण अफ्रीका	720.1	1,069.1
48	लेबेनॉन	718.5	751.6
49	वियतनाम	701.1	826.4
50	कोरिया जन गणराज्य	657.4	1,598.3
51	लिथुवानिया	596.0	1,001.9
52	टोगो	527.5	595.4
53	सेनेगल	511.5	901.7
54	जॉर्जिया	510.2	725.9
55	यूगोस्लाविया	504.0	558.5
56	घाना	468.1	790.0
57	उजबेकिस्तान	461.2	590.8
58	मौरिटानिया	452.4	800.0
59	चीन जनगणराज्य	430.5	531.9
60	बलगेरिया	393.6	402.3
61	अबु धाबी	390.7	906.2
62	नाइजीरिया	349.8	664.1
63	स्वीडन	348.5	686.8
64	तुर्कमेनिस्तान	334.1	554.5
65	हंगेरी	307.9	340.8
66	न्यूजीलैंड	306.3	538.2
67	माली	260.9	529.6
68	एस्टोनिया	251.7	334.2
69	कांगो	244.8	430.4
70	नेपाल	229.3	985.2
71	बेनिन	190.2	360.4
72	कजाकिस्तान	151.4	223.2
73	बांग्लादेश	149.5	182.6
74	दुबई	145.1	459.6
75	नाइजर	136.0	259.1

2011-12 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
76	कीनिया	116.4	148.0
77	आइवरी कोस्ट	91.9	183.1
78	स्लोवाकिया	76.8	126.0
79	बुर्किना फासो	61.6	125.2
80	गेबन	61.4	116.4
81	केमरून	59.0	101.5
82	वेस्ट इंडीज़	57.6	70.2
83	श्रीलंका	52.7	83.9
84	गिनि	49.8	89.2
85	पेरू	47.0	66.9
86	मॉलडोवा	46.6	84.0
87	कतार	45.6	94.0
88	डेनमार्क	44.0	50.2
89	हांगकांग	38.5	47.3
90	मोनाको	38.4	48.6
91	थाइलैण्ड	36.7	47.6
92	ताजीकिस्तान	32.8	59.9
93	ताहीती	28.4	48.9
94	अर्मेनिया	25.5	31.4
95	लोम	22.7	40.7
96	कोलम्बिया	19.2	22.8
97	साइप्रस	19.2	19.0
98	आईसलैंड	19.2	25.6
99	स्वाजीलैण्ड	19.2	20.2
100	पिलीपीन्स	18.2	18.3
101	गाम्बिया	17.9	38.2
102	बहरेन	17.1	33.7
103	फिजी	12.0	36.4
104	इराक	10.0	10.8
105	चाद	9.0	40.3
106	इरान, इस्लामिक गणराज्य	8.0	13.9
107	चेक गणराज्य	3.9	9.9
108	हाइती	3.7	9.9
109	पाकिस्तान	0.1	0.1
110	मारिशस	0.1	0.6
111	आयरलैण्ड	0.1	0.1
	महा योग	**3,23,913.2**	**4,54,171.0**

2011-12 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(पुनः निर्यातित कॉफी)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
1	रूस संघ	20,324.8	30,536.1
2	सं. रा. अ	2,486.3	3,437.7
3	सिंगापुर	2,486.2	2,546.9
4	जर्मनी	2,068.4	3,137.0
5	यूक्रेन	1,802.3	3,070.6
6	मिश्र	1,775.5	2,475.9
7	मलेशिया	1,642.5	1,787.7
8	फिनलैण्ड	1,640.1	2,026.0
9	पोलैण्ड	1,483.6	1,746.4
10	तुर्की	1,117.7	1,571.6
11	लाटविया	850.8	1,215.2
12	ताइवान	698.4	893.8
13	बेलारस	536.3	908.9
14	फ्रांस	532.8	861.4
15	संयुक्त राष्ट्र	366.4	732.9
16	इटली	307.6	478.7
17	जापान	303.2	450.3
18	स्विट्ज़रलैण्ड	273.4	269.8
19	सेनेगल	272.7	504.0
20	इण्डोनेशिया	228.5	316.0
21	मॉरिटानिया	207.4	335.8
22	चीन जन गणतंत्र	136.5	171.2
23	कजाकस्तान	124.6	193.2
24	उज़बेकिस्तान	113.5	147.8
25	लिथुआनिया	102.7	189.3
26	बेल्जियम	94.4	151.0
27	टोगो	87.1	153.3
28	कांगो	83.2	119.7
29	जॉर्डन	81.6	122.5
30	कीनिया	60.6	76.2
31	केमरून	59.0	101.5

2011-12 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(पुन: निर्यातित कॉफी)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
32	ग्रीस	52.7	75.3
33	माली	49.8	102.7
34	कोरिया गणराज्य	45.5	36.2
35	गेबोन	39.9	70.1
36	सउदी अरेबिया	36.8	23.6
37	नाइज़र	33.8	61.9
38	आस्ट्रेलिया	33.6	53.9
39	तुर्कमेनिस्तान	33.2	63.6
40	तजिकिस्तान	32.8	59.9
41	बुर्किना फासो	21.0	39.7
42	थाइलैण्ड	18.2	23.9
43	स्लोवेनिया	17.9	30.2
44	अलजेरिया	13.2	25.2
45	दक्षिण अफ्रीका	10.6	17.1
46	एस्टोनिया	10.4	18.5
47	ताहिती	9.5	18.0
48	गाम्बिया	9.0	19.7
49	नीदरलैण्ड्स	7.8	13.9
50	बेनिन	7.6	18.0
51	हाइति	3.7	9.9
52	आस्ट्रिया	1.3	1.3
	योग	**42,836.4**	**61,511.0**

2011-12 के दौरान मूल्य संवर्धित कॉफी का निर्यात
(भारतीय और पुन: निर्यातित कॉफी दोनों)

क्र सं	मद	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
1.	स्पेशियालिटी ग्रीन कॉफी	13,390	22,961
2.	घुलनशील, रोस्टड एण्ड ग्राउण्ड कॉफी	81,541	1,14,780
	योग	94,931	1,37,741

01-04-2011 से 31-03-2012 के दौरान कॉफी का निर्यात
(भारतीय व पुन: निर्यातित कॉफी दोनों)
(पुष्टि के आधार पर)

क्र सं	निर्यातक का नाम	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
1	एन के जी जयन्ती कॉफी प्रा.लि.	35,226.0	45,967.8
2	अल्लाना सन्स लिमिटेड,	33,596.6	48,873.0
3	सी सी एल प्रोडक्ट्स् (इंडिया) लि.,	26,122.0	38,763.5
4	आई टी सी लिमिटेड.,	22,500.8	29,038.7
5	टाटा कॉफी लि.,	21,458.0	30,447.7
6	अमेलगमेटिड बीन कॉफी ट्रेडिंग कं.लि.,	21,075.1	32,009.1
7	ओलम एग्रो इण्डिया प्रा.लि.,	20,705.1	34,467.2
8	नेड कमोडिटीज (इण्डिया) प्रा.लि.,	19,596.9	21,484.4
9	एस एल एन कॉफी प्रा.लि.,	14,545.4	19,609.0
10	नेस्ले इण्डिया लि.,	14,499.3	19,622.7
11	अन्य	94,588.0	1,33,888.2
	महा योग	3,23,913.2	4,54,171.3

निर्यात प्रोत्साहन

कॉफी बोर्ड ने 2008-09 से निर्यात प्रोत्साहन के साथ XIवीं योजना स्कीम "कॉफी का निर्यात संवर्धन" का कार्यान्वयन किया:-

क) रोस्टड कॉफी के 1000 ग्राम अधिकतम तक व इन्स्टेन्ट कॉफी के 500 ग्राम के रिटेल कंज्यूमर पैक के माध्यम से भारत ब्रेंड के रुप में मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात को बढ़ाना।

ख) उच्च मूल्य कॉफी को दूरस्थ बाजारों अर्थात सं रा अ, केनडा, जापान, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को निर्यात करना।

वर्ष 2011-12 के दौरान दो क्रिया कलापों के अन्तर्गत वस्तुगत एवं वित्तीय उपलब्धि निम्न थे:

क्र सं	घटक	मात्रा टन में	मूल्य ₹ लाख में
1	उच्च मूल्य कॉफी	10,697	106.97
2	मूल्य संवर्धित कॉफी	13,861	277.22

वर्ष 2011-12 की उपलब्धियों में वास्तविक संवितरण और वचनबद्धता शामिल हैं।

बोर्ड ने इंडिया ब्रैंड्स के तौर पर मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात को बढ़ाना और कॉफीस ऑफ इंडिया लोगो के जरिए भारतीय कॉफी की पहचान को सशक्त बनाना जारी रखा। कॉफीस ऑफ इंडिया लोगो, कॉफी के गुणों को "छांव में उगाई गई, धारणीय और आभायुक्त" चित्रित करता है और प्रतीकात्मक रुप से इस सत्य को प्रतिपादित करता है कि भारतीय कॉफी छांव मे उगाई जाती है, कॉफी के क्षेत्र दुनिया के 25 जैव विविधतायुक्त क्षेत्रों में से एक हैं और भारत में उगाई गई कॉफी अपने में कितनी विविध है।

2011-2012 के दौरान निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत गन्तव्य स्थान वार निर्यात
(इसमें वास्तविक संवितरण और वचनबद्धता शामिल है)
(मात्रा मे. टन में, राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	देश	उच्च मूल्य कॉफी		मूल्य संवर्धित कॉफी		योग	
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
1	रुस संघ	-	-	3,190.3	63.81	3,190.3	63.81
2	उक्रेन	-	-	2,814.1	56.28	2,814.1	56.28
3	आस्ट्रेलिया	5,023.8	50.24	-	-	5,023.8	50.24
4	यू.एस.ए	3,187.0	31.87	91.2	1.82	3,278.3	33.69
5	फिनलैण्ड	-	-	1,596.8	31.92	1,596.8	31.92
6	बेलारस	-	-	706.5	14.13	706.5	14.13
7	कनाडा	1,396.4	13.96	-	-	1,396.4	13.96
8	उज़बेकिस्तान	-	-	398.4	7.97	398.4	7.97
9	लाटविया	-	-	365.9	7.32	365.9	7.32
10	लिथुआनिया	-	-	357.6	7.15	357.6	7.15
11	सिंगापुर	-	-	324.7	6.49	324.7	6.49
12	तुर्कमेनिस्तान	-	-	318.4	6.37	318.4	6.37
13	जापान	586.5	5.87	20.1	0.40	606.6	6.27
14	न्यूजीलैण्ड		502.8	5.03	0.0 -	502.8	5.03
15	माली	-	-	209.9	4.20	209.9	4.20
16	जार्जिया	-	-	160.1	3.20	160.1	3.20
17	कज़किस्तान	-	-	115.6	2.31	115.6	2.31
18	बेनिन	-	-	106.3	2.13	106.3	2.13
19	सेनेगल	-	-	99.6	1.99	99.6	1.99
20	टोगो	-	-	78.3	1.57	78.3	1.57
21	गिनि	-	-	64.5	1.43	64.5	1.43
22	मोलडोवा	-	-	54.0	1.08	54.0	1.08
23	बुर्किना फासो	-	-	38.9	0.78	38.9	0.78
24	तजाकिस्तान	-	-	24.6	0.49	24.6	0.49
25	पोलैंड	-	-	23.4	0.47	23.4	0.47
26	कांगो	-	-	21.7	0.44	21.7	0.44
27	मौरीटानिया	-	-	22.0	0.44	22.0	0.44
28	नाइजर	-	-	20.5	0.41	20.5	0.41
29	कोरिया गणराज्य	-	-	12.7	0.25	12.7	0.25
30	एस्टोनिया	-	-	8.5	0.17	8.5	0.17
31	घाना	-	-	7.7	0.15	7.7	0.15
32	अन्य	-	-	2,607.5	52.15	2,607.5	52.15
	योग :	10,696.6	106.97	13,861.0	277.22	24,557.6	384.19

कॉफी बोर्ड पुरस्कार :

इंडिया कॉफी अवार्डस 2011 -

कॉफी निर्यात पुरस्कार-2011

स्पेशियालिटी, भुनी (रोस्टड) और घुलनशील कॉफी जैसे मूल्य संवर्धित कॉफी के अलावा, विशेषत: प्रमुख गन्तव्यों में अपने निर्यात निष्पादन को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए कॉफी निर्यातकों के सर्वोत्कृष्ट निष्पादन को पहचानने और उसे सम्मानित करने के उद्देश्य से कॉफी बोर्ड ने **1999-2000** से निर्यात पुरस्कारों की स्थापना की है। यह वैश्विक बाजार में भारतीय कॉफी के शेयर को बढ़ाने में उनको प्रोत्साहित करेगा, ऐसी अपेक्षा है। **28.07.2011** को सम्पन्न हुई 304 वीं विपणन समिति की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार, तथा पणधारियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए विद्यमान सर्वोत्तम निर्यातक पुरस्कार स्वर्ण और दूसरे सर्वोत्तम निर्यात पुरस्कार रजत के अलावा कांसे की ट्राफी और एक मेरिट प्रमाणपत्र के साथ तीसरा सर्वोत्तम निर्यातक पुरस्कार की स्थापना 23 दिसम्बर 2011 को हुई वार्षिक निर्यातक पुरस्कारों के 12 वें वर्ष में की गई।

क : सर्वोत्तम निर्यातक और दूसरे सर्वोत्तम निर्यातक:

क) हरी कॉफी

ख) स्पेशियालिटी कॉफी

ग) इन्स्टेंट/घुलनशील कॉफी

घ) भुनी (रोस्टेड) कॉफी

ख : निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वोत्तम निर्यातक व दूसरे सर्वोत्तम निर्यातक:

क) सं रा अ व कनाडा

ख) यूरोप

ग) रूस व सी आई एस

घ) सुदूर पूर्व

ङ) मध्य पूर्व और उत्तर आफ्रीका (एम ई एन ए)

इन्स्टेंट/धुलनशील कॉफी को छोड़कर निर्यात पुरस्कार उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए निर्यातकों द्वारा निष्पादन यानि निर्यातित मात्रा के आधार पर दिए जाते हैं, क्यों कि यहाँ कमाए गए मूल्य के आधार पर निष्पादन को आँका जाता है।

कुछ कम्पनियों ने मात्रा/मूल्य या दोनों से निर्यात के क्षेत्र में सार्थक रूप से योगदान दिया है और सभी प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया है -

1) हरी कॉफी श्रेणी में मेसर्स. एन.के.जी.जयन्ती प्रा. लि., बेंगलूर को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें भारत से निर्यातित हरी कॉफी का **17.9%** निर्यात करने पर सर्वोत्तम माना गया । इसके अलावा, उन्हें **2010-11** के लिए दो और पुरस्कार प्राप्त हुए कॉफी के सर्वोत्तम निर्यातक के लिए स्वर्ण पुरस्कार और स्पेशियालिटी कॉफी श्रेणी में दूसरे सर्वोत्तम निर्यातक के लिए रजत पुरस्कार और सं.रा.अ.व. कनाडा को तीसरे सर्वोत्तम निर्यातक के लिए कांसा पुरस्कार प्राप्त हुआ । उनका निर्यात, मात्रा के हिसाब से कुल निर्यात का **13.2%** था ।

2) मेसर्स सी सी एल प्रोडक्ट्स (इण्डिया) लि. हैदराबाद को भारत से इंस्टेन्ट कॉफी निर्यातों के 30.5% शेयर के साथ इंस्टेन्ट कॉफी के सर्वोत्तम निर्यातक और सं रा अ और कनाडा क्षेत्रों को निर्यात का 36.8% के लिए दो स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे 2010-11 के लिए रूस एवं सी आई एस क्षेत्रों को दूसरा सर्वोत्तम निर्यातक होने के लिए रजत पुरस्कार मिला।

3) मेसर्स अल्लानासन्स लि. मुम्बई को मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका को कॉफी के सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा, उन्हें दो और पुरस्कार मिले - ग्रीन कॉफी के लिए दूसरा सर्वोत्तम होने पर रजत पुरस्कार और 2010-11 के लिए सं रा अ और कनाडा को कॉफी के दूसरा सर्वोत्तम निर्यातक होने पर रजत पुरस्कार मिला उन्हे यूरोप क्षेत्र को कॉफी के तीसरे सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में कांस्य पुरस्कार भी मिला। उनका निर्यात मात्रा के साथ साथ निर्यात कमाई के हिसाब से 9.7% था।

4) मेसर्स टाटा कॉफी लि., बेंगलूर को रूस एवं सी आई एस क्षेत्रों को कुल निर्यातों का 28.5% के साथ रूस एवं आई एम क्षेत्र को कॉफी निर्यात का सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में स्वर्ण पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें इंस्टेन्ट कॉफी निर्यातों के लिए कांस्य पुरस्कार मिला, कम्पनी ने कुल कॉफी निर्यात में मात्रा के साथ-साथ निर्यात कमाई के हिसाब से 7% का योगदान दिया है।

5) मेसर्स एस्पिनविल एण्ड कम्पनी लि., मेंगलूर को स्पेशियालिटी कॉफी के कुल निर्यात का 21.1% के योगदान के साथ स्पेशियालिटी कॉफी श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला। इसकी निर्यात कमाई 23.6% था।

6) इंस्टेनट कॉफी के अग्रणी विनिर्माताओं में से एक मेसर्स वायहान कॉफी लि., हैदराबाद है, और इन को सुदूर पूर्व क्षेत्र में कॉफी निर्यात के लिए सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में स्वर्ण पुरस्कार मिला उनका सुदूर पूर्व क्षेत्रों को निर्यात,मात्राके हिसाब से कुल निर्यातका 28.4% और निर्यात कमाई का 23.4% था।

7) मेसर्स अमालगामेटड बीन कॉफी ट्रेडिंग कम्पनी लि., बेंगलूर को यूरोप क्षेत्रों को कॉफी के दूसरे सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में रजत पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें स्पेशियालिटी कॉफी और हरी कॉफी श्रेणी के तीसरे सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में कांस्य पुरस्कार मिला।

8) मेसर्स ओलम एग्रो इण्डिया लि., बेंगलूर को 2010-11 के लिए उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व को हरी कॉफी के दूसरे सर्वोत्तम निर्यातक होने पर रजत और सुदूर पूर्व क्षेत्र को कॉफी निर्यात के लिए कांस्य पुरस्कार मिला।

9) मेसर्स नेस्ले इण्डिया लि., गुडगांव, हरियाणा को इंस्टेन्ट कॉफी के दूसरे सर्वोत्तम निर्यात के लिए रजत पुरस्कार और रूस और सी आई एस क्षेत्र को तीसरे सर्वोत्तम निर्यात के लिए कांस्य पुरस्कार मिला।

10) मेसर्स नरसूज़ एक्सपोर्ट्स, सेलम को सुदूर पूर्व क्षेत्र को दूसरा सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में रजत पुरस्कार मिला।

11) मेसर्स ओम श्री इन्टरनेशनल, मुम्बई को मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र को निर्यात करने हेतु कांस्य पुरस्कार मिला।

12) मेसर्स कोका कोला इण्डिया प्रा.लि.,बेंगलूर को 6.69 करोड़ रू की निर्यात कमाई के साथ विश्व भर में लगभग 269 मे ट भुनी कॉफी के सर्वोत्तम निर्यातक के रूप में स्वर्ण पुरस्कार मिला।

13) मेसर्स शान एक्सपोर्ट्स, बेंगलूर और मेसर्स जेय केशव एक्सपोर्ट्स (प्रा) लि, बेंगलूर को रोस्ट कॉफी के निर्यात के लिए दूसरे और तीसरे सर्वोत्तमे निर्यातक का पुरस्कार मिला।

इंडिया कॉफी अवार्ड्स 2011 :-

फ्लेवर ऑफ इंडिया- फाईन कप अवार्ड-कप्पिंग कम्पीटीशन 2011 ने पुरस्कारों के दसवें वर्ष में सफलता की नई ऊँचाइयों को छुआ

फ्लेवर ऑफ इंडिया- फाईन कप अवार्ड-कप्पिंग कम्पीटीशन - 2011 ने फ्लेवर ऑफ इंडिया कम्पीटीशन के अपने दसवें वर्ष में नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने के साथ एक संदर्भिका का सृजन किया। उच्च क्वालिटी कॉफियों के धारणीय उत्पादन को सरकार के समर्थन और हमारे अत्युत्तम किस्मों के लिए दृश्यता प्रदान करने को उचित प्रोत्साहन देने की भावना एस.सी.ए.ई. में हुए आयोजन में श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव बागान के उत्साही नेतृत्व में स्पष्ट गोचर हुई। श्री जावेद अख़्तर अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड ने कॉफी बोर्ड के अधिकारियों एवं पणधारियों की टीम का नेतृत्व करते हुए फ्लेवर ऑफ इंडिया कप्पिंग की प्रक्रिया, पूर्वारुप का विन्यास करने और साथ ही एस सी ए ई शो में अत्युत्तम कॉफियों को प्रदर्शित करने में मार्गदर्शन दिया। अपर सचिव ने अग्रणी निर्यातकों, स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ इंडिया के उत्पादक-निर्यातकों, एस्टेट ब्रांडों के उत्पादक निर्यातकों को अपना समय, सलाह और समर्थन दिया। उनकी यह कोशिश अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी को सम्मानित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में फाईन कप अवार्ड को कुछ और सोपानों तक ले गई और इसके अलावा वहां उपस्थित अन्तराष्ट्रीय कॉफी समुदाय और एस सी ए ई मास्ट्रिक्ट में भाग लेने वालों में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान की। उक्त ईवेन्ट में फाइन कप अवार्ड पाने वालों के नाम की घोषणा की गई और कॉफी बोर्ड के मंच से उनके नामों को खास तवज्जों दी गई जहां उद्योग के प्रतिनिधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ उपस्थित थे।

फ्लेवर ऑफ इंडिया के लिए कुल 232 कॉफी नमूने दिनांक 31 मार्च 2011 को प्राप्त हुए जिनमें 127 नमूने अरेबिका और 105 नमूने रोबस्टा के थे। उन नमूनों का प्रत्यक्ष भौतिक मूल्यांकन किया गया। प्रत्यक्ष मूल्यांकन के बाद अरेबिका के 122 और रोबस्टा के 103 नमूनों को मिला कर कुल 225 नमूने, जिन्हें कि **60%** अंक मिले थे, प्री ज्यूरी मूल्यांकन के लिए योग्य हुए। प्री ज्यूरी कप्पिंग के बाद 140 नमूने, जिनमें 44 अरेबिका और 28 अरेबिका स्पेशियालिटी तथा 50 रोबस्टा और 18 रोबस्टा स्पेशियालिटी नमूने थे और जिनको 60% मिले थे वे नेशनल ज्यूरी कप्पिंग के लिए योग्य हुए। नेशनल ज्यूरी कप्पिंग के बाद 34 नमूने जिनमें13 अरेबिका, 6 अरेबिका स्पेशियालिटी तथा 9 रोबस्टा और 6 रोबस्टा स्पेशियालिटी थे, उनको अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी के लिए चुना गया।

इन्टरनेशनल ज्यूरी कप्पिंग :- कॉफी बोर्ड ने 20 जून 2011 को एमस्टरडम में "फ्लेवर ऑफ इंडिया फाइन कप अवार्ड कम्पीटीशन 2011" के अंतिम कप्पिंग सत्र का आयोजन किया। यह स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ यूरोप के वार्षिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के

साथ घटित हुआ। मैसर्स नेड कमोडिटीस ने 9फ्लेवर ऑफ इंडिया- फाईन कप अवार्ड कम्पीटीशन" के कप्पिंग सत्र को होस्ट किया। अन्तिम कप्पिंग सत्र 20 जून 2011 को सम्पन्न हुआ जिसमें 13 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने भाग लेकर कॉफी नमूनों का मूल्यांकन किया। एमस्टरडम के कप्पिंग को श्री पिलिप अकेरब्लोम ने रिकार्ड किया उसे वेब लिंक http://bambuster.com/v/ में डाल दिया। अंतिम कप्पिंग सत्र के अंको को समेकित किया गया और कम्पीटीशन के परिणामों की घोषणा एस सी ए ई एक्सीबीशन विलेज, मासस्ट्रिक्ट में 22 जून 2011 को की गई। ये परिणाम अरेबिका, स्पेशियालिटी अरेबिका, रोबस्टा एवं स्पेशियालिटी रोबस्टा की श्रेणी हेतु घोषित किए गए थे। श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी, आई.ए. एस., अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मासस्ट्रिक्ट, नीदरलैंड्स में आयोजित इस फ्लेवर ऑफ इंडिया शो में वैयक्तिकृत स्मृति चिन्ह प्रदान कर इंटरनेशनल ज्यूरी के सदस्यों का अभिनन्दन किया। यह स्मृति चिन्ह एक क्रिस्टल बीन ट्रॉफी के आकार का था जिसमें ज्यूरी का नाम मुद्रित था और इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त कॉफियों, अन्य स्पेशियालिटी तथा एस्टेट ब्रांडेड कॉफियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी विशेषज्ञ श्रीमती सुनालिनी मेनन ने एक सुरुचिपूर्ण तथा सूचनाप्रद तरीके से पेश किया। स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन के प्रतिभागी सदस्यों ने न केवल शो का आयोजन किया वरन विचारशील व्यक्तियों के सम्मुख कुछ अत्युत्तम किस्मों को पेश भी किया। इन अतिथियों में अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समुदाय के सदस्य, एस सी ए ई, एस सी ए ए, एस सी ए जे, सी एवं सी आई तथा केफे यूरोप के प्रतिनिधि और साथ ही सरकार एवं व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधि थे खास कर आई टी सी, नेड कमोडिटीस एवं इंडकेफे। अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी सदस्य अंतिम सत्र में प्रस्तुत किए गए कॉफी की अनेक किस्मों से खासे प्रभावित हुए और उनकी क्वालिटी की सराहना की।

विभिन्न श्रेणी के विजेता इस प्रकार है :-

1. **सर्वोत्तम अरेबिका :-**
   अतिकान एस्टेट, संगमेश्वर कॉफी एस्टेट्स लि.,
   अलसूर, बेंगलूर -560008, कर्नाटक
2. **सर्वोत्तम स्पेशियालिटी अरेबिका :**
   पोआब्स एस्टेट नेल्लियमपत्थीस,
   पालक्काड 678511, केरल
3. **सर्वोत्तम रोबस्टा :-** कल्लेरिमलई एस्टेट,
   येरकाड-636602, तमिल नाडु
4. **सर्वोत्तम स्पेशियालिटी रोबस्टा :-**
   रायगोडे एस्टेट, बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन सिद्दापुर-571253, कोडगु जिला, कर्नाटक

निर्यात संवर्धन

निर्यात संवर्धन बजट के अधीन, चलाए गए प्रमुख क्रियाकलाप निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रित किए गए :

- प्रत्यक्ष रुप से तथा भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी केन्द्रित ईवेन्टों, खाध्य एवं पेय मेलों, कॉफी सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों में नियमित रुप से भाग लेकर। ईवेन्ट्स का चयन, वार्षिक कैलेण्डर को अंतिम रुप देते वक्त पणधारियों की मौजूदगी में किया जाता है। यह प्रतिभागिता उच्च मूल्य मार्केट में कॉफी की दृश्यता को सुदृढ करने और साथ ही साथ पारम्परिक गढ़ों में हमारी कॉफी की उपस्थिति को पुख्ता करने की नीति के अनुसार होती है। इस प्रकार यह नीति, निर्यात को समर्थन देकर उच्च मूल्य कमाने पर केन्द्रित होती है।
- इन ईवेन्ट्स में भारत की कॉफी, कॉफी एक्सपो लोगो को हश्यता प्रदान करते हुए, इंडिया ब्रैंडिग को समर्थन दिया जाता है। हमारी उच्च क्वालिटी कॉफी की कप्पिंग, फ्लेवर ऑफ इंडिया का फाइनल्स आयोजित करते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी का अभिनन्दन करते हुए निर्यातकों तथा उपजकर्ता निर्यातकों के सक्रिय सहभागिता से यू एस ए, जापान, अस्ट्रेलिया, केनडा, यू ए ई एवं नीदरलैंड्स जैसे प्रीमियम मार्केट्स में भारत की कॉफियों का संवर्धन करना और दृश्यता प्रदान करना। ये आयोजन इस अर्थों में महत्वपूर्ण थे क्यों कि इनमें भारत सरकार से नेतृत्व और दूतावासों से समर्थन प्राप्त हुआ था। इन सबका लक्ष्य यूरोपियन यूनियन में स्थित वर्तमान आधार को पुख्ता करने के अतिरिक्त उच्च मूल्य मार्केट में दृश्यता को बढ़ाना था। इन आयोजनों के सम्मेलनों में प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता देखी गई और क्वालिटी कॉफी के विश्वसनीय मूल के रूप में भारत के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समुदाय में महत्वपूर्ण दिलचस्पी भी पैदा की गई। वास्तव में दक्षिण कोरिया के आयोजन में सभी प्रतिभागी इस तेजी से बढ़ने वाले उच्च मूल्य लक्ष्य स्थान में अपनी उपस्थिति को वर्धित कर पाये। गल्फ फुड में प्रतिभागिता से बहुत सी महत्वपूर्ण व्यापार पूछ ताछ सामने आए। संभावी खरीददारों एवं भारतीय निर्यातकों के बीच

जानकारियों को मुहैय्या करवाया जाना इस अर्थों में सार्थक हुआ कि इसने सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करने में सहायता की है।

- जनवरी 2012 में दिल्ली में आयोजित इंडिया इन्टरनेशनल कॉफी फेस्टिवल 2012 में 400 से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आये थे।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया शो में भी कॉफी बोर्ड और कॉफी उद्योग ने भाग लिया।
- चुनिन्दा विदेशी कॉफी संबंधी व्यापार जर्नलों में विज्ञापन जारी किए गए।
- विदेशी व्यापारियों, रोस्टर्स इत्यादि के प्रतिनिधि मण्डलों को भारत बुलाकर कॉफी उद्योग के सदस्यों के साथ अंतर संवाद आयोजित करना तथा कॉफी बागानों का संदर्शन आदि आयोजित करना।
- भारत की कॉफियों के बारे में, विभिन्न प्रचार एवं प्रोन्नति साहित्य, डी वी डी, फिल्मों इत्यादि को विदेशों में परिचालित करना जारी रखा गया। अंग्रेजी का प्रयोग न करने वाले देशों में कॉफी के प्रचार के लिए प्रचार सामग्री को उनकी भाषाओं में भी तैयार किया गया।

भारतीय कॉफी निर्यातकों के सक्रिय सहयोग से अवधि के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लिया :-

क्र. सं.	स्थान का नाम एवं ईवेन्ट	ईवेन्ट की तारीख
1.	एस सी ए ए- 23 वां वार्षिक एस सी ए ए एक्सपोजिशन, हॉस्टन, टेक्सास, यू एस ए-कप टेस्टिंग एवं केन डेविस पुस्तिकाएं की रिलीज	28 अप्रैल-01 मई, 2011
2.	एस आई ए एल-चीन 2011-अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय प्रदर्शनी, शांघाई, चीन	18-20 मई, 2011
3.	एस सी ए ई वर्ल्ड ऑफ कॉफी ईवेन्ट 2011- प्रदर्शनी एवं सम्मेलन, मासट्रिक्ट, नीदरलैंड्स-फ्लेवर ऑफ इंडिया फाइनल्स, फ्लेवर ऑफ इंडिया की कप्पिंग और अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी का अभिनन्दन	22-24 जून, 2011
4.	फाईन फूड अस्ट्रेलिया, सिडनी, अस्ट्रेलिया	05-08 सितम्बर, 2011
5.	कॉफीना 2011, कोलोन, जर्मनी	8-10 सितम्बर, 2011
6.	वर्ल्ड फूड मास्को 2011, मास्को, रुस-बी एस एम के साथ	13-16 सितम्बर, 2011
7.	एन सी ए, यू एस ए-फाल ईवेन्ट	13-15 सितम्बर, 2011
8.	एन सी ए, जे वर्ल्ड स्पेशियालिटी कॉफी कॉनफरेंस एण्ड एक्सीबीशन 2011, टोक्यो, जापान	28-30 सितम्बर, 2011
9.	"इंडिया शो" टोरोन्टो, कनाडा	17-20 अक्तूबर, 2011
10.	होस्ट 2011, फिएरा मिलानो सिटी, मिलान, इटली	21-25 अक्तूबर, 2011
11.	वर्ल्ड फूड, यूक्रेन, कीव, यूक्रेन	25-27 अक्तूबर, 2011
12.	10 वीं सियोल अन्तर्राष्ट्रीय केफे शो 2011, सियोल , कोरिया, कप्पिंग सत्र के साथ	24-27 नवम्बर, 2011
13.	बायो फैक, नूरमबर्ग, जर्मनी	15-17 फरवरी, 2012
14.	गल्फ खाद्य, दुबई, यू ए ई	19-22 फरवरी, 2012
15.	इण्डिया शो, लाहोर, पाकिस्तान	11-23 फरवरी, 2012
16.	फूडेक्स, टोक्यो, जापान	06-09 मार्च, 2012
17.	इण्डिया शो, 2012 , जकार्ता, इण्डोनेशिया	06-08 मार्च, 2012
18.	मल्टी प्रोडक्ट ब्रैण्ड इण्डिया एक्स्पो, ओट्टावा, कैनडा	13-14 मार्च, 2012
19.	अलिमनटारिया 2011, बार्सेलोना, स्पेन	26-29 मार्च, 2012

अध्याय - VIII

बजार अनुसंधान एवं इंटलिजेन्स

मार्केट इंटेलिजेंस एवं सांख्यिकीय इकाई द्वारा रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान निपटाए गए कार्य मद निम्नानुसार है :-

- इकाई ने मार्केट विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत एवं तकनीकी घटकों के साथ मूल्य, आपूर्ती एवं मांग पर दैनिक मार्केट सूचना (वैश्विक एवं भारतीय) को एकत्रित एवं समेकित कर उद्योग के विभिन्न सेक्टर के साथ-साथ सरकार को देने का कार्य जारी रखा।
- अवधि के दौरान दैनिक मार्केट विश्लेषण देने के दैनिक ई-मेल सूचना सेवा को जारी रखा गया। यह सुविधा विस्तरण विभाग के जरिए उपजकर्ताओं को भी विस्तरित की जाती है और वेबसाईट www.indiacoffee.org में भी पोस्ट की जाती है और एस एम एस सेवा के जरिए भी जाती है।
- वर्ष के दौरान इकाई ने जून, अक्तूबर 2011 और जनवरी, मार्च 2012 के महीनों के लिए कॉफी पर व्यापक डेटा बेस प्रकाशित किया।
- सीजन 2010-11 और 2011-12 के लिए फसल प्रागुक्ति की गई, 2010-11 के लिए अन्तिम प्राक्कलन 302,000 मे.ट. (अरेबिका 94,140 मे.ट. और रोबस्टा 207,860 मे.ट.) हैं। 2011-12 के लिए पुष्पणोत्तर प्राक्कलन 322,250 मे.ट.(अरेबिका 1045,525 मे.ट. और रोबस्टा 217,725 मे.ट.) है और 2011-12 के लिए मानसूनोत्तर प्राक्कलन 320,000 मे.ट. (अरेबिका 103,725 मे.ट. और रोबस्टा 216,275 मे.ट.) हैं।
- डब्ल्यू टी ओ और कॉफी के व्यापार नीति से सम्बन्धित मामलों पर बोर्ड एवं सरकार को आर्थिक एवं विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया।
- इकाई ने बोर्ड के वेबसइट www.indiacoffee.org के रख रखाव के काम को जारी रखा।
- इकाई ने इण्डियन कॉफी अंकों में नियमित "मार्केट वॉच" कॉलम में योगदान दिया।
- इकाई ने घरेलू नीलामी केन्द्र आई सी टी ए को कॉफी के सभी श्रेणियों के लिए नियमित संकेतक मूल्य प्रदान किए।
- वर्ष 2012-13 के लिए कॉफी का पूर्व बजट प्रस्तावों को तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया। बोर्ड के प्रयासों के आधार पर, कॉफी बागान सेक्टर को विशिष्ट मशीनरी के लिए 5% का रियायती उत्पाद शुल्क दिया जा रहा है।
- इकाई ने घरेलू कॉफी संवर्धन-मीडिया योजना के क्रिया-कलापों के लिए भी समर्थन प्रदान किया।
- 2011-12 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को जारी रख गया।

  क) कॉफी उपजकर्ताओं के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी)

  ख) भारत सरकार का मूल्य स्थिरीकारण निधि योजना

  ग) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

  घ) "रूस और सी आई एस देशों को भारतीय कॉफी निर्यात का संवर्धन पर बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) उपरोक्त योजनाओं के विशिष्ट क्रियाकलाप और उपलब्धियां निम्नानुसार है :-

क) कॉफी के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पुष्पण, समर्थन, मानसून और मानसूनोत्तर बैछार बीमा आच्छादन के लिए कॉफी हेतु वृष्टि बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष के दौरान बोर्ड ने सभी परंपरागत कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में योजना के विपणन में अपना सहयोग दिया है।

9580 हे. के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए 2011-12 में 6384 कॉफी उपजकर्ताओं ने बीमा लिया है। 2011-12 में संग्रहित कुल प्रीमियम 92.17 लाख ₹ था। इसमें प्रीमियम उपदान घटक का सरकार का शेयर 46.81 लाख ₹ था जिसे भारतीय कृषि बीमा कम्पनी को रिलीज़ किया गया।

ख) मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना

कॉफी बोर्ड, कॉफी उपजकर्ताओं के लिए योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी है और बोर्ड का बाजार इन्टेलिजेंस इकाई सम्बन्धित क्रिया कलापों का समन्वयन करता है।

31.03.2012 को यथास्थिति, इस योजना के अन्तर्गत 11,594 उपजकर्ताओं को सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया गया। सदस्यता का राज्यवार ब्रेक अप निम्नानुसार है-आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत उपजकर्ताओं की अधिकतम संख्या 5451 (47.11%) थी उसके बाद क्रमश: 2,880 (24.86%) और 2267 (19.55%) केरल और कर्नाटक जबकि तमिल नाडू में 917 (7.90%) और ओडिशा में 79 (0.68%) उपजकर्ता थे।

लगभग 4362 उपजकर्ताओं ने "सामान्य वर्ष" 2004 के लिए अपने सम्बन्धित पी एस एफ बैंक लेखा में 500 ₹ जमा किया और उन उपजकर्ताओं को सम्बन्धित बैकों के पी एस एफ ब बैं खाते से 500 ₹ का सरकार अंशदान दिया गया। बूम वर्ष 2005 से 2011 के लिए बहुत कम उपजकर्ताओं ने अपना अंशदान जमा किया है।

ग) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना

मूल्य स्थिरीकारण निधि ट्रस्ट ने 2011-12 और 2012-13 में वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स.चोलमण्डलम एम एस जनरल बीमा कम्पनी लि. को चुना है। प्रति वर्ष 22.06 ₹ के वार्षिक प्रीमियम दर को लाभानुभोगी उपजकर्ता/मजदूर और पी एस एफ टी के बीच 50:50 अनुपात के आधार पर शेयर किया जाएगा अर्थात् उपजकर्ता/मजदूर 11.00 ₹ अदा करेगें जबकि पी एस एफ टी का अंशदान 11.03 ₹ होगा। 31.03.2012 को यथास्थिति, 98,672 ₹ की कुल प्रीमियम राशि के साथ वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 4479 सदस्य (3809 उपजकर्ता और 670 मजदूर) नामांकित हुए। चालू वर्ष में वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत इनमें से किसी भी उपजकर्ता या मजदूर ने कोई दावा नहीं किया है।

घ) रूस और सी आई एस देशों को भारतीय कॉफी निर्यात का संवर्धन" पर बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) योजना

भारतीय कॉफी के लिए बाजार पहुँच को सुधारने के उद्देश्य से, बाजार पहुँच पहल (एम ए आई) योजना के अन्तर्गत "ठरूस और सी आई एस देशों को भारतीय कॉफी निर्यात का संवर्धन" पर योजना को भारत सरकार ने दो वर्षों अर्थात, 2005-06 और 2006-07 के लिए अनुमोदित किया। इस योजना का कार्यान्वयन रूस, बेलारस और यूक्रेन बाजारों में किया।

इस योजना के अन्तर्गत लिए गए क्रिया कलाप/घटक निम्नानुसार है-

1) प्रचार मुहित

2) अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेन्टल स्टोर्स में प्रदर्शन

3) इन देशों में कॉफी आयात और उपभोग के बृहत और सूक्ष्म वातावरण को समझने के लिए बाजार अनुसन्धान

कॉफी बोर्ड इस योजना का कार्यान्वयक एजेन्सी है। इस योजना के पहले दो घटकों का कार्यान्वयन दो भाग लेने वाले निर्यातकों अर्थात, जे एफ के इन्टरनेशनल, नई दिल्ली और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बेंगलूर के जरिए वर्ष 2005-06 और 2006-07 में किया गया।

बाजार अनुसन्धान घटक का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा किया गया और इसे दो चरणों में पूरा किया गया। रूस बाजार को आच्छादित करते हुए अध्ययन के पहले चरण को 2007 में पूरा किया गया और बेलारस और यूक्रेन बाजारों को आच्छादित करते हुए अध्ययन के दूसरे चरण को मार्च 2009 में पूरा किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने पत्र सं.03/3/2004-प्लान्ट (बी) दिनांक 05.08.2011 के तहत कॉफी बोर्ड को 112.48 लाख ₹ का तीसरा और अन्तिम किस्त रिलीज़ किया। यह राशि का उपयोग योजना के अधीन शेष अदायगियों को निपटाने के लिए किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

- 95.15 लाख ₹ का उपयोग योजना के दूसरे वर्ष के लिए प्रचार मुहिम घटक के लिए जे एफ के इन्टरनेशनल को (61.58 लाख ₹) और डिपार्टमेन्टल स्टोर्स घटक में प्रदर्शन (33.57 लाख ₹) के लिए शेष अदायगी के निपटान के लिए की गई।
- 17.33 लाख ₹ बाजार अनुसन्धान अध्ययन शेष अदायगी- इस राशि को बोर्ड के योजना निधि के जरिए बाजार अनुसन्धान एजेन्सी फर्म मेसर्स.कोमकान (आर आई रूस और आर आई इण्डिया) को दिया गया। अत: 17.33 लाख ₹ योजना अनुदान निधि लेखा को वापस किया गया।

****

अध्याय - IX

लेखा और वित्त

कॉफी बोर्ड का लेखा और वित्त विभाग निम्नलिखित कार्य करने का जिम्मेदार है-

- बोर्ड के विभिन्न विभागों के लेखों का संकलन और रख रखाव।
- बजट प्राक्कलनों को तैयार करना और बोर्ड के विभिन्न इकाईयों को बजट का आबंटन।
- बोर्ड के कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा करना।
- बोर्ड के नकद और अन्य वित्तीय लेन-देन पर प्रभावी नियंत्रण रखना, ताकि संसाधनों के मूल्य दक्ष प्रविस्तार को सुनिश्चित किया जा सके।
- वित्तीय आशय से जुडे सभी मामलों पर सलाह देना।
- निधि आदि के रिलीज से सम्बन्धित विषयों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वित्त प्रभाग से सम्पर्क रखना।
- पूल विपणन से संबंधित लम्बित मामलों जैसे विक्रय कर मामलों इत्यादि को निपटाना।

2011-12 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

योजना :

	(₹ लाखों में)
योजना अनुदान	5100.00
उ पू क्षे अनुदान	550.00
उपदान अनुदान	4350.00
एस सी उप-योजना	500.00

गैर-योजना :

	(₹ लाखों में)
गैर-योजना अनुदान	3941.00
सी डी आर पी अनुदान	5800.00

पेंशन :

56.63 करोड ₹ के पेंशन कार्पस का निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया गया और यह वर्तमान दर पर ब्याज कमा रहे हैं। वर्ष में कमाया गया कुल ब्याज 3.89 करोड ₹ था, जिसने आंशिक रूप से पेंशन के विभिन्न वर्गों के 2907 पेंशनधारियों के लिए 28.33 करोड ₹ के पेंशन देयता को निधित किया।

वर्तमान में 01.01.2004 के बाद बोर्ड की सेवा में नियुक्त 64 कर्मचारी नई पेंशन योजना के सदस्य हैं।

योजना अनुदान 2011-12 के व्यय

12 घटकों के साथ 6 स्कीमों के लिए योजना अनुदान और उपदान का उपयोग निम्न तरीके से हुआ:-

योजना अनुदान

I. **धारणीय कॉफी उत्पादन हेतु अ व वि** (₹ लाखों में)

	घटक का नाम	व्यय
1	अ व वि प्रौद्योगिकियां	1199.51
2	प्रौद्योगिकी का अन्तरण	698.70
3	अ व वि हेतु बुनियादी विकास	82.04
	योग	1980.24

II. **विकास सहायता स्कीम** (₹ लाखों में)

	घटक का नाम	व्यय
1	पुनर्रोपण	888.67
2	जल आवर्धन, क्वालिटि उन्नयन, प्रदूषण उपशमन	157.86
3	उ.पू.क्षे में कॉफी विकास	404.91
4	गै.प.क्षे और जनजाति सेक्टर में कॉफी विकास	291.29
5	सभी पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण	231.46
6	मजदूरों/लघु उपजकर्ताओं के लिए कल्याण	140.36
	योग	2114.25

III. **बाजार विकास** (₹ लाखों में)

	घटक का नाम	व्यय
1.	घरेलू कॉफी संवर्धन	451.10
2.	बाजार अनुसंन्धान	50.15
	योग	501.25

IV. **निर्यात संवर्धन** (₹ लाखों में)

1.	निर्यात संवर्धन	394.27

योजना उपदान :

II. विकास सहायता (₹ in lakh)

	घटक का नाम	व्यय
1	पुनर्रोपण	395.19
2	जल आवर्धन, क्वालिटी उन्नयन, प्रदूषण उपशमन	1268.85
3	उ.प.क्षे में कॉफी विकास	126.14
4	गै.प.क्षे और जनजाति सेक्टर में कॉफी विकास	489.59
5	कार्य पूँजी ऋणों पर उपजकर्ताओं की ब्याज उपदान	135.55
6	मशीनीकरण कार्यक्रम	1811.69
7	एस सी उप-योजना	20.00
	योग	4247.01

	घटक का नाम	व्यय
III.	उपजकर्ताओं के लिए जोखिम प्रबन्धन	46.81
IV.	निर्यात संवर्धन	148.66
V.	संसाधन हेतु सहायता	176.02

उपदान व्यय में पिछले वर्ष में किए गए प्रावधान के सम्मुख अंकित किए गए व्यय शामिल हैं।

मूल्य स्थिरीकरण निधि :

मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक ट्रस्ट के तौर पर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य जब कॉफी की कीमतें निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाए तो कॉफी बोर्ड के जरिए वित्तीय राहत देकर उपजकर्ताओं की हितों की रक्षा करना है। संग्रहित निधि और बोर्ड द्वारा किए गए व्यय, मूल्य स्थिरीकरण ट्रस्ट के मानदण्डों के अनुसार है।

कॉफी ऋण राहत पैकेज (सी डी आर पी)

भारत सरकार ने कॉफी "कॉफी ऋण राहत पैकेज" (सी डी आर पी) के कार्यान्वयन हेतु गैर योजना अनुदान के अन्तर्गत 58.00 करोड़ ₹ की राशि को रिलीज़ किया। वर्ष के दौरान बोर्ड ने विभिन्न बैंकों के सी डी आर पी दावों के लिए 47.82 करोड़ ₹ अदा किया और लम्बित दावों के लिए 31.03.2012 को यथास्थिति 2.18 करोड़ ₹ के लिए एक चालू देयता का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सी डी आर पी के अन्तर्गत निधियों को 31.09.2012 तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है जिसके लिए अनुमानित सी डी आर पी दावों के लिए 8.24 करोड़ ₹ का भी प्रावधान किया गया है और इसमें पिछले वर्ष का 0.24 करोड़ ₹ की वापसी भी शामिल है।

पूल निधि :

1. क्रय कर/विक्रय कर हेतु प्रावधान

क) केरल सरकार के सम्बन्ध में, 44.81 करोड़ ₹ (2.16 करोड़ ₹ का क्रय कर 42.65 करोड़ ₹ का केन्द्रीय बिक्री कर) की राशि के दावे को केरल उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिप्रेषित का दिया है ताकि कानूनी तौर पर बोर्ड के दावे को सत्यापित किया जाए और उसको सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय ने शीघ्र निपटान के लिए कार्रवाई शुरू कर दिया है।

ख) तमिल नाडू के सम्बन्ध में, कोई भी मांग अदायगी के लिए लम्बित नहीं है। तथापि, देयों के निपटान के सम्बन्ध में वाणिज्यिक कर विभाग, तमिल नाडू से औपचारिक पुष्टिकरण आदेश की अपेक्षा है।

बोर्ड के लेखे तीन सेट में तैयार किए गए हैं यथा, प्राप्तियां और अदायगियां, आय एवं व्यय और तुलन पत्र। इन लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापाल द्वारा की जाती है। वर्ष 2011-12 के लिए कॉफी बोर्ड की सामान्य निधि, पूल निधि के प्रमाणीकृत वित्तीय विवरणों की प्रतियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ "वर्ष 2011-12 के कॉफी बोर्ड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में अलग से प्रस्तुत है।

****

संक्षेप

AIC	भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि.
BSM	बायर सेलर मीट
C/lb	सेन्ट्स/पाउण्ड
CBB	कॉफी बेरी बोरर
CCRI	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान
CDRP	कॉफी ऋण राहत पैकेज
CFC	कॉमन फण्ड फॉर कॅमोडिटीस
CIFC	सेन्ट्रो डे इन्वेस्टिगाको फेरुजिनस ड़ो केफेरो (कॉफी रस्ट रिसर्च सेंटर)
CFU	कॉलोनी फार्मिंग यूनिट
CIS	कैरियर इंप्रूवमेंट स्कीम
CRSS	कॉफी अनुसंधान उप स्टेशन
CxR	कांजेनसिस रोबस्टा
CST	केन्द्रीय विक्रय कर
DBT	बयोटेक्नालॉजी विभाग
DGFT	महानिदेशक, (विदेश व्यापार)
DNA	डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लियिक एसिड
EU	यूरोपियन यूनियन
EC	इमाल्सिफाइंग कान्सेन्ट्रेशन
FFS	फार्मर्स फील्ड स्कूल
FPM	फार्मर्स पार्टिसिपेटरी मेथड
FYM	फार्म यार्ड मैन्यूर
GBE	ग्रीन बीन इक्वीवलन्ट
HDT	हाइब्रिडो -डे- टिमोर
IA&AS	इंडियन ऑडिट एण्ड अकाउण्ट्स सर्विस
IAP	इंटरनल ऑडिट पार्टी
IAS	भारतीय प्रशासनिक सेवा
IARI	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR	इंडियन काउंसिल ऑफ अग्रिकल्चरल रिसर्च
ICH	इडिया कॉफी हाउस
ICO	अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन
ICTA	इंडियन कॉफी ट्रेड असोसिएशन
INM	एकीकृत पोषण प्रबंधन
IPM	एकीकृत नाशिकीट प्रबंधन
IICF	इंडिया इन्टरनेशनल कॉफी फेस्टिवल
IIHR	भारतीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान
IIPM	भारतीय बागान प्रबंध संस्थान
ITDA	एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण
ITPO	इंडिया व्यापार संवर्धन संगठन

IT	इनफार्मेशन टेकनॉलजी, सूचना प्रौद्योगिकी
ITS	इंडियन टेलीफोन सर्विस
Kg/Ha	किलोग्राम/हेक्टर
KGST	केरल जनरल सेल्स टैक्स
MACP	माडिफाइड अश्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन
MFCS	माडिफाइड फ्लेक्सिबल काम्पलीमेन्टरी स्कीम
MAS	मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन
MT	मेट्रिक टन
MTS	मल्टि टास्किंग स्टाफ
NER	पूर्वोत्तर क्षेत्र
NTA	गैर पारम्परिक क्षेत्र
NPK	नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटासियम
PB	वेतन बैंड
PFA	प्रीवेंशन ऑफ फूड एडल्टेरशन
PSFT	मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट
RCRS	क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान स्टेशन
RTI	सूचना का अधिकार
SC	अनुसूचित जाति
SCAA	स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ अमेरिका
SCAE	स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ यूरोप
SCAR	सीक्वेन्स कैरक्टराईस्ड एम्प्लिफाइड रीजन
SEC	सामाजिक आर्थिक वर्ग
SHG	स्व सहायता समूह
Sln	सिलेक्शन
SLP	विशेष छुट्टी याचिका
SSP	सिंगल सूपर फॉस्फेट
ST	अनुसूचित जन जाति
SRAP	सीक्वेन्स रिलेटेड एम्पिलफाइड पॉलीमर
STAT	विक्रय कर अपीलेट प्राधिकार
RAPD	रेंडमली पॉलिमर डालिमार्फिक
R&D	अनुसंधान व विकास
RCMC	रजिस्ट्रेशन सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
R&G	रोस्टड एण्ड ग्राउण्ड
RISC	कॉफी के लिए वृष्टि बीमा स्कीम
TEC	प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र
UAS	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
UNO	यूनाइटेड नेशन्स आर्गनाइजेशन
WA	रिट अपील
WP	वेटेबल पाउडर
WSB	वाइट स्टेम बोरर
WTO	विश्व व्यापार संगठन

****